राजस्थान विधान सभा

चौदहवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक १६ मार्च, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८ बजकर ३६ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १२१

किशनगढ़ से सिलोरा तथा उसकी निकटवर्ती सड़क का निर्माण कार्य

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ से सिलोरा तथा उसके आस पास की सड़क का निर्माण कब किया गया ?

(ख) उक्त सड़क में कितना पोर्शन बनना बाकी है तथा उसके अभी तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(विराम)

(सम्बन्धित मंत्री महोदय के उपस्थित नहीं होने पर)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—वे अभी आ रहे हैं।

(विराम)

श्री भवानीसहाय—१५ तारीख के क्वेश्चन्स, अध्यक्ष महोदय, कब लिये जावेंगे ?

Page No 2

श्री रामकिशोर व्यास—आ गये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) दिनांक ८–१०–५३ से दिनांक ५–१–५५ तक की अवधि में इस सड़क का निर्माण किया गया।

(ख) लगभग ४० गज।

श्री चांदमल मेहता—यह नई बनाई जाने वाली सड़क का टुकड़ा बन रहा है, वह कब तक बन जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—४० गज बनेगा सिर्फ। वह इसी माह में बन जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो टुकड़ा बनाया जा रहा है अब भी वह अपूर्ण है और वह टुकड़ा पीताम्बर की खानों तक नहीं पहुँचा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह ४० गज बाकी था। पहले किसी का मकान आता था। उसकी एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही थी और इसमें देर हो गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अभी जो ४० गज का टुकड़ा बनाया जा रहा है वह भी पूरा नहीं है और खानों तक नहीं पहुंचता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जितना मन्जूर था उतना ही बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने या वहां के खानदारों ने मांग की थी कि पत्थरों की खानों तक ले जावें ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—पत्थरों की खानों तक ले जाये जाने को है, वह वहां तक पहुंच जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किशनगढ़ सब डिवीजन में सड़कें बनने की योजना में से कुछ को निकाल लेना

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किशनगढ़ सब डिवीजन में आरम्भ में कहां २ सडकें बनाने की योजना थी ?

Page No 3

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) अन्तिम निर्णय में कौन कौन सी सड़कें उक्त योजना में से निकाल दी गई और क्यों ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां कहां सड़कें बनाई जावेंगी, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री चांदमल मेहता—यह निर्णय कब तक किया जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह कार्य जल्दी किया जावेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार के महकमों में इस प्रकार की सूचना पहुँच चुकी है कि अमुक अमुक स्थानों पर अमुक अमुक काम होंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह प्रोपोजल है, फाइनेलाइज नहीं हुआ है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन के लिए कौन कौन सी सड़कों का प्रोवीजन है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह अलग सवाल है, अलग से पूछेंगे तो बतलाऊंगा ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सवाल साफ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किशनगढ सब डिवीजन में आरम्भ में कहां कहां सडकें बनाने की योजना थी ? यह प्रश्न साफ बता रहा है कि कौन कौनसी सडकों के लिए प्रपोजल था, अलग प्रश्न नहीं है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—शुरू में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ थीं, उन्होंने ३५ करोड़ रुपयों की लागत के प्रोपोजल भेजे थे । उसके बाद राजस्थान सरकार ने १५ करोड़ के रखे, जिसको भारत सरकार ने काट कर ६ करोड़ तक रख दिया । इसलिए, पहले के प्रपोजल को आधार नहीं माना जा सकता ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ और है और जवाब कुछ और दिया जाता है । प्रश्न यह है कि शुरू में कौन कौनसी सडकों का प्रपोजल था । मैं यह नहीं पूछता कि आपने कौन कौन सी रखीं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—अच्छा, मैं यह बता दूंगा लेकिन आपको इससे फायदा क्या होगा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तसल्ली हो जायगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी—प्रपोज्ड जो रोड्स हैं वे इस प्रकार हैं :

(1)	Painting of road from	Kishangarh to Arain : Miles		15
(2)	„	Arain to Sarwar : Miles		28
(3)	„	Kishangarh to Rupangarh „		16
(4)	Metalling of raod from	Malpura to Arain : Miles		5
(5)	„	Rupangarh to Parbatsar „		6
(6)	„	Kekri to mile 7 of Kishangarh to Rupangarh Miles		12

श्री चांदमल मेहता—समाप्त हो गई या और हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब तो समाप्त हो गया।

श्री चांदमल मेहता—१५ करोड़ की रोड्स ये ही थीं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—

Painting of Kishangarh to Rupangarh road	...	Miles	16
Metalling of Malpura to Arain road	...	„	5
Metalling of Rupangarh to Parbatsar road	...	„	6
Approach road from Kishangarh Rupangarh road to Kekri village	...	„	9

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रोपोज्ड योजना में किशनगढ़ से केकड़ी तक की सड़क शामिल थी ?

श्री रामचंद्र चौधरी—प्रोपोज्ड रोड्स जो थीं वे सब आपके सामने सुना दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रोपोज्ड रोडस में, ओरिजिनल लिस्ट में, किशनगढ़ से केकड़ी तक की सड़क शामिल नहीं थी ?

कुं० श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने सारी लिस्ट पढ़ कर सुना दी है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में भी किशनगढ़ के लिये कोई काम बाकी रह जायगा ?

श्री रामचंद्र चौधरी—शायद ही रहेगा।

प्रश्न संख्या १२३

अलवर शहर की पी. डब्ल्यू. डी. की चूना पीसने की मशीन अशासकीय व्यक्ति को निजी उपयोग हेतु देना

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या अलवर शहर की पी. डब्ल्यू. डी. की चूना पीसने की मशीन किसी गैर सरकारी आदमी को घर के काम के लिये ता० १७ जनवरी से दी गई है? कृपया उनका नाम बतायें ?

(ख) क्या पहले भी इस प्रकार किसी गैर सरकारी आदमी को घरू तौर पर काम के लिये ये चूना पीसने की मशीनें दी गई थीं? यदि हां, तो उनके भी नाम बताइये ?

(ग) उपरोक्त मशीन किन नियमों के अनुसार दी गई है और क्या गैर सरकारी काम का किराया वसूल किया जावेगा ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

(घ) क्या यह सही है कि चूना पीसने की मशीन कुछ व्यक्तियों के घरेलू काम में आने के कारण अलवर शहर के मुख्य बाजारों की सडक ठेकेदारों द्वारा नहीं बनाई जा रही है ?

(ङ) क्या चूना पीसने की मशीन न मिलने के कारण ठेकेदार ने मियाद में काम पूरा न होने की दरख्वास्त दी है ?

(च) क्या पी. डब्ल्यू. डी. के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जिन्होंने राज्य के काम की उपेक्षा कर गैर सरकारी लोगों को तरजीह दी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भोपालसिंह—क्या यह मशीन तारीख १७ जनवरी को एम. पी. श्री शोभारामजी के घर पर थी ?

Page No 6

श्री रामचंद्र चौधरी—पी. डब्ल्यू. डी. में सड़क कूटने के लिये श्री रामरतन एन्ड सन्स कन्ट्रेक्टर को दिया गया है, प्राइवेट पर्सन्स को नहीं दिया गया। प्राइवेट पार्टीज़ को भी रोड रोलर दिया जा सकता है लेकिन उनसे ज्योदा किराया लिया जाता है।

श्री भोपालसिंह—यह रोड रोलर का प्रश्न नहीं है, चूना कूटने की मशीन का प्रश्न है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—रोड रोलर्स के लिये कायदा यह है कि यदि कोई प्राइवेट पार्टी लेना चाहे तो उसको ज्योदा किराया देना पड़ता है। इस यूजुअल रेट से कोई भी प्राइवेट पार्टी ले सकती है। यही कायदा चूना पीसने की मशीन के लिये लागू है। लेकिन अलवर में किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया गया।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि ठेकेदार का काम बकाया पड़ा है मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह ठेकेदार का काम है। यदि वह काम नहीं करता है तो उस पर जुर्माना होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह मशीन ठेकेदार की है या गवर्नमेंट की?

श्री रामचन्द्र चौधरी—गवर्नमेंट की।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि तीसरे व्यक्ति को उसने मशीन क्यों दी?

श्री रामचंद्र चौधरी—कभी कभी चूना या अन्य मेटिरियल की कमी हो जाती है तो मशीन को खाली पड़ा रखने के बजाय किसी को गवर्नमेन्ट दे सकती है लेकिन उससे ज्योदा चार्ज कर लेती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति के पास गवर्नमेन्ट की चीज है तो वह तीसरे आदमी के पास कैसे पहुँची?

श्री रामचन्द्र चौधरी—प्राइवेट पार्टी को ज्योड़ी रेट पर गवर्नमेन्ट दे सकती है तो ठेकेदार भी दे सकता है।

श्री भोपालसिंह—इसका कितना किराया वसूल किया गया एस. पी. शोभारामजी से?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह आपने एक नया सवाल पूछा है, यदि नोटिस देंगे तो इसका भी उत्तर दूंगा।

कु० श्रीजसवन्तसिंह्—वे चूने का काम करते हैं एम.पी. साहब उस मशीन से, तो क्या उनका व्यापार है चूने का या घर की मरम्मत के लिये उनको जरूरत पड़ी उस मशीन की ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह हमें मालूम नहीं है। शोभारामजी के यहां यह मशीन गई, इसकी तो आप इन्फोर्मेशन आप दे रहे हैं। हमारी तरफ से तो रामरतन एन्ड सन्स को दी गई थी।

श्री श्रीदास गोयल—यदि सरकार मानती है कि प्राइवेट पार्टी से ड्योढ़ा वसूल किया जाता है तो क्या उस प्राइवेट पार्टी ने जिसको मशीन दी गई थी, सरकार को जानकारी नहीं दी कि यह मशीन शोभारामजी के यहां गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यदि इत्तला मिलती तो ड्योढ़ा वसूल कर लेते ।

श्री श्रीदास गोयल—इस प्रश्न के आपकी सेवा में जाने के बाद क्या सरकार ने मालूम किया है कि दरअसल किस प्राइवेट पार्टी के काम में वह आ रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। आपने इत्तला दी है तो जानकारी की जायगी।

श्री जसवन्तसिंह्—क्या अब भी गवर्नमेंट यह मालूम करने की कोशिश करेगी कि वाकई चूना पीसने की मशीन उक्त एम. पी. साहब के मकान पर पहुँची या नहीं ? यदि पहुँची तो कितने रुपये भराये गये ? क्या सदन को इस बात की जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जरूर करेंगे।

श्री भोपालसिंह्—यदि यह मशीन ठेकेदार ने शोभारामजी के सुपुर्द कर दी तो क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया न कि इस तरह से देना कानून के खिलाफ नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या ठेकेदार बिना सरकार की अनुमति के किसी को दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise. The reply is very clear.

श्री श्रीदास गोयल—Here the rule is not like that, Sir. If any contractor gives a machine to a private individual it is incumbent upon him that he should obtain prior permission from the government.

श्री अध्यक्ष—The reply is very clear.

Page No 8

श्री भोपालसिंह—आप कहते हैं कि किसी के यहां नहीं गई और मैं कहता हूं कि गई, तो क्या ठेकेदार ने बगैर इत्तला किये भेजी है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—बगैर इत्तला किये भेज सकता है क्या ?

श्री रामचंद्र चौधरी—बगैर इत्तला भेजना नहीं चाहिये। हमें पता नहीं कि भेजा या नहीं भेजा। आपने कहा है तो जानकारी करके इत्तला देंगे।

श्री भवानी सहाय—यह मशीन जब वहां काम कर रही थी तब वहां से पी. डब्ल्यू. डी. के व्यक्तियों ने उनको दी या वे ही वहां से ले गये ?

श्री रामचंद्र चौधरी—मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। आपने इत्तला दी है इस लिए धन्यवाद दे रहा हूं।

प्रश्न संख्या १२५

राजस्थान वन अधिनियम के अंतर्गत नियमावली प्रकाशित करवाना

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान फोरेस्ट एक्ट कब लागू किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत अभी तक रूल्स प्रकाशित नहीं किये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(१) ता. १ जून, १९५३ से।

(२) जी हां।

(३) कुछ नियम (रूल्स) बन चुके हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं मिला। रूल्स नहीं प्रकाशित होने का क्या कारण है ? बनाया गया वह तो ठीक है लेकिन सन् ५३ के बाद अब तक फोरेस्ट नियम प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं यह बताना चाहता हूं कि एक्ट लागू होने के बाद भी जब तक नये रूल्स बन नहीं जाते तब तक पुराने रूल्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। पुराने सब रूल्स को इन्टीप्रेट करके नये रूल्स बना रहे हैं, वे सरकार के विचाराधीन हैं।

Page No 9

श्री कंवरलाल जेलिया—चार वर्ष के बाद भी रूल्स नहीं बनाने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार का वन विभाग इसी प्रगति से काम करेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक नये रूल्स नहीं बनते तब तक पुराने रूल्स लागू हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फोरेस्ट रूल्स नहीं बनने से डिपार्टमेन्ट को असुविधा पैदा हो गई है और डिपार्टमेन्ट ने जोरों से मांग की है कि नये रूल्स जल्दी से जल्दी बनाये जांय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप को इल्म होगा, मुझे तो इसमें कोई डिफीकल्टी नहीं हुई मैं तो काम चलाता हूं।

श्री चांदमल मेहता—आप काम चला रहे होंगे लेकिन डिपार्टमेंट को असुविधा है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनकी असुविधा आपके सामने ज्यादा आई होगी ?

श्री चांदमल मेहता—मेरे सामने आती है इसलिये तो मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि आप को इत्तला दूं।

प्रश्न संख्या १०५.

बाड़ी घाटी (सरहद थांवला) को सड़क का द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जीर्णोद्धार करवाना

श्री भोपाल सिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बाड़ी घाटी, सरहद थांवला, तहसील डेगाणा का रास्ता बहुत बुरी हालत में है और जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है ?

(ख) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसको दुरुस्ती के कार्य को रखा गया है ? यदि नहीं, तो कब तक सरकार इस कार्य को करवाने का विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) बड़ी घाटी के रास्ते की हालत सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। घाटी की सड़क को ठीक बनाने का उपयोग तभी हो सकता है जब कि अजमेर सरकार घाटी से आगे पुष्कर तक सड़क बनाये।

श्री भोपालसिंह—क्या इससे आगे मौजूदा बस सर्विस नहीं चलती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—नागौर से बड़ी घाटी तक सड़क बनी हुई है । इससे आगे बस सर्विस नहीं चल सकती । अजमेर से पुष्कर तक सड़क जाती है । पुष्कर से घाटी तक, जब तक सकड़ नहीं बने तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री भोपालसिंह—तीन वर्षों से अगाड़ी सडक बनी हुई है और बसें चलती हैं तो फिर सरकार इसको क्यों नहीं टीक कराती है ? यह घाटी खराब हालत में है

श्री रामचन्द्र चौधरी—अजमेर से चलती है ।

श्री भोपालसिंह—बसें तो आगे भी चलती हैं ।

श्री मथुरादास माथुर--फेअरवेदर रोड होगी ।

श्री भोपालसिंह—मैं चैलेंज करता हूँ कि सडक बनी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १२६

श्री अध्यक्ष—श्री सज्जनसिंह

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट.......२........देखिये)

प्रश्न संख्या १२७.

तहसील किशनगढ़ (अलवर) में निष्क्रांत सम्पति की भूमि मेव मौलवी सुलेमान को उसकी निजी भूमि के बदले में देने का आधार

श्री भोपालसिंह—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तहसील किशनगढ (अलवर) में एवेक्यू जायदाद की जमीन मेव मौलवी सुलेमान बाम्भोटवाले को उसकी निजी जमीन के बदले में दे दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)—(क) जी हां ।

(ख) कन्सोलिडेशन ओफ होल्डिंग्ज़ के आधार पर ।

Page No 11

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने मुंह में पान क्यों दबा रखा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२८

विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत व्यापारियों की असुविधा निवारण हेतु समिति की स्थापना

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत व्योपारियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए तजवीज पेश करने को क्या किसी समिति का गठन किया गया है ?

(२) यदि हां, तो कब और उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—(३) का जवाब आपने दिया कि प्रश्न नहीं उठता । मैं यह जानना चाहता हूँ कि कमेटी नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई ?

श्री अमृतलाल यादव—इसलिये की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि व्यापारियों की तरफ से इसके लिये बार बार मांग आई थी और माननीय मन्त्री ने इस तरह का आश्वासन भी उनको दिया था ।

श्री अमृतलाल यादव—नहीं । जो शुरू में व्यापारियों की तरफ से मांग हुई थी उसके बाद में उनसे बात भी हुई और उसका तसफिया हो गया । इसलिये अब इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—फैसला हो जाने के बाद भी कोई मेमोरेन्डम पेश हुआ और उस समय जब मेमोरेन्डम पेश किया गया था तो आश्वासन दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार दुवारा इस बात पर विचार करने लिये तैयार है कि कमेटी बनाई जावे और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इस पर विचार करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार हमेशा व्यापारियों की बात पर विचार करने के लिये तैयार रहती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कमेटी के लिये वाजिब विचार दुवारा करने को तैयार है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करती।

श्री चांदमल मेहता—व्योपारियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार व्यापारियों की असुविधा पर ही सोचती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जब व्योपारी लोग इसकी मांग करते हैं तो सरकार को इससे एतराज है ?

श्री अमृतलाल यादव—व्योपारी अपना ही दृष्टिकोण ध्यान में रखते हैं लेकिन सरकार को पब्लिक का दृष्टिकोण भी देखना होता है।

श्री चांदमल मेहता—कमेटी में क्या हित देखना है ?

श्री अमृतलाल यादव—देखते हैं, कुछ तभी होता है।

श्री चांदमल मेहता—कुछ क्या है, वह तो आप बताऐं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह जवाब दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—कुछ की बात बतावें ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६.

त० बसवा व सिकराय (जिला जयपुर) के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रसार हेतु शासकीय कार्यवाही

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will the Public Works Minister please state.

(a) Why no action has so far been taken for the electrification of the urban and rural areas of the Baswa and Sikrai Tehsils of the Jaipur District ?

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

(b) Why the electricity supply line is not extended from Dausa to Sikandra, Bandikui and Baswa in order to electrify these and a number of other important way-side towns ?

श्री रामचंद्र चौधरी(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रूरल विद्युति करण योजना में छोटे कस्बों तथा ग्रामों की जिनकी जन संख्या ५००० या इससे ज्यादा है, के लिये ८० लाख रुपये की मांग की जा चुकी है। इन क्षेत्रों के लिये लोड सर्वे व जांच करने के लिये भी धन राशि की मांग की जा चुकी है। बस्वा व सिकराय तहसील में इन छोटे कस्बों और ग्रामों की जिनकी जन संख्या ५००० या इससे ज्यादा हो, इस योजना के अन्तर्गत जांच पड़ताल की जावेगी।

(ब) दौसा से सिकन्दरा, बांदीकुई और बसवा तक बिजली की लाइन इसलिए नहीं बढ़ाई गई है कि इन क्षेत्रों का डिटेल्ड लोड सर्वे नहीं हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में रूरल लोड के जनरल पेटर्न से ऐसा मालूम होता है कि दौसा से सिकन्दरा, बांदीकुई और बसवा, तक ट्रान्समिशन लाइन का बढ़ाना लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—सर्वे कब तक करवाई जावेगी ?

श्री रामचद्र चौधरी—मांग की गई है और सर्वे शुरू कर दिया जावेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—बिजली का काम कब तक हो जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—उसके बाद।

श्री विशम्भर नाथ जोशी—वाकई बिजली इन कस्बों में कब तक चालू हो सकेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह तो मेटीरियल मिलने पर निर्भर है। पोल मंगाने पड़ेगे व दीगर सब सामान मंगाना पड़ेगा।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सरकार ५००० से कम आबादी वाले कस्बों को भी बिजली देने का इरादा रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इलेक्ट्रिकल विभाग एक कोमर्शियल डिपार्टमेंट बनाया गया है। जहां पर जितना खर्चा हो उतना रिटर्न नहीं है तो नहीं हो सकता।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—बांदीकुई रेल्वे कोलोनी में बिजली मौजूद है। क्या सरकार रेलवे कोलोनी से बिजली लेकर शहर में देने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मेरे ख्याल से यह म्युनिसिपेल्टी का काम है। वह रेल्वे बोर्ड से बातचीत करके पता चला सकती है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये उद्यत नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—सरकार जो कोई भी काम करें, उसको मदद दे सकती है। रेल्वे बोर्ड का इससे सम्बन्ध है और रेल्वे में हमारी दस्तन्दाजी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३०

जयपुर जिले में जुडीशियल एवं नोन जुडीशियल स्टाम्प्स बेचने पर स्टाम्प बेचने वालों को कमीशन

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिले में जुडिशियल और नोन जुडिशियल स्टाम्प्स पर स्टाम्प बेचने वालों को क्या क्या कमीशन दिया जाता है ?

(२) किशनगढ़ सब डिविजन के किस किस स्टाम्प वेन्डर से कमीशन की रकम वापिस वसूल करने के आदेश दिये गये हैं ?

(३) उक्त आदेश किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जयपुर जिले में ही नहीं वरन सम्पूर्ण राजस्थान में कमीशन की दर प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

(क) नोन जुडीशियल स्टाम्पों पर—

१. सम्पूर्ण जिलों के मुख्यालयों के कस्बों में	३ रु० २ आना
२. सम्पूर्ण सब डिवीजनों के मुख्यालयों के कस्बों में	४ रु० ११ आना
३. अन्य स्थानों पर	६ रु० ४ आना
(ख) जुडीशियल स्टाम्पों पर सब स्थानों पर	१ रु० ६ आना।

किन्तु पांच रुपयों से कम के एवं आठ आना, एक आना, दो आना और चार आना के रेवेन्यू स्टाम्पों के क्रय पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है।

(३) इन्सपेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प द्वारा।

श्री चांदमल मेहता—यह नियम के विरुद्ध कमीशन उनको किसने दिया और क्यों बंद किया गया, क्या बात हुई कि पहले तो दिया और बाद में बन्द किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—इन्सपेक्टर रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प द्वारा तहसील किशनगढ़ का निरीक्षण करते समय यह ज्ञात हुआ है कि वहां एक आना, ३ आना और चार आने के रेवन्यू स्टाम्पों के क्रय पर भी स्टाम्प विक्रेताओं को कमीशन दिया जाता है जब कि उक्त नियम के अनुसार जो कि २३ अप्रेल, १९५५, के राजपत्र के भाग ४ (ग) में प्रकाशित हुआ है इन पर कोई कमीशन देय नहीं है। इन्सपेक्टर द्वारा उपकोषाध्यक्ष किशनगढ़ का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जाने पर उपकोषाध्यक्ष ने इन्सपेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग, राजस्थान को इस सम्बन्ध में उचित आदेश प्रदानार्थ लिखा। चूंकि नियम राजपत्र में प्रकाशित दिनांक २३. ४. ५५ से ही प्रभाव में आ गये थे अतः इन्सपेक्टर जनरल ने स्टाम्प वेन्डर से उस रुपये की वसूली के आदेश जारी कर दिये जो कि उन्हें नियम विरुद्ध अधिक मिल गया था।

श्री चांदमल मेहता—एक आना, दो आना, चार आने के स्टाम्प पर कोई कमीशन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—गवर्नमेन्ट के नियम हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या गवर्नमेन्ट ऐसे नियम बनाना चाहती है कि स्टाम्प बेचे जांय, लेकिन कोई कमीशन न दी जाय और बेकार में ही काम लिया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव:—मैंने निवेदन किया कि बड़े स्टाम्प पर कमीशन मिलता है, छोटों पर नहीं मिलता है।

श्री चांदमल मेहता—एक आना, दो आना, चार आने, के स्टाम्प्स पर कमीशन नहीं मिलने की वजह से आमतौर पर कई जगह छोटे स्टाम्पस मिलते नहीं हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने यह लाजमी बना रखा है कि कमीशन नहीं देने पर भी एक आने, दो आने के स्टाम्प बेचने पड़ेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—यह कन्डीशन तो शुरू से ही है, हमको तो कोई दिक्कत पेश नहीं आई। सब अपना काम करते हैं और काम चलता है।

श्री चांदमल मेहता:—इस प्रश्न के बाद भी आप किसी शिकायत का आना नहीं समझते ?

श्री अमृतलाल यादव:—कोई शिकायत माननीय सदस्य के पास आई होगी, मेरे पास तो नहीं आई।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है पिछले बजट अधिवेशन के पहले बजट अधिवेशन में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने यह आश्वासन दिया था कि जिन स्टाम्प्स पर हम कमीशन नहीं देते हैं कमीशन लागू कर देंगे ?

श्री **अमृतलाल यादव**:—वह इस प्रकार नहीं था। ऐसा था कि ऐसी कोई दिक्कत सामने पेश आयगी तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री **प्रभूदयाल**:—क्या सरकार नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

श्री **अमृतलाल यादव**:—फिलहाल नहीं रखती है।

प्रश्न संख्या १३१

बांदीकुई व बसवा कस्बों तथा ग्राम बढ़ियाल कला व गुढ़ा कटला में पहुँचाने व नल लगाने की व्यवस्था

श्री **विश्वंभरनाथ जोशी**:—क्या सार्वजनक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(अ) तहसील बसवे के शहरी व देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा कब तक की जा सकेगी ?

(ब) क्या सरकार की बांदीकुई व बसवा कस्बों तथा बढ़ियाल कलां व गुढा कटला ग्रामों के लिये बिजली सप्लाई करने हेतु बांदीकुई में एक छोटा पॉवर हाउस बनाने की कोई योजना है ?

(स) क्या सरकार बांदीकुई व बसवा कस्बों में नल लगाने की भी जल्द ही उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री **रामचंद्र चौधरी**:—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (अ) तहसील बसवे के शहरी व देहाती क्षेत्रों का विद्युतीकरण लोड सर्वे के नतीजे पर निर्भर करता है। यह लोड सर्वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करना प्रस्तावित किया हुआ है। अगर लोड सर्वे से यह मालूम हो जावेगा कि इनके विद्युतीकरण से पर्याप्त मात्रा में पोटेन्शियल लोड मिल सकेगा तो इनका विद्युतीकरण किया जा सकेगा क्योंकि यह विभाग एक कॉमर्शियल विभाग घोषित किया जा चुका है।

(ब) हां, अगर इस विद्युतीकरण योजना से ४.२५ प्रतिशत का लाभ पोटेन्शियल लोड के आधार पर मिल सके यह लोड सर्वे होने पर ही निश्चित किया जा सकता है।

(स) म्युनिसिपलिटी के आवेदन व धन का इन्तजाम करने पर इस विभाग द्वारा नल लगाने की कार्यवाही की जाती है।

श्री विश्वंभरनाथ जोशीः—चूंकि म्युनिसिपैलिटी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने स्वयं के साधनों से लगा सके इसलिये क्या म्युनिसिपल बोर्ड को सहायता देने के लिये सरकार स्पेशल लोन देने का विचार कर रही है ?

श्री रामचंद्र चौधरीः—जो म्युनिसिपल बोर्ड अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करते हैं उनको लोन मिलता है।

प्रश्न संख्या १३२

राजगढ़ से तारानगर सड़क का जीर्णोद्धार एवं उसे तारकोल की बनाने सम्बंधी शासकीय योजना

श्री प्रभूदयालः—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राजगढ़ से तारानगर रोड की मरम्मत व उसे तारकोल की बनाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामचंद्र चौधरीः—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (क) साधारण मरम्मत तो कराई जाती है। विशेष मरम्मत व डामर कराने की योजना है।

(ख) योजना स्वीकृत नहीं हुई है व विशेष मरम्मत के लिये धन-राशि केन्द्रीय सरकार से नहीं मिली।

श्री प्रभूदयालः—यह जो योजना रखी गई है कब तक स्वीकार हो जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह पहले भारत सरकार द्वारा मरम्मत होने को थी लेकिन बाद में भारत सरकार ने मन्जूरी नहीं दी तो राजस्थान गवर्मेन्ट ने अपने हाथ में ले लिया। मन्जूरी जल्दी कराई जायगी।

श्री प्रभूदयालः—मेटल्ड रोड हो जायगी या तारकोल ?

श्री रामचंद्र चौधरीः—मेटल्ड रोड तो है, तारकोल का सवाल बाकी है सो किया जायगा।

श्री प्रभूदयालः—आपने इस रोड की मरम्मत होने का कहा था, मरम्मत तो कभी नहीं हुई, केवल रेत डालकर फेअर वेदर रोड बना दी गई है ?

श्री रामचंद्र चौधरी:—वही तो मरम्मत है। रेत सड़क को टूटने से बचाती है।

श्री प्रभूदयाल:—क्या सिर्फ रेत डाल देना ही आप मरम्मत समझते हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी:—यह तो अपनी २ समझने की बात है।

श्री प्रभूदयाल:—फिर आप दूसरी जगह जो सड़कें खराब हो जाती हैं वहां डामर क्यों बिछवाते हैं, रेत डालकर ही मरम्मत कर दिया करें।

श्री अध्यक्ष:— नेक्स्ट।

प्रश्न १३३

१५ जनवरी, १६५६ तक एकाउन्टेन्ट ग्रेड में राज्य सेवा आयोग की स्वीकृति एवं बिना स्वीकृति से लिये गये व्यक्ति

श्री चांदमल मेहता:—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(१) १५ फरवरी, १६५६ तक कितने व्यक्तियों का नई एकाउन्टेन्ट ग्रेड में पोस्टिंग किया जा चुका है ?

(२) जिन व्यक्तियों का एकाउन्टेन्ट ग्रेड में पोस्टिंग किया जा चुका है उनमें पी. एस. सी. से सिलेक्टेड कौन २ हैं और पी. एस. सी. की रिपोर्ट में मेरिट्स के आधार पर उनका कौनसा स्थान है ?

(३) ऐसे कौन कौन कर्मचारी हैं जो पी. एस. सी. के सिलेक्शन के बिना लिये गये हैं ?

(४) उक्त कर्मचारी पोस्टिंग के पूर्व किस किस स्थान पर काम करते थे और उन्हें क्या वेतन मिलता था ?

(५) ऐसे २ कौन कौन कर्मचारी हैं जो पी. एस. सी. में असफल घोषित किये गये और उनका एकाउन्टेन्ट केडर में पोस्टिंग किया गया है ?

(६) उक्त कर्मचारी पोस्टिंग के पूर्व क्या २ काम करते थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा:(वित्त मन्त्री)—(१) १५३ व्यक्तियों का।

(२) २३ व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भरती किये गये व ११३ जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल हुए। इन सफल हुए व्यक्तियों का परीक्षा में योग्यता का स्थान उनके नाम के आगे मेज पर रखी हुई सूची में अंकित है ?

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(३) विलीन हुई इकाइयों के अनिर्वाचित ८ लेखाधिकारी व ६ कोषागार लेखापाल ।

(४) उनके पोस्टिंग के पूर्व स्थान व वेतन कि सूची मेज पर रख दी गई है ।

(५) कोषागार लेखापाल ।

(६) इसका उत्तर प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में सम्मिलित है ।

(कृपया परिष्टि १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जो व्यक्ति पी. एस. सी. के इम्तहान में असफल घोषित किये गये उनका अकाउन्टेन्ट के स्थान पर पोस्टिंग किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं : एक तो वे जो पहले अकाउन्ट ऑफिसर्स थे और उनको राजस्थान पी. एस. सी ने सिलेक्ट नहीं किया, इसलिये इस केडर में स्थान रखना आवश्यक है इसलिये इन अकाउन्ट्स आफिसर को अकाउन्टेन्ट की जगह दी गई । दूसरे सिर्फ वे लोग हैं जो कि पहले ट्रेज़री में अकाउन्टेन्ट थे । उनका केडर भी भिन्न था । जिनको सरकार ने दूसरे पार्ट ए स्टेट्स में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया । वे वहां से डिफरेन्ट ट्रेनिंग पाकर आये थे और पी. एस. सी में नहीं आये थे उनको रखा गया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया गया था कि जो व्यक्ति पी. एस. सी. के सिलेक्शन में नहीं आयगा उसको अकाउन्टेन्ट की पोस्ट पर नहीं लिया जाय और उनको नीचे का ग्रेड दिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पी. एस. सी द्वारा जो राजस्थान अकाउन्ट्स सर्विस में नहीं आये उनको नीचे का ग्रेड दिया गया । ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट थे जो सब्स्टेन्शियली अकाउन्टेन्ट के पोस्ट पर थे । उन पर सरकार द्वारा रुपया खर्च किया गया और पांच ए क्लास स्टेटों में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया और वहां से ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको स्थान देना जरुरी था इसलिये दिया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनका इतना अनुभव होते हुए भी ट्रेनिंग पाये हुए होने पर भी पी. एस. सी के इम्तहान में असफल हो गये तो जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें यह बात नहीं थी कि ट्रेज़री अकाउन्टेन्टस के लिये यह नियम लागू नहीं होगा तो फिर उन लोगों को अकाउन्टेन्ट के पद पर क्यों लिया गया ?

[श्री चांदमल मेहता]

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनको दुबारा ट्रेनिंग दी गई। हमारे यहां से दुबारा रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया और फिर रखा गया।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या उनको दुबारा पी. एस. सी. से कनफर्म करवाया या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आवश्यकता नहीं थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपरडिवीजन क्लर्क थे और पब्लिक सरविस कमिशन के इम्तेहान में असफल हो गये, फिर भी उनका अकाउन्टेन्ट की ग्रेड में पोस्टिंग किया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वैसे तो सभी अपर डिवीजन क्लर्क ही थे लेकिन इनका साधारणतः अलग ग्रेड था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री नवलकिशोर नाम के व्यक्ति वास्तव में अपर डिवीजन क्लर्क ही थे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कहां के हैं?

श्री अध्यक्ष—किशनगढ के होंगे।

श्री चांदमल मेहता—आपने जो लिस्ट मुझे दी है उसमें पहला नंबर श्री नवलकिशोर ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट जयपुर १००–५–१३०–१०–२००।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ठीक है। ये ट्रेजरी अकाउन्टेन्ट थे। यु. डी. सं. थोडे ही थे।

श्री चांदमल मेहता—लिस्ट गलत दी जाती है इसीलिये तो सवाल करना पडता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह जो लिस्ट है सही सारी किताबों से इन्फोरमेशन लेकर करके बनायी गई है। आपके दिमाग में सही लिस्ट नहीं आती तो अफसोस है, मैं क्या करूं?

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस तरह के रिमार्कस जो सवाल के जवाब में कसे जाते हैं, क्या उचित हैं?

Page No 21

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सदस्य ने जो इन्फोरमेशन चाही वह दी गई। उस पर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह लिस्ट गलत है जब कि हमने सब इनफोरमेशन इकट्ठी करके दी है और वह सही है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मंत्रियों को जब इस प्रकार के रिमार्क्स कसने का अधिकार है तो हमको भी इसी प्रकार रिमार्क्स कसने का अधिकार है।

श्री जसवन्तसिंह—जरूर।

श्री चांदमल मेहता—मैं इस सम्बन्ध में थोडा अध्यक्ष महोदय का निर्णय चाहूँगा कि जो प्रश्न किया जाता है माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय को उसका उत्तर ही देना चाहिये या रिमार्क्स इस तरह से देने का भी अधिकार है। अगर उनको इस तरह के रिमार्क देने का अधिकार है तो फिर हमें भी अधिकार है।

श्री प्रभुदयाल—मन्त्री महोदय ने कहा, वे उस पर कायम हैं न ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या १३४

बीकानेर से नापासर सड़क का निर्माण

श्री प्रभूदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बीकानेर से नापासर के लिये सड़क की मन्जूरी हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी रकम मन्जूर हुई ?

(ग) क्या सड़क का कार्य शुरू हो चुका है ?

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री रामचद्र चौधरी—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (क) नहीं।
(ख) (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभूदयाल—क्या यह सही है कि वहां के लिए रकम मन्जूर हो चुकी है ?

श्री रामचंद्र चौदरी—बीकानेर से सरदार शहर तक एक सड़क बननी है जो प्रोपोज्ड है। उसके बीच में नापासर आता है जो कि एक इम्पोर्टेन्ट टाउन है। इसलिए इस तरह से तो यहां भी सड़क बनेगी।

श्री प्रभुदयाल—इसके लिये कितनी रकम मन्जूर हो चुकी है ?

श्री रामचंन्द्र चौधरी—१६॥ लाख।

श्री प्रभुदयाल—यह काम कब से शुरू हो जावेगा ?

श्री रामचन्द्रचौधरी—यह प्रोपोज्ड है। जब मन्जूर हो जावेगी तब होगा।

श्री प्रभूदयाल—यह कब तक मन्जूर हो जावेगी, इसका फैसला कब तक हो जावेगा ?

श्री रामचंद्रचौधरी—एक हफ्ते में।

प्रश्न संख्या १३५

सवाई माधोपुर के चारों ओर १० मील तक के जंगल का ठेका देना तथा वहां के लकड़ी मजदूर सघ के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

श्री भैरूंसिंह—(१६) क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के चारों ओर दस मील तक के जंगल आज तक ठेके पर नहीं दिये गये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि अब ये जंगल ठेके पर दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग के कर्मचारी इन जंगलों में लकड़ी काटने वाले मजदूरों को परेशान कर उनसे नाजायज तौर पर रुपया कमाते हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि लकड़ी मजदूर संघ, सवाईमाधोपुर ने इसकी शिकायत चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को की है ? यदि हां। तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा, (मन्त्री वन विभाग) (क) जी नहीं। जंगल ठेके पर दिये जाते थे।

(ख) जंगल अब भी ठेके पर दिये जा रहे हैं क्योंकि दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(घ) जी हां। उनकी शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाया गया लेकिन उनकी सहायता के लिए उनको यह परामर्श दिया गया था कि संघ के सदस्यों को हिदायत कर दें कि अनियमित कटान बन्द करके एक सहकारी समिति का निर्माण कर लें और जंगल का कोई कूप हर साल ले लें।

श्री भैरूं सिंह—जयपुर रियासत के समय में उन जंगलों को ठेके पर नहीं दिया जाता था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरी सूचना तो यह है कि दिया जाता था।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट के सामने मजदूर संघ ने शिकायत की कि अभी तक ये जंगल ठेके पर नहीं दिये गये ? क्या अब भी नहीं दिये जावें ? उनको आश्वासन भी दिया गया कि आइन्दा ठेके पर नहीं दिया जावेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। उनकी एप्लीकेशन की नकल मेरे पास है, उस में देख लूंगा।

श्री भैरूं सिंह—हां, देख लीजियेगा।

श्री बृजसुंदर शर्मा—इसमें तो यह लिखा है, लेकिन यह जंगल ठेके पर दिया जाने का डिमार्केशन हो रहा है इससे हमारा भविष्य अन्धकारमय दिखाई दे रहा है।

श्री भैरूं सिंह—उनके डिमार्केशन से यह मतलब था कि नया डिमार्केशन हो रहा है इसलिए नया डिमार्केशन नये ठेकों के लिए ही हो सकता है, तो इन ठेकों का विरोध उन्होंने किया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि डिमार्केशन फोरेस्ट का, नया सैटलमेन्ट हो रहा है, उसके अन्तर्गत हो रहा है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह ध्यान में है कि इस प्रकार जंगल को ठेके पर देने के कारण वहां के लकड़ी मजदूर सारे के सारे बेकार हो गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में यह होता था कि गधों पर काट काट कर, लकड़ी लाद कर ले जाते थे इस पर ऐतराज किया गया कि उस तरह से इल्लिसिट फालिंग दरख्तों का मत करो। पर उनके गुजारे के लिए हमने आश्वासन दिया और कहा कि इसका इन्तजाम हम करेंगे और उनके लिए अलग से कूप कर देंगे ताकि सब जगह काट-काट कर जंगल को खराब न कर दें।

श्री भैरूं सिंह--क्या यह सही है कि जंगल के ठेकेदारों ने उन लकड़ी मजदूरों के सिर पर लकड़ी लाने से मना कर दिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या इससे यह मान लिया जावे कि सिर पर लकड़ी लाने की और बेचने की इज़ाजत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गली, पड़ी और सूखी लकड़ी लाने की इज़ाजत है। किसी पेड़ को काट कर लाने की इजाजत नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—तो क्या इस प्रकार की लकड़ी गधे पर भी ला सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं, गधे पर लाने के लिये और जगह तो हमने रोक लगा रक्खी है। सवाई माधोपुर में भी अगर नहीं है तो रोक लगा देंगे।

श्री भैरूं सिंह--इसमें इज़ाजत देने में सरकार के पास कौन सी ऐसी कठिनाई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फर्क यह पड़ता है कि जो व्यक्ति गधे पर ऐसी लकड़ी लाता है तो इससे काफी लकड़ी बाजार में आ जाती है और जो गरीब आदमी सिर बोझे पर लाते हैं, जिनके पास गधे भी नहीं हैं, उनको फिर लकड़ी नहीं मिलती। तो उनसे भी अधिक गरीब जो लोग हैं उनके लिये यह प्रोटेक्शन देना आवश्यक है।

श्री भैरूं सिंह--लकड़ी मजदूर संघ ने यह भी मांग की थी कि ऐसी लकड़ी गधे पर भी लाने की उनको इजाजत दी जाय, क्या यह सही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें तो सभी तरह के लोग हैं। पर फिर भी सिर बोझे वालों को और अधिक गरीबों को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा किया गया है।

श्री भैरूं सिंह—लकड़ी मजदूर संघ को क्या सरकार ने मान्यता दी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मान्यता तो किसी भी संघ को देती नहीं है सरकार। जो रिप्रेजेन्टेशन देते हैं उनकी कठिनाई दूर करने की कोशिश सरकार करती है, अब इसको चाहे आप मान्यता समझें या कुछ भी समझें। जो बात वाजिब है उसको सरकार सुनेगी, अब वह चाहे संघ बनकर कोई सुनाने आवे या अकेला आवे।

श्री भैरूं सिंह—जब संघ के लोगों ने मिलकर यह कहा है कि गधे पर लाने की इज़ाजत

[श्री भैरूसिंह]

दी जावे तो फिर ऐसा कौनसा आदमी या अधिक गरीब बाकी बच रहता है जो सिर बोझे की बात कहे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप कैसे कह सकते हैं, बहुत से ऐसे पब्लिक के लोग हैं जो सिर बोझे पर लाते हैं और जिनके पास गधे नहीं हैं। वे सभी संघ में शामिल हों, यह नहीं माना जा सकता और फिर वे शामिल हों या नहीं, सरकार को तो उनका ख्याल करना ही पड़ेगा।

प्रश्न संख्या १३६

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनने वाली टांडा से नासिरदा थांवला होती हुई नेगड्या तक की सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने सम्बन्धी

श्री सरदारसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में टांडा से नासिरदा थांवला होती हुई नेगड्या तक सड़क की कोई स्वीकृति हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो वह कहां तक बन चुकी है और यदि नहीं बनी है तो क्यों ?

(ग) क्या उपरोक्त सडक का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) विचाराधीन अवश्य थी परन्तु अन्तिम रूप में जो योजना स्वीकृति हुई उसमें यह स्वीकृत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। यह कार्य उसमें प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या १३७

अप्रेल सन् १९५५ के पश्चात् रेन्ज ऑफिसर सवाई माधोपुर के विरुद्ध उसके द्वारा जुर्माना वसूल करने की रसीदें नहीं देने संबंधी शिकायतें

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 26

[श्री भैरोंसिंह]

(क) अप्रेल, सन् १६५५ से अब तक रेन्ज ऑफिसर सवाई माधोपुर द्वारा किन किन व्यक्तियों पर कितना कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त रेन्जर ने जितना रुपया लोगों से जुर्माने के रूप में वसूल किया उतने रुपयों की रसीद नहीं दी ?

(ग) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के निवासियों ने इसकी शिकायत चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट को की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क). १६६ व्यक्तियों से मुआवजा लिया गया है। सूची संलग्न हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। इस संबंध में कोई शिकायती पत्र इस विभाग में नहीं आया।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरूंसिंह (१६)—ऑर्डर का मतलब जुर्माना है या कम्पेन्सेशन ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कम्पेन्सेशन है। केस चलने के बजाय अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि हमारा फैसला यहीं कर लो तो वे केसेज़ कम्पाउन्ड कर लिये जाते हैं।

श्री भैरूंसिंह—तो ऐसा समझा जावे कि पेनल्टी से आपका मतलब है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हम तो कम्पाउन्ड करके कुछ वसूल कर लेते हैं उसको आप कम्पेन्सेशन कहिये या पीनाल्टी कहिए, कुछ भी कह लीजिये।

श्री भैरूंसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये कि पीनाल्टी लगाई गई थी या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह कोई पीनाल्टी नहीं है, जुर्माना भी नहीं है। केस को कम्पाउन्ड करते वक्त जो मुआवजा होता है वह मुआवजा लिया जाता है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि जितने व्यक्तियों के नाम इस सूची में लिखे हैं उन सब के केसेज़ कम्पाउन्ड कर दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उन्होंने कहा तभी किया गया है, जबरदस्ती नहीं किया गया है।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि उन्होंने चीफ कन्जरवेटर को लिखित में रिपोर्ट की है कि हम से जबरदस्ती केसेज़ कम्पाउन्ड कराये गये, और ज्यादा रुपया वसूल किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है ?

श्री भैरू सिंह—आपके पास की नहीं पूछ रहा हूँ। कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट के पास क्या कोई शिकायत की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनके महकमे से मेरे पास सूचना जरूर आई है, उसी के बेसिस पर मैं कह रहा हूँ।

श्री भैरू सिंह—कंज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट से सूचना आपको नहीं मिली हो, लेकिन क्या कंजर्वेटर ऑफ फारेस्ट को सूचना मिली है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रश्न का जवाब ऑफिसर्स भेजते हैं हमारे यहां और जो जवाब आया है वहां से वह इस तरह की सूचना के बारे में आया है।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार से लकड़ी-मजदूर-संघ ने एक अपना रिप्रेज़ेन्टेशन माननीय मंत्रीजी के समक्ष बूंदी जाते समय सवाई माधोपुर के स्टेशन हर १॥ माह पूर्व लिखित रूप में पेश किया था, और उसमें यह मांग की गई थी कि उनसे जबर्दस्ती कम्पाउन्ड कराये जा रहे हैं। उसकी जांच कराई जाय कि कितने रुपये वसूल किये गये हैं और कितने रुपये राज्य में जमा किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दरख्वास्तें सैकड़ों पेश होती हैं। उसका मुझे जबानी याद नहीं है। यदि कोई दरख्वास्त पेश की होगी तो उसको जांच के लिए भेजा होगा।

श्री भैरू सिंह—मैं यह पूछ रहा हूँ कि वह पेश की गई या नहीं। मैं, जांच करने के लिये भेजी गई या नहीं, यह नहीं पूछ रहा हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—स्पेसिफिक दरख्वास्त के लिये अलग से सवाल करें तो शायद मालूम हो सके।

श्री भैरोसिंह—मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है कि जो दरख्वास्त दी गई है उसमें यह मांग की गई है कि कितने रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये और कितने राज्य में जमा हुये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जनता की तरफ से यदि कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच भी होती है।

श्री भैरूंसिंह—यह प्रश्न में साफ है जिसका जवाब आपने नहीं दिया है। मेरे प्रश्न (ग) में मैंने पूछा है कि क्या चीफ कन्जर्वेटर के पास ऐसी कोई शिकायत आई थी? आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं। मैंने जवाब दे दिया है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह मैं मान लूं कि उन्होंने सवाई माधोपुर पर आपको कोई दरख्वास्त पेश नहीं की?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी तक तो यही समझ सकते हैं, जब तक कि मैं न कहूं कि वह मेरे पास आई है।

श्री भैरूंसिंह—मैंने अपने प्रश्न में स्पेसिफिक दरख्वास्त का नाम लिया है कि डेढ़ महीने पहले आपको सवाई माधोपुर के स्टेशन पर लकड़ी-मजदूर संघ के द्वारा एक दरख्वास्त पेश हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि केसेज़ हमसे जबर्दस्ती कम्पाउन्ड कराये जाते हैं और ज्यादा जुर्माना वसूल किया जाता है लेकिन खजाने में कम रुपया जमा कराया जाता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहां तक मेरा ख्याल है इस डेढ़ महीने में सवाई माधोपुर गया ही नहीं। डेढ़-दो महीने पहले तो क्या; अगर बरसात से पहले कभी गया हूं तो कह नहीं सकता।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १३८।

भीलवाड़ा में नये पॉवर हाउस के स्थापित करने की सभावनायें

श्री तेजमल बापना—Will the Minister for Public Works Deptt. please reply :—

I. When was "Cater pillar" Engine installed in Bhilwara power House? what is its capacity and what is the load thereof?

2. How many private and public connections were given thereafter and what is the monthly income and expenditure since then?

3. How many engines are there at present and how many of them are in working condition?

[श्री तेजपाल बापना]

4. When will the new Power house be constructed? What is the site finally settled and what material has been collected for that uptil now?

5. Is it posible for the new engines to start working in the next six months to meet the growing demand of the public?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) केटर पिलर सेट मार्च १६५५ में लगाया गया था। इसकी केपेसिटी ६० किलोवाट है। इस सेट के लगाने के बाद पीक लोड ८० से ६० किलोवाट रहता है।

(२) लगभग ११ कनेक्शन दिये गये। इस सेट के लगाने के बाद औसत महावारी आमदनी ३६१७ रुपया तथा खर्च ४७२३ रुपया है।

(३) इस समय भीलवाड़ा में ४ एन्जिन लगे हुये हैं और उनमें से केवल १ एन्जिन चालू है।

(४) भीलवाड़ा के नये पॉवर हाउस के लिये साइट का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक इस कार्य के लिये १०० टन सीमेंट और कुछ मात्रा में स्टील प्राप्त कर लिया गया है। दो डीजल इन्जिन पॉवर हाउस में पहुँच गये हैं।

(५) यह भीलवाड़ा के नये पॉवर हाउस की साइट का निर्णय हो जाने पर ही कहा जा सकता है।

श्री तेजमल बापना—कब तक निर्णय हो जायगा साहब साइट का?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जल्दी ही हो जायगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—साइट का निर्णय करने में दिक्कत क्या आ रही है? किस डिपार्टमेन्ट को तकलीफ हो रही है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—उसका कई विभागों का ताल्लुक पड़ता है। सबसे मिलकर काम किया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—एक साल से निर्णय नहीं हुआ साइट का, तो इसका क्या कारण है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसका निर्णय जल्दी ही किया जायगा क्योंकि एन्जिन भी वहां पड़ा हुआ रखा है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जो बात चीत चल रही है वह किस स्टेज पर है? कौन से डिपार्टमेंट ने इस निर्णय को रोक रखा है; इसकी स्टेज क्या है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने अभी निवेदन किया है कि इसका निर्णय जल्दी ही कर लिया जायगा।

श्री तेजमल बापना—आपने फरमाया है कि चार एन्जिन हैं उनमें एक ही काम कर रहा है। यह तीन खराब हैं तो एक से ज्यादा को काम पर नहीं लगाया जा सकता है?

श्री रामचन्द्र चौधरी—तीन एन्जिन खराब हैं इसलिये दो एन्जिन नये मंगाये गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य, श्री चांदमल मेहता, को जो कुछ मैंने कहा है उससे अगर कुछ दुख हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष — सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है:

१. **श्री भानुप्रतापसिंह**	वि. सं. १४ दिनांक ५. ३. ५६ से २१. ३. ५६ तक
२. **श्री शंभूसिंह**	वि. सं. १३६ ,, १३. ६. ५६ से १४. ३. ५६ तक
३. **श्री विजय सिंह**	वि. सं. १५८ ,, ५. ३. ५६ से सत्र के अन्त तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के अभ्यर्थी सदस्यों की सूचियें

श्री अध्यक्ष— मैं सदन में जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के अभ्यर्थी सदस्यों के नाम पढ़ कर सुना दूं।

[श्री अध्यक्ष]

जनलेखा समिति

(१) श्री संतोष सिंह कछवाहा, वि. सं. १३६ ।
(२) श्री हरिकृष्ण व्यास वि. सं. १६० ।
(३) श्री भैरूसिंह वि. सं. १६ ।
(४) श्री हिम्मतसिंह (अटरू), वि. सं. ६१ ।
(५) श्री नाथूराम मिर्धा वि. सं. ११३ ।
(६) श्री द्वारकादास पुरोहित वि. सं. ६२ ।
(७) श्री श्यामलाल गोयल वि. सं. १४४ ।
(८) श्री सज्जनसिंह वि. सं. १३२ ।
(९) श्री दुर्लभ सिंह वि. सं. ४० ।
(१०) श्री मथुरादास माथुर वि. सं. ६६ ।
(११) श्री कुम्भाराम आर्य वि. सं. ८० ।
(१२) श्री श्रीदास गोयल वि. सं. १४२ ।

श्री श्यामलाल गोयल ने अपना नाम वापिस ले लिया है ।

प्राक्कलन समिति

(१) श्री संतोषसिंह कछवाहा वि. सं. १३६ ।
(२) श्री रावत शंभूसिंह वि. सं. १३९ ।
(३) श्री जवानसिंह वि. सं. ६७ ।
(४) श्री भोपालसिंह वि. सं. २० ।
(५) श्री वेदपाल त्यागी वि. सं. १५७ ।
(६) श्री मंगलसिंह वि. सं. ६४ ।
(७) श्री मोतीलाल चौधरी वि. सं. १०६ ।
(८) श्री हरदेव जोशी वि. सं. ५३ ।
(९) श्री महाराज शिवदानसिंह वि. सं. १४० ।
(१०) श्री भीम सिंह वि. सं. १७ ।
(११) श्री तेजमल बापना वि. सं. १४९
(१२) श्री लालबहादुर वि. सं. ८०

[श्री अध्यक्ष]

(१३)श्री धर्मपाल वि. सं. ३७।
(१४)श्री भैरूसिंह वि. सं. ११।
(१५)श्री रामकरण जोशी वि. सं. १२५।
(१६)श्री गुलाबचन्द कासलीवाल वि. सं. १४८।

जो सदस्य अपना नाम अब वापिस लेना चाहें वे अभी सदन में वक्तव्य द्वारा वापिस ले सकते हैं, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर.... Time be extended for withdrawal till we rise for theday.

श्री अध्यक्ष All right, if better counsel prevails.

अनुदान की मांगों पर मतदान।

मांग संख्या— ६ सामान्य प्रशासन

श्री बृजसुंदर शर्मा (वित्त मंत्री)-(मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन के सबंध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १, ८६,०८,०००-रू. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब इसके ऊपर श्री श्रीदास गोयल अपना कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। लिस्ट नं० २, सीरियल नं० ६४।

(श्री श्रीदास गोयल के कटोती प्रस्ताव के ढूंढने में कुछ समय लगने पर)
Time is very short.

श्री चांदमल मेहता— लिस्ट नं०२ सर्क्युलेट नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य— अब आई है, साहब।

श्री अध्यक्ष— Should we reject it, if we are late. The list is circulated very late because the members placed the cut motions very late.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, मैंने इस कटौती प्रस्ताव द्वारा यह निवेदन किया है कि जो मौजूदा डिमान्ड है वह केवल एक रुपये पर रख दी जावे और उसका कारण मैंने रखा है, जिस प्रकार का फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में विद्यमान है उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे एक तलवार किसी बहादुर आदमी के हाथ में देश की रक्षा के लिये दी जाय तो वह व्यक्ति बहुत सेवायें करेगा लेकिन अगर वही तलवार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी जाय कि जो दूसरी प्रकार की मारकाट या गड़बड़ी में विश्वास करता हो तो वह उतनी ही हानि प्रद होगी। जहर वैद्य के हाथ में जीवन दान देता है लेकिन अगर दूसरे के हाथ में दे दिया जाय तो वह मर्डर करेगा और मैं मानता हूं कि जब तक नीलकंठ के रूप में पैदा न हो तब तक उस जहर को हजम करना आसान नहीं। मैं निवेदन करूं कि यह कटौती का प्रस्ताव मैंने बहुत सोच समझ कर, काफी अनुभव के बाद में रखा है और साथ में यह भी अर्ज करना हैं कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा सरकार में जितने काम करने वाले हैं सब एक से लेबल के हैं, ऐसा नहीं कहता। मुझे इस बात का फक्र है। मैं गौरांवित होता हूँ कि सरकार में ऐसे २ अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हैं और कर्तव्यपरायण हैं और इसी कारण से अभी तक हमारी नाव इस समुद्र में चल रही है, लेकिन यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि बहुत से अधिकारी इतने कर्तव्यच्युत हैं और अपने धन्धों में पक्षपात पूर्ण हैं कि उन्होंने हमारे राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कलंक लगाने की क्षमता रखी है। तो मैं यह प्रार्थना करूं कि यह जो कटौती का प्रस्ताव है इस पर मन्त्री महोदयों को विचार करना हैं क्योंकि सही रास्ते पर चलाने वाला है। उन्हें सोचना है कि आलोचना हो रही है तो आया वे आलोचनायें आलोचनाओं के कारण से हैं अथवा उनके पीछे कोई तथ्य है और यदि तथ्य है तो मैं निवेदन करूं कि हमने केवल कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया और कहा कि उनके पीछे यह है अथवा उनके केवल स्पष्टीकरण से या रीजनींग देने से खाना पूरी हो जायगी और उससे संतोष हो जायगा तो मैं मानता हूँ कि हाउस में एक गलत परम्परा कायम हो जायगी। आत्मा की आवाज की जरूरत है, कर्तव्य की पुकार है कि जैसी स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए केबिनेट के माननीय साथी कहां पर यह पानी मरता है और कहां पर यह गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने के लिये कटिबद्ध नहीं हैं और जैसा कि माननीय मित्रों ने कहा है कि फेवरेटिज्म की केबिनेट के मित्रों की जिम्मेदारी है और यह प्रथा कायम है तो उनको मानना चाहिये सोचना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये कि वास्तव में इसके पीछे कितनी सच्चाई है अथवा ढकोसला मात्र है।

मुझे अनुभव है कि हमारे जिले के कलक्टर जो हैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जिलाधीश इसीलिये कहलाते हैं। जिसके लिये उनकी जिम्मेदारी होती है, बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि लोग सुख और शान्ति से और ईमानदारी से रह सकें। और हर प्रकार की सुख सुविधायें उनको विद्यमान रहें मैं निवेदन करूं कि जिले में बहुत ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। उसके जिले को विकसित देखना चाहते हैं उदाहरण उपस्थित है। सवाई माधोपुर जिले के लिये अर्ज करू इस वक्त के कलक्टर की अर्ज कर रहा हूँ कि वे राजस्थान के

[श्री श्रीदास गोयल]

एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ शानदार व्यक्तियों में से एक हैं। जिस ढंग से जैसा कि सन्तोष वे दे रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उसके लिए इस गवर्नमेंन्ट के लिए फक्र की बात होनी चाहिये। साथ ही निवेदन करूं कि और भी मशीनरी है। जैसा कि मन्त्री लोग पूछ रहें हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि वे मिस्टर जाफरी हैं, आई. ए. एस. ऑफिसर हैं और उनकी तारीफ हर जगह है। जैसे कोई ईमानदारी से और ईश्वर का डर रखते हुए काम करता है उसी तरह से वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति ड्यू है वह ड्यू देना चाहिये ताकि हतोत्साहित न हो। साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पूर्व जो साहब पधारे, उनके साथी, दूसरे जो साथी थे, मेरी भी यह राय नहीं थी जयपुर से जाने वाले गये उनसे भी बात चीत हुई तो सवाई माधोपुर में जो उनके साथी थे तो उनके साथ गलत कोम्बिनेशन हो गया। एक आदमी सुस्त बैठा रहे, ला परवाही करे उसको हम छोड़ देते हैं लेकिन अगर एक आदमी की एक्टीविटीज अदरवाईज हैं और शासन व्यवस्था को कुशासन की ओर दौड़ाने वाला हो तो केबिनेट के मित्र ध्यान दें। जैसे दामोदर जी और बृजसुन्दर जी ने आपस में सोचा, समझा भी कि कौन है, मैं समझता हूँ कि जिनको वे दोनों मन्त्री अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे उनका पुराना सम्बन्ध है। एक तरीका है कि अगर राम राज्य कायम करना चाहते हैं, राम जैसा राज्य चाहते हैं तो तराजू में तोलकर जिसका ड्यू है उसको ड्यू देना है। मैं जैसे निवेदन करूं कि माननीय गृह मन्त्री जी ने घोषणा की और जैसी कि उनसे पहले भी प्रार्थना की गई थी कि करप्शन को रोकने के लिये सही कदम उठावें तो उन्होंने घोषणा की कि डिस्ट्रिक्ट में भी एन्टीकरप्शन कमेटीज बनाने जा रहे हैं और जो एम. एल. एज और हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि इस तरह से हम भ्रष्टाचार को बहुत हद तक खत्म करने में कामयाब हो जावेंगे। मैं निवेदन करूं कि आप साहबानों के पास में उनकी सर्विस बुक होती है, अधिकारियों के जो काले कारनामें होते हैं उनको आप टालिये मत, उन पर लीपा पोती मत कीजिये। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि केबिनेट के जिम्मेदार लोग गम्भीरता पूर्वक सोचें, उन पर विचार करें। जैसे अदालत में शहादतों पर गुनेहगार बच जाता है और बेगुनाह फंस जाता है, आप उस पद्धति को न अपनावें! आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाते है उसको चलाने के लिये दूसरी तरह का मापदंड आपको रखना है। मैं निवेदन करूं कि अगर आप ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो गैर-जिम्मेदार हैं, करप्ट हैं, तो उससे क्या लाभ होने वाला है राजस्थान का, और उन कर्मचारियों पर जो ईमानदार है, कर्तव्यपरायण हैं क्या असर पड़ने वाला है, राजस्थान में उनको क्या इनाम मिला। अगर इस प्रकार की चीजें ठीक नहीं होती हैं तो वे जो अधिकारी ईमानदार हैं हतोत्साहित होंगे, जो जन्मसिद्ध ईमानदार हैं, ईश्वर से डरते हैं आत्मा की आवाज को बुलन्द करके चलते हैं वे तो फिर भी किसी भी वातावरण में, किसी भी परिस्थिति में ईमानदार रहेंगे। जो लोग मध्यम रास्ते पर चलते हैं, अच्छे ढंग के सरकारी कर्मचारी हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, रास्ता बतलाते हैं तो ईमानदार से, ऐसे व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। लेकिन जहां दूसरी तरह से काम चलता है किसी को खुश करना, किसी तरह लाभ पहुँचा सके तो इससे बड़ा नुकसान होगा राजस्थान की जनता का। ये ऐसे लोग आजावेंगे जो समाजवादी ढांचे से मेल नहीं खावेंगे। मैं निवेदन करूं कि वैसा परसों निवेदन किया गया था कि

[श्री श्रीदास गोयल]

आयन्दा के लिये इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मान सरोवर बनावें जिसमें पवित्र गंगा हो। इस एडमिनिस्ट्रेशन को मानसरोवर की कीमत देने के लिये तैयार हैं तो, मानसरोवर बनाना चाहते हैं तो बद्रीनारायण बनाकर बांधना पड़ेगा और ऐसा मानता हूँ कि इसमें गंगा को भी ला सकेंगे और राम राज्य और सोशलिस्टिक पेटर्न को एस्टेब्लिश करने के लिये पूरे कामयाब हो जावेंगे। तो मैं प्रार्थना करूं कि ऐसी स्थिति में आपको यह विचार करना है कि जो गड़बड़ियें चल रही हैं उनको पूरी तरह से ठीक करना चाहिये। मैं अब आपको....

श्री अध्यक्ष—There are 30 persons who want to speak on this very item and if 15 minutes are given to every member there will be no end to this.

श्री श्रीदास गोयल—That is all right, but the General Administration is very a big item and the others are not so very important.

श्री अध्यक्ष—But you should now finish.

श्री श्रीदास गोयल—मेरा यह निवेदन करना था, मैं एक छोटी नजीर दूं कि एक जागीरदार के जंगल में एक वक्त दरख्त लगाने का सम्मेलन होता है तो हम उसमें भाग लेने सभी चले जाते हैं लेकिन आगे उसमें से कितने वृक्ष पनपे हैं, कितनों को पानी दिया जाता है, कितना काम करते हैं क्या यह बात किसी अधिकारी ने वहां जाकर पूछी है? दूसरी तरफ जागीरदार और ठेकेदार से मिलकर तीन चार लाख रु० की लकडी जंगल में से कटा दी जाती है ग्रीन ट्रीज कटवादी जाती हैं। जब मंत्री जी को सूचना देते हैं तो वे उनसे पूछते हैं लेकिन तीन चार साल से आज तक कोई सूचना नहीं आती और गोलमाल बीच ही में हो जाता है। एक दूसरे जंगल की बात में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जंगल में ग्रीन ट्रीज काटी जाती हैं इसलिये कि वहां काश्त की जायगी लेकिन कटने के बाद एक इंच भूमि पर भी काश्त नहीं की जाती। इस बारे में जब मंत्री जी को सूचना दी गई तो उन्होंने कहा मैं स्वयं वहां आकर देखूंगा। मैंने स्वयं ने जाकर देखा कि पेडों के बड़े बड़े तने कटे हुए सूखने को पड़े हुए थे वहां से लाखों रुपयों की लकडी काटली गई थी। कलेक्टर द्वारा ऐसा इन्तजाम किया गया कि आप वहां जाने नहीं पायें और वहां पर पेड़ कटते गये और राष्ट्रीय हानि हुई। मैं यह निवेदन करूं कि वहां के एस. डी. ओ. और कलेक्टर का बेजा काम्बिनेशन हो गया था। कलेक्टर उस एस. डी. ओ. को हमेशा तरजीह देता रहा। ऐसे व्यक्तियों के लिये आप कहें कि हमें तरक्कियां देनी है तो यह कहां तक न्याय होगा यह सोचने की बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनको तरक्की देनी चाहिये। जैसे १००० से १५०० की नयी ग्रेड्स कायम की गई हैं वे ग्रेड्स उन व्यक्तियों को देनी चाहिये जो उसके पात्र हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन ग्रेडस को देने से

[श्री श्रीदास गोयल]

पहले बड़ी गंभीरता से विचार करें और उन अफसरों के सरविस रेकार्ड को पहले देखें और यह भी देखेंगे कि हम हरेक सरविस वाले के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं। सरकारी मशीनरी को ज्यादा पवित्र बनाना जरूरी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास अपना कट मोशन पेश करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मैं अपने दोनों कट मोशन्स एक साथ मूव करदूं ?

श्री अध्यक्ष—दोनों एक साथ मूव कर दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के सिलसिले में जो मांग प्रस्तुत की गई है उस पर मेरे २ कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो इसलिये है कि श्रीमन् राजप्रमुख की इच्छा पर निर्भर विवेकानुसार खर्च करने के लिये जो १०,००० रु० की राशि रखी गई है वह अनावश्यक है और दूसरा कटौती प्रस्ताव इसलिये है कि राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह स्केल तय करने में अन्याय किया गया है।

सबसे पहले राजप्रमुख को खर्च करने के लिये १०,००० रुपये देने का जो प्रस्ताव है उस पर मैं दो शब्द कह दूं। पिछले समय का बजट बनाते समय तक कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि राजप्रमुख को अपनी इच्छा पर निर्भर विवेकानुदान देने के लिए कुछ राशि दी जाय। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट में १० हजार रुपयों की धनराशि का उल्लेख है। इस वर्ष भी बजट एस्टिमेट्स में इस प्रकार की धन राशि का उल्लेख है, मैं यह नहीं समझ पाया और न मैं इस बात को मानता हूँ कि राजप्रमुख को इस प्रकार की कोई धन-राशि देने की आवश्यकता है। यदि उनको कुछ करना है या किसी को कुछ देना-लेना है तो पर्याप्त धन-राशि पहले से ही उनको दी गई हैं, न सिर्फ प्रिवीपर्स के रूप में बल्कि राजप्रमुख अलाउन्स के रूप में भी जो दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा है और यदि उसका मुकाबला मद्रास, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के गवर्नर्स के ऊपर जो खर्चा उनका वेतन, समुच्युअरी अलाउन्स, भत्ता सब कुछ मिलाकर दो, सवा दो लाख से ज्यादा नहीं होता, किया जाय तो राजस्थान के राजप्रमुख को उन सबसे कहीं अधिक मिलता है। राजस्थान में राजप्रमुख की संस्था के ऊपर ६॥ लाख (साढ़े छः लाख) रुपये केवल भत्ते के रूप में खर्च होते हैं ? और सेक्रेटेरियट का खर्चा, मकान की मरम्मत आदि का खर्चा अलग है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझ पाता कि यह १०,००० रु० की और राशि उनके अधिकार में रहने की क्या आवश्यकता है ? उनके विवेक पर खर्च करने के लिये इतनी राशि और दी जाय इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता, इसलिये मेरा पहला कटौती प्रस्ताव इस सिलसिले में है।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की तनख्वाह के स्केल के बारे में।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बजट पर आम बहस हो रही थी उस समय भी इस प्रश्न का जिक्र हुआ और सारी बहस का उत्तर मुख्य मंत्रीजी ने दिया और इस बारे में जब वे जवाब दे रहे थे तब उन्होंने वे आधार प्रस्तुत किये जिनको लिया पर सदन में विचार व्यक्त करते समय उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी समाज व्यवस्था के लिये लगातार प्रयत्न हो रहा है और मैं उससे भागना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि इस स्टेन्डर्ड के आधार पर बन सके । उन्होंने उल्लेख किया ऐसे मुल्कों का जो उन के ख्याल से पिछले ३०-४० वर्षों से समाजवादी व्यवस्थाका परीक्षण कर रहे हैं और जहां तक याद है उन्होंने सदन में यह भी कहा कि सोवियट यूनियन में जहां ३०,४० वर्षों से समाजवादी व्यवस्था का परीक्षण चल रहा है, वहां कम से कम तनख्वाह ५०० रूबल और ज्यादा से ज्यादा तनख्वा २००० रूबल है ऐसी उनको सूचना मिली है । मैंने कोशिश की कि जो कुछ उपलब्ध सूचना हो उसके आधार पर यह वेरिफाइ कर पाऊं कि जो आंकडे मुख्य मंत्रीजी ने दिये वे कहां तक सही हैं क्योंकि उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी कि कौनसी जगह से ये आंकडे प्राप्त किये, इसका उल्लेख नहीं किया । लेकिन मुझे कम से कम ऐसी सूचना प्राप्त हो पाई । अलबत्ता कुछ सूचना जो प्राप्त हुई वह इस प्रकार हुई कि इंजीनियर्स, राइटर्स, एकेडेमिसियन्स, प्रोफेसर्स और दूसरी कुछ केटेगरीज हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर्स नहीं, जिनके लिये स्पेशल तनख्वाओं का प्रोविजन है । लेकिन एक बहुत माने हुए ब्रिटेन के अर्थ शास्त्री सिडनी एंड वेब हैं उनकी पुस्तक का आधार प्रस्तुत कर रहा हूं । उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोवियट कम्युनिज्म इन न्यू सिविलिजेशन जो तीन वोल्युम्स में प्रकाशित हुई है । उसमें यह दर्ज किया है कि यह सारा का सारा डिफरेन्स ११ गुना से ज्यादा नहीं है और यह भी कहा है कि यह जो डिफरेन्स है, रुबल्स के आंकडों में फर्क है वह फर्क यदि वस्तु स्थिति में जावें तो कम हो जाता है, इस वजह से कि आवश्यक वस्तुऐं चाहे वे खाने की हों, चाहे पीने की हों चाहे कपडे हो, चाहे मकान, लाइब्रेरी, क्लब और इस के अलावा आवश्यक चीजें शिक्षा, दवाई वैगेरह चाहे किसी कीमत की हो, आवश्यक चीजों के लिये एक किस्म का रेट्स हैं । ऐसा कहा जाता है कि रिटेल रेट बाजार के आम रेट के मुकाबले में २० गुणा कम कीमत है । और दूसरा, जिसे कहा जाता है लग्जरी का है । उनको चीजें इस प्रकार बढ़ी–चढ़ी कीमतों में मिलती हैं । यह इसलिये कि सामाजिक जीवन स्तर के लिये देखा जावे तो दोनों डिफरेन्सेज बहुत कम रह जाते हैं । अब मैं आपको एक बात बतलाता हूँ । पंडित सुन्दरलालजी ने अपनी चीन यात्रा का अनुभव बताया और इस पर पुस्तक लिखी है उनकी वह पुस्तक देखने का मौका मिला । जब वे चीन गये थे और उन्होंने जो लिखा हैं उसके अनुसार मालुम होता है कि चीन में भी सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह में फर्क है लेकिन छोटे से छोटे कर्मचारी का वेतन १५० रु० है और चीन के राष्ट्रपति जो शायद सारे मुलाजिमों से चीन में सब से ऊंचे गिने जाते हैं और आर. ए. एस और आई. ए.स. से ऊंचे होते हैं, उनको सब मिला कर ६५०) मिलते हैं। यह चर्चा पंडित सुन्दरलालजी ने अपनी पुस्तक में लिखी है । मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई....

श्री जयनारायण व्यास—अगर इसके अलावा दूसरे फैसिलिटीज भी बतावें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरी फैसिलिटीज कहीं कम हैं और कहीं ज्यादा हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि कपड़ों का राशन सबको इश्यू होता है उसी प्रकार उनको भी होता है और दूसर फैसिलिटी दूसरों को होती है उनको भी है। हां मात्रो से तुंग को अलबत्ता डॉक्टर के आने जाने के लिये मोटर फ्री हैं। दफ्तर उनको भी बस में अपने पैसों से बैठ कर जाना पतड़ा हैं। मैंने पंडित सुन्दरलालजी ने जो लिखा वह बताया है। अगर मैं किसी कोम्युनिस्ट विचार-धारा के समर्थक व्यक्ति की बात करता तो इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले कि आपकी आइडियोलीजी है आप मानते हैं कि अच्छी है। लेकिन मैंने उस व्यक्ति का नाम न ले कर जान बूझ कर पंडित सुन्दरलाल का नाम लिया है और फैबियन सोशीलस्ट सिडनी...........का नाम लिया है। इसीलिये दूसरे का जिक किया है और कोम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। यह सब देखने के बाद मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुख्य मंत्री दूसरे मुल्कों में जो परीक्षण हो रहे हैं उस पर विचार करने के लिये और देखने के लिये तैयार हैं कि कही ऐसी चीज हो सकती है कि जो उनको पंसन्द आए। मगर जहां जहां परीक्षण हो गये है वहां के परीक्षण का नतीजा देखने का मौका आया है लेकिन फिर भी आप गंभीरता से उन पर विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि जहां जहां पर समाजवाद का परीक्षण हुआ है उस स्थिति को ठीक करार देने के लिये प्रयोग में ले लिया जाना चाहिये।

अब में आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करूंगा, और वह यह है कि प्रश्न यह है कि मेग्जिमम और मिनिमम में कितना गुना कम बढ़ा है यह कह देना कि बढ़ा है या कितना गुना बढ़ा दिया गया है, डिसपेरिटी कम की गई है, यह पोजर (poser) बुनियादी तौर पर गलत है। प्राइमरीली आप देखें कि नीचे से नीचा सरकारी मुलाजिम हैं, कोई भी आदमी जो काम करता है और जिसे हम कहते हैं कि नीचे से नीचा स्तर का काम करता है उसे जीवन योग्य वेतन उपलब्ध होता है या नहीं यह देखने की बात है। जब हम living wage standard पर पहुंच जावें तो उसके बाद फिर यह बात मानी जा सकती है कि डिसपेरिटी कितनी रही। लेकिन पे स्केल में राजस्थान सरकार के सिद्वान्त में सबसे बड़ी गलत बात मालूम हुई वह यह है कि उन्होंने पहले सिद्धान्त को तलाक देदी। जीवन योग्य वेतन कायम नहीं किया और मैं ऐसा दावा करता हूं कि भारत में आज तक जितने भी जांच कमीशन हुए हैं, चाहे १९४० की रावकमेटी ने चाहे १९४६ की रीगे कमेटी सी.पी.सी. हो या कोई ट्रिब्नल्स चाहे वह बोम्बे में हुई हो या मद्रास में कायम हुई हो।

(घंटी)

कुछ समय और मिलना चाहिए।

आप उन कमेटियों की रिपोर्ट को देख लीजिए। उनके निर्णय के मुताबिक यदि आप १९३९ की वेज प्राइस लेंगे तो मैं यह कहूँगा कि उस हिसाब से उन्होंने ३०) कायम किए हैं।

आज भारत में इन्डेक्स नम्बर के आंकडे हैं उनको अगर आप देखेंगे और मैं तो यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहूँगा कि भारत के वित्त मंत्री चिन्तामणी देशमुख ने बताया कि यह ३६६ है जो सौ रुपया के अनकरीब है और यह पिछले तीन महीनों का एवरेज है। इसके मुताबिक सामान्य से सामान्य आदमी को उस समय के ५ रुपए के नजदीक पहुँचेगे महगाई भत्ता मिला कर। अब आप देखिए कि किससे मुकाबला करें। जब आप खुद, यह कहते हैं कि हमारे पास साधनों की कमी है जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर कई बार कहते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो हमें हमारे जो सीमित साधन है उन्हो में काम करना है तो हमें प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए इसके अलावा दूसरी और जो दरें मुकर्रर हैं वह क्या न्यायपूर्ण है। मेरा यह कहना है कि जब हमारे यहां साधनों की कमी है तो हमें प्रायोरिटी सामान्य व्यक्तियों को देनी चाहिऐ।

इसके अलावा दूसरी चीज यह कही गई कि कई केटेगरीज में इन्क्रीज आपको मिलेगा और नीचे तनख्वाहा पाने वाले चाहे वह क्लर्क हो या चपरासी हों या ऐसे लोग हों जो काम करते हैं उनको भी इन्क्रीज मिलेगा। मेरे सामने शिक्षकों की स्थिति है जो प्रस्तुत की गई है और शिक्षक लोगों ने यह प्रार्थना की है उनका यह कहना है कि इन्टर का ग्रेड पहले ७०, ४, ६० था और अब आपने उसको ७० से १०० रख दिया। आप देखेंगे कि मिनिमम तो वहीं का वहीं है। मेट्रिक के ग्रेट ५०, ४, ७५ से ६०, ४, १०० और मिडिल के ४५ ५०. २, ५५ ४०, ४, ७०, ५, ८० कर दिये। यह भी कहा गया कि ये सब मुलाजिम काफी अर्से से, सालों से नौकरी कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने कुछ इसअरसनाय में इन्क्रीजमेन्ट हासिल कर ली होगी। जो शिक्षक ५, ७, १० साल से नौकरी कर रहे हैं और जिसे पहले ४५, २, ५५ का ग्रेड मिला हुआ था उसने अवश्य ही इन वर्षों में ५ या ७ रुपये की तरक्की पाई होगी। और अब आप उसको ५, ४, ७० के ग्रेड दे रहे हैं यह कहां तक वाजिब है। उसको कितनी इन्क्रीमेंन्ट मिलेगी यह पता नहीं। यही समस्या लोअर डिवीजन कल्कों की है यही समस्या एक चपरासी की है जिसे पहले २५, १, ३५ का ग्रेट रखा गया था और अब २५, १, ४० का रखा है उसको इन्क्रीमेंन्ट क्या मिलेगा।

मैं यह समझता हूँ कि इस विषय पर काफी विचार हुआ और लगातार यह कोशिश की गई कि हमने जो निर्णय किया है उसको आप ठीक तरह से देखें। माननीय अध्यक्ष, मैं इतना ही कहूंगा कि आपके निर्णय को आंकने वाले केवल हम लोग ही नहीं हैं, मगर सारे के सारे ८० हजार मुलाजिम हैं और उन पर निर्भर उनके परिवार के १।। लाख लोग हैं। आप सही माने या नहीं मानें लेकिन उनके दिलों में आज जितना असंतोष हो रहा है आप उसे नहीं जानते। मैं लोगों के नाम तो नहीं बता सकता लेकिन लोगों ने लगातार पत्र भेजे हैं उसके हेडिंग आप पढ़े तो आपको मालूम होगा कि क्या स्थिति है। वे लिखते हैं कि खोदा पहाड और निकली चुहिया। फिर लिखते हैं कि लगातार आश्वासनों से (अश्रव्य) पेट भर गया लेकिन जब काम करने का वक्त आया तो तमाचा मारने के सिवाय और कोई नहीं। एक नहीं, बीसियों आपके नीचे काम करने वाले लोगों से आप पूछिये, उनके प्रतिनिधियों से पूछिये और उनसे मिलिये और तब आप इस बात का अन्दाजा लगाइये।

Page No 40

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और बाद में इस बात का अन्दाज लगाइये यह सदन का काम है । मैं समझता हूं कि एक जीवन स्तर कायम होना चाहिये और उसके बाद उन्नति के स्तर की ओर ले जाने का प्रयत्न किया जा सकता है । लेकिन सरकार ने इस निर्णय को आधार नहीं माना है । अब भी समय है मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आज भी उनके सामने मौका है, आज भी वे ऐसा कर सकते हैं, आज जब कि सदन के हर माननीय सदस्य की यह राय है कि ग्रेडों में परिवर्तन होना चाहिये तो मैं समझता हूं बिना हिचकिचाहट के जो राजस्थान में इन ग्रेडों की प्रतिक्रिया हुई उसको देखते हुए हम पांच रुपये १० रुपये या जो कुछ भी उचित समझें इन्क्रीमेंट हर केटेगरी के ग्रेड को देने की घोषणा कर सकते हैं । अगर आप रिवीजन ऑफ ग्रेड में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करना चाहते हैं तो एक कमेटी नियुक्त कर दें और जो वह राय दें उसे मान लें १५ दिन के भीतर उसको अपनी राय देने का समय दे दें तो मैं निश्चित समझता हूं वह कमेटी यही राय देगी इस प्रकार के जो ग्रेड्स बढ़ाये गये हैं उनका बदलना आवश्यक है । बदले बगैर जो असंतोष है वह गैर वाजिब नहीं ।

अन्त में मैं, माननीय अध्यक्ष, कुछ बातें ऐसी हैं जो माननीय मुख्य मंत्री ने कल अपने भाषण में कहीं । उसी सिलसिले में मैं उचित समझता हूँ कि कुछ दो चार शब्द कह दूं अभी समय और स्थिति भी मुझे ठीक नजर आ रही है । इसलिए जो अनियमितता या भ्रष्टाचार अथवा इसी प्रकार की चीजों का जहां तक उल्लेख है उसके बारे में तफसील से कटौती के प्रस्तावों के वक्त में जाऊंगा । आज एक दो चीजों का जिक्र किये बगैर नहीं रह सकता यह सदन के साथ अन्याय होगा । कल इस मामले में बहस हुई थी उस समय उसका जवाब देने के लिए समय की कठिनाई पैदा हो रही किन्तु आज तो एक मिनिट का समय मिल ही जायगा । इस सिलसिले में निवेदन कर दूं जिस समय श्री कुम्भारामजी मंत्री थे उस समय एक ट्रेक्टर एग्रीकल्चर विभाग का उनके घर काम करने के लिये गया । मुख्य मंत्री ने इस संबंध में जवाब देते हुये कहा ऐसी कोई बात नहीं थी लॉग बुक में मौजूद है और एन्ट्री भी है ।

उन्होंने इस चीज को इस तरह बताने की कोशिश की कि इस शिकायत में किसी प्रकार का तथ्य नहीं है । इसलिए वे सारे के सारे वाकेआत सदन के सामने अर्ज कर दूं । सदन ही निर्णय कर ले कि मैंने कहा उसमें तथ्य है या नहीं ।

जुलाई की बात है उस समय वह ट्रेक्टर गया था । मैं एक चीज कहता जा रहा हूँ माननीय मुख्य मन्त्री नोट कर लें । तारीख १।७।५५ को एक ट्रेक्टर श्री कुम्भारामजी के फारम पर काम करने गया । उस समय कुम्भारामजी की कोई अरजी नहीं थी अगर मेरी यह बात गलत हो तो स्पेसिफिकली कहा जाय । विभाग में यह नियम है कि अरजी आने के बाद एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं उस केस में किसी प्रकार एस्टीमेट नहीं बनाया गया । विभाग का यह नियम है कि एस्टीमेट बनने के बाद संबंधित व्यक्ति को यह कहा जाता है कि अमुक अमुक राशि डिपोजिट की जाय । उस केस में विभाग ने न तो संबंधित व्यक्ति से, अर्थात् श्री कुम्भारामजी से, न तो इतनी रकम डिपोजिट कराने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को ही लिखा और न उन्होंने की। विभाग में यह भी नियम है अध्यक्ष महोदय, कि जब काम चालू होता है उसका जोब खोला जाता है और जितना मेटीरियल इश्यू होता है उसे जोब के अन्दर दर्ज किया जाता है और उसी के मुताबिक बिल बनता है। इस केस में मेटीरियल इश्यू हुआ या नहीं यह नहीं कहा जा सकता, यह कहा जा सकता है कि मेटीरियल इश्यू ही नहीं हुआ। अगर इस केस के तफसील में जाने को तैयार हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कोई जोब नहीं खोला गया। इसके लिए यह कहा जायगा कि इन नियमों में किसी के लिए दुर्लक्ष भी हो सकता है। मुख्य मंत्री महोदय गौर से सुन लें अगर कुछ बड़े आदमियों के लिये दुर्लक्ष होता है लिहाज करके दुर्लक्ष्य की स्थिति मान भी लें। लेकिन यह ट्रेक्टर मथुरादासजी के गया, यही ट्रेक्टर श्री रामकरणजी के गया। इन दोनों की एप्लीकेशन्स मौजूद हैं, एस्टीमेट्स मौजूद हैं। डिपोजिट हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। मथुरादासजी के केस में तो नहीं यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जोब खुला है जोब में इश्यू के मुताबिक बिल बना है। मैं यह समझ नहीं पाया जब कि प्रमुख लोगों के केस में भी यह नियम बरते गये तो फिर एक परटीकुलर व्यक्ति के केस में इस प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

लोग बुक में अलबत्ता एन्ट्री हुई है, वह कैसे हो गई ? मैं बताऊं, अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस दिन ट्रेक्टर उनके फार्म पर जाने को था उस दिन उसका ड्राइवर नहीं था....

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष—एक मिनिट से पांच मिनिट, फिर दो मिनिट।

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी रखते हुए)—अध्यक्ष महोदय, जिस केस को मैं कह रहा हूँ उसको डिसकार्ड न कर दिया जाय इसलिये मैं तफसील में अर्ज करना चाहता हूँ, जिस दिन ट्रेक्टर जाने की नौबत आई ता. २७ को टेलीफोन के बाद। एक तारीख के दिन जिस दिन वह ट्रेक्टर गया उस दिन उस ट्रेक्टर का ड्राइवर मौजूद नहीं था तब कम्प्रेसर यूनिट में काम करने वाले एक व्यक्ति को अगर उसका नाम जाना चाहें तो उसका नाम भी मेरे पास मौजूद है। वह व्यक्ति कम्प्रेसर और ट्रेक्टर ड्राइवर दोनों का काम जानता था। उसको बुलाकर कहा गया कि यह ट्रेक्टर लेकर चले जाओ, हालांकि नोर्मल ड्यूटी उसकी नहीं थी। उसने कहा कि जब कम्प्रेसर या ट्रक लेकर जाता हूँ तो मुझको टूर पर गिनते हैं और उसके लिए भत्ता भी मिलता है। आप मुझे भत्ता दिलवाओगे या नहीं, तो वहां के अधिकारी ने कहा भत्ता तुम्हें दिलायेंगे। तो उसने कहा लिखकर दे दो। उसको एक हुकम लिखकर दिया गया और कहा गया कि तुम प्रोसीड करो दुर्गापुरा के नजदीक जहां कुम्भारामजी का फार्म है उस पर उसने कहा कि महरबानी करके आप मेरे को टूर पर गिने तो। यह जो लोग बुक में लिखा है वह टूर का प्रोटेक्शन करने के लिए लोग बुक में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एन्ट्री कर दी ताकि यह उस व्यक्ति को बता सके कि यह ट्रैक्टर लेकर मैं ओन टूर था। सिवाय इसके कि उसको टूर का अलाउन्स जो भी हो वह मिलता रहे। मेरा यह दावा है कि एक भी एन्ट्री उस समय की विभाग में दिखा दी जाय कि यह नोर्मल ट्रान्जेक्शन था तो मैं मेरी गलती के लिए सदन से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। मथुरादासजी और रामकरणजी के केस में जो जो प्रोसीजर फोलो किया गया वह क्यों नहीं फोलो किया गया। आप ही जवाब दे दें, नियमानुकूल यह करना ठीक था या नहीं ? बिल बन रहे हैं। मेरे सदन में कटौती के प्रस्ताव के देने के बाद जवाब दिया गया कि बिल तो बहुत पहले बन चुके थे। मेरा दावा है कि मेरे द्वारा असल कागज देने के बाद बिल बने हैं। मैं भोला-भाला यहां सदन में कह गया लेकिन परम्पराओं को निभाने के लिये तो वे तैयार नहीं। जब कि लीडर ऑफ दी हाउस ने कहा मेरे नोटिस में लाया जाय, मैं दौड़कर उनके पास गया और उनके नोटिस में लाया। आज भी वे ओरीजिनल कागजात मेरे पास मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य—यह कहां से आगये ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह तो तूफान में उड़ कर मेरे पास आ गये और मैंने पकड़ लिये। इसके बावजूद भी अभी तक जांच नहीं हुई। अब आप कहते हैं कि कृषि मंत्री से बात चीत कर लें, अब किस बात के लिये मैं कृषि मंत्री से मिलूं मुझ से सारा रेकर्ड मांगा। मैंने आपको बता दिया कि अब आपका यह फर्ज था कि आप उस गलती को या तो गलती बताते। यह साफ बताता है कि आपका ट्रान्जेक्शन मेलाफाइडी था। आपको चाहिये था कि यह आप मेटेरियल इश्यू हुआ या नहीं इसकी जांच करते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने भोलेपन में वह सारा रेकार्ड बता दिया, उससे आपने इतना किया। भोलापन एक बार किया जा सकता है बारबार नहीं किया जा सकता। अब उसको भी रद्दोबदल करने की नौबत न आ जाय। एक चीज और मैंने परसों कही।

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो एक मिनिट में समाप्त कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री कुम्भाराम जी को चार हजार रुपये एडवांस दिये गये टी. ए. के पेटे, उसका हिसाब नहीं है, टेलीफोन के बिलों का हिसाब नहीं है जिसके बिना टेलीफोन का पैसा दिये बिना पड़ा है। अगर हो, तो दो दिन की मोहलत है माननीय मन्त्री महोदय को जवाब दे दें। वह दो दिन में तो याद नहीं आया अब तीन चार दिनों में कागजात बनेंगे। पर सूचना दे दूं कि एक पत्र ऐसा और मौजूद है जिसके नम्बर और डेट प्रस्तुत करने को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तैयार हूं। बशर्ते कि वह सदन की मेज पर रख दिया जावे। उस दिन तक न तो टेलीफोन का हिसाब हुआ न रजिस्टर बना है और न ही उस चार हजार का हिसाब है।

अब यदि ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चुप्पी साधी जावे तो ताज्जुब है। और भी कहूंगा समय की कमी के कारण नहीं कहा गया है। विभागों के बारे में जब कहूँगा तो तफसील से कहूँगा। तो जहां निश्चित सरकारी कागजों में निर्णय करने पड़े हैं उसको भी दुर्लक्ष किया जावे, रियायत बरती जावे और ढिलाई बरती जावे और सदन में कहा जाये कि कोई विशेष बात नहीं है तो मैं मानता हूँ कि परिस्थिति में गम्भीर स्वरूप की खामी है। तो इन शब्दों के साथ जो मित्रों ने प्रस्ताव रक्खा उसका भी समर्थन करते हुए मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल। दोनों प्रस्ताव कटौती के।

श्री प्रभुदयाल—अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ६, मेजर हेड २५ सामान्य प्रशासन के बारे में मेरा प्रस्ताव यह था कि हमने सामान्य प्रशासन में रकम तो बहुत ज्यादा रक्खी है। रखनी भी चाहिये। लेकिन जहां मैं देखता हूं कि पैसा इतना, वहां इन अधिकारियों का जनता के साथ रवैया बड़ा खराब है, वे जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और वह ध्यान दिलाने के लिए ही यह कटौती का प्रस्ताव मैंने रक्खा है।

इसकी मिसाल बताऊं कि इन अफसरों का रवैया लोगों के साथ कैसा रहा है। राजगढ़ के बारे में ७ महिने पहले डेवलपमेन्ट बोर्ड से करीब दो हजार रुपयों की मन्जूरी करवाई थी। लेकिन वह रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। मैंने इसके लिए जितनी कोशिश हो सकी कर ली, पर सब व्यर्थ।

एस. डी. ओ. और कलक्टर से मिला तो उन्होंने कहा तहसीलदार से मिलो। मैंने कहा है कि मैं तहसीलदार से कई बार मिल चुका हूं तो वे कहते हैं कि आप हमारे कहने से मिलो। मैं तहसीलदार से मिला तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पर कोई अफसर नहीं हो। आप किस तरह से यहां आये हो। आप बात नहीं कर सकते। आपको बात करनी है तो असेम्बली में सवाल करो, मिनिस्टरों को कहो। तो यह है व्यवहार उनका हमारे साथ और जनता के लोगों के साथ।

मैं कल की बात कहूं, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पी. ए. से मैंने कहा, सेक्रेट्री से मिलना चाहता हूं। उसने कहा आप बाहर चले जाइये। तो यह है रवैया इन लोगों का भी।

[श्री प्रभुदयाल]

इन लोगों को इतनी नफरत है हम लोगों से कि जिसकी हद नहीं। मुझे ताज्जुब है कि सेक्रेटरी के एक पी. ए. को इतना घमण्ड आगया कि पब्लिक के आदमी को वह इन्सान समझ कर बात भी करना नहीं चाहता। यह शर्म की बात है। वह फिर कहता है मेरे कहने पर कि आप चपरासी को चिट दे दीजिये। मैं एक घंटे भर से ऊपर तक खड़ा रहा पर इन्सानियत के नाते भी उसने चिट नहीं पहुँचाई, खड़ा रहा। यहां तक भी उसने नहीं पूछा कि आप किस काम से आये हैं और इन्सानियत के नाते बैठने को भी नहीं कहा। तो इस रवैये के लिये हमें बड़ा भारी दुख है।

मैं आपको और भी पी. डब्ल्यू. डी. अफसरों के बारे में बतलाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपका कट मोशन और ही है और आप बोल कुछ और ही रहे हैं।

श्री प्रभुदयाल—प्रशासन की इनइफीसियेन्सी के बारे में है, वही बोल रहा हूं। मैं पी. डब्ल्यू. डी.।

श्री अध्यक्ष—पी. डब्ल्यू. डी. की अलग मांग आवेगी, तब आप बोलना पी. डब्ल्यू. डी. पर।

श्री प्रभुदयाल—मैं रेवेन्यू के बारे में बोल रहा हूं। मैं तहसीलदार साहब के बारे में मैं कह रहा था।

(हंसी)

मैंने फिर शिकायत की एक यहां पर, टेलीग्राम भी तहसीलदार राजगढ़ के व्यवहार के बारे में दिया था। उसका ड़ेढ़ महीने के बाद जांच करने का कागज कमिश्नर साहब के पास पहुँचा है। तो यह इफीसियेन्सी है इस विभाग के अफसरों की। इसलिये प्रार्थना है कि इनकी न इफीसियेन्सी बढ़े उसमें सुधार हो, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इतना कहकर मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं। (हंसी) और आगे के लिए जो कुछ दिक्कतें हैं उनको सुधारने की कार्यवाही सरकार करे।

एक माननीय सदस्य—अभी तो मूव ही हो रहा है, वापिस क्या ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—श्री भवानीसहाय।

श्री भवानी सहाय—मांग संख्या ६, विषय २५-सामान्य प्रशासन (पक्षपात और

[श्री भवानी सहाय]

जातिवाद के प्रोत्साहन पर विचार करने के लिये) १००) रु० की कटौती का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कई अरसे से और सालों से इस हिन्दुस्तान का वाशिंदा हूं और इसके बाद ...

श्री अध्यक्ष—जन्म से नहीं।

श्री भवानी सहाय—राजाओं और अंग्रेजों के चले जाने पर एक सुख की सांस ली थी कि अब इस हिन्दुस्तान में बहुत ही अच्छी जिन्दगी बताई जावेगी। लेकिन आज उस जिन्दगी को भी देखने के बाद ऐसा नजर आता है कि शायद जैसी जिन्दगी जो उस समय बिताई गई उससे ज्यादा गन्दी हो गई है! आज की....

Sorry ("हियर हियर" की आवाज विरोधी पक्ष से)

अध्यक्ष महोदय, समय कम है, कहना काफी है इसलिये निवेदन यह है कि जो तारीफ मुझे यह मिल रही है उसको थोड़ी देर शान्तिपूर्वक अपने पास में रहने दें।

निवेदन यह कर देना है कि शासन चलाने के लिये आज बहुत ईमानदारी की जरूरत है। शासन चलाने के लिये डाकुओं से मिलने की जरूरत नहीं है, मित्रों से मिलने की जरूरत है, मित्रों से दूर भाग।

मैं देख रहा हूं कि समाज में वे कुरीतियां आ रही हैं जोकि अंग्रेजों के समय में न राजाओं में थी और न अंग्रेजों में थीं। मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि मैं सात साल जेलखाने में रहा हूँ अन्डर रेगूलेशन थ्री ऑफ १८१८ के तहत दिल्ली और इलाहाबाद में नजर बन्द रहा। पर मैंने तब भी ऐसा जमाना नहीं देखा। उस जमाने में इतनी ईमानदारी जरूर थी कि विरोधी को भी सुना जाता था। लेकिन आज? आज यदि कोई विरोध में बात करता है तो लोग तिलमिलाते हैं, जैसे कि उस जमाने में भी विरोध होने पर विरोधी नहीं तिलमिलाते थे। जिनके खिलाफ विरोध किया वह नहीं तिलमिलाते थे पर उनके चाटुकार, तनखा पाने वाले उनके अधिकार में चलने वाले, उनके साथ मिलकर कदम उठाने वाले, तिलमिलाते थे। उसी प्रकार इस सदन में लोगों को मैं तिलमिलाता हुआ देखता हूं।

बड़े अचरज की बात है महोदय, जो कि इस सदन के मुताल्लिक है। हम इस सदन में बोलने वाले हैं। हमें जनता ने भेजा है। हम किराये पर नहीं आये हैं। हमने वोट लिये हैं। हम उस वोट का अधिकार पूरा करने के लिए यहां बोलते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि आज शासन में जिस प्रकार पक्षपात पूर्ण तबादले हो रहे हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सा असर डालना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र की बात करता हूँ कि जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, मैं पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद उस

[श्री भवानी सहाय]

क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, वर्षों से कह रहा हूं। वहां का यह रवैया है कि वहां एक राजगढ़ (अलवर) तहसील में एक वक्त में दो दो तहसीलदार काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप यह बताइये कि तहसीलदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास चाबी है। मैंने कहाकि आज की जो भी भुगतान हुई है ट्रेजरी से वह किसने की है, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास चाबी है। मैंने कहा कि आज कौन कर रहा है इस कार्य को ? उन्होंने कहा कि शनिवार को ताली उन्होंने मुझ से ले ली थी और आज सोमवार है कल छुट्टी थी और आज एक और मेरे पास हुक्म आया है कि मैं यहां रुकूं और उनके पास ताली है। मैंने पूछा कि पेमेन्ट कौन करेगा, तो उन्होंने कहा जिसके पास चाबी होगी। मैंने कहा कि चाबी किसके पास है। उन्होंने कहा कि फलां के पास है। हमने उनको बुलाया। वह बुलाने पर आये, लेकिन मेरी ट्रेन का समय हो रहा था। मुझे असेम्बली अटेन्ड करनी थी। मैं वहां यह सीन देखकर चला आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे ध्यान में यह आया कि यदि ऐसे समय अच्छा होता कि गांधीजी होते तो मैं उनसे एक प्रश्न करता, और वह प्रश्न यह करता कि जिस दिन वे मुझे जेल से छुड़ा कर लाये तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारी रिवोल्युशनरी पार्टी से, (हमारी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी) उससे कांग्रेस संस्था बहुत अच्छी है। मैं उन दिनों २६ दिन के हंगर स्ट्राइक पर देहली जेल में था, भूख हड़-ताल पर था दिल्ली जेल में·······

एक माननीय सदस्य—आप खास बात कहिये।

श्री भवानी सहाय शर्मा—मैं खास बात ही कहूँगा लेकिन लोग इस प्रकार धीरे धीरे क्यों बड़बड़ाते हैं ?

(हंसी)

तो निवेदन यह है कि मुझे ताव आया नहीं करता है। कभी कभी आता है जब कि हमारे व्यक्ति गुर्राते हैं। तो निवेदन यह है कि जहां एक एक वक्त में दो दो तहसीलदार काम करते हों तब मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य कैसे चलेगा। मैंने यहां आकर निवेदन किया किसी महाशय से, किसी मंत्री से, कि आखिर बात क्या है ? वहां एक ही वक्त में दो क्यों हैं ? तो उन्होंने जवाब दिया कि फलां आदमी तो हमारी जरूरत का नहीं है और फलां को हम नहीं जाने देना चाहते हैं। वहां दो आदमियों को क्यों लटका रहे हैं, एक ही रहना चाहिए। आखिर वह निवेदन मान लिया गया और उनका तबादला हो गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छः महीने के अन्दर छः तबादले होते हैं तो कौनसा न्याय है, यह समझ में नहीं आया। यह मैं बतला दूं कि यह उनकी समझ का फर्क है या बोलने वाले की समझ का फर्क है या किसी और के अन्दर है। परन्तु वह दुरुस्त करना पड़ेगा, और अगर दुरुस्त नहीं होगी तो मैं निश्चय ही बता देना चाहता हूँ कि क्या क्रांति दूसरी जनता के नाम नहीं लिखी गई है, दूसरे मुल्कों के अमर

Page No 47

[श्री भवानी सहाय]

नहीं लिखी हुई है। मैं निश्चित तौर पर यह कह देना चहाता हूँ वह यहां भी हो सकती है, वह हिन्दुस्तान में भी लाई जा सकती है। वह हिन्दुस्तान में बम्बई में ही नहीं राजस्थान में भी हो सकती है। (हियर, हियर)

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने एक तबादले की बताई एक और बात बता दूं कि जिससे आपको अचरज होगा। मैं यह नहीं मानता था कि राजाओं के हटने के बाद और अंग्रेजों से भारत छोड़िये निवेदन कर देने के बाद, कि हमारे अच्छे दिन आयेंगे और अच्छे दिन आ भी गये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निश्चित तौर से मेरे दिमाग में यह सही बात थी।

(श्री हिम्मत सिंह अटरू, पदासीन)

डेमोक्रेसी में भेदभाव इतना आगया है कि एक डाक्टर की बात ले लीजिये। यह एक तहसीलदार की बात थी। एक डाक्टर है हमारे यहां और एक डाक्टरनी है। अस्पताल वहां मौजूद है, मर्दों का भी और औरतों का भी, और मवेशियों का भी है।

श्री सरदारसिंह—तीनों एक साथ हैं।

श्री भवानीसहाय शर्मा—मैं दिमाग से सही हूं और ठीक ही बोल रहा हूँ।

निवेदन यह है इस विषय में कि होता क्या है कि एक लड़की भगाई जाती है। उसका बाप रात के १० बजे कांग्रेस दफ्तर में आकर शिकायत करता है, रोता है। मैं वहां पर उस वक्त कांग्रेस प्रेसीडेंट था। मैंने उसी समय पुलिस वालों से कहा कि यदि आपकी लड़की को कोई भगा ले जाय तो क्या होगा? कैसी बुरी बात है। इसको शीघ्र ही पूरा किया जाय। आखिर हुआ भी यही कि लड़की और लड़की के भगाने वाले गिरफ्तार किये गये। होता क्या है? डाक्टर साहब ने लड़की के भगाने में एक सर्टीफिकेट दिया है कि यह बालिग थी, और उन डाक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाता है अब आगे यह होता है कि जिन्होंने लड़की को भगाया था वह तिलमिलाते है कि डाक्टर साहब चले जायेंगे तो मुकद्दमा बिगड़ जायगा और सारा काम खत्म हो जायगा। सम्हाले नहीं सम्हलेगा। या तो फिर मिनिस्टर ही ठीक करेगा या नेता ही ठीक करेगा। अध्यक्ष महोदय (सभापति) उसका दिमाग कोई नहीं था। वह पहले सी० आई० डी० में था और सी० आई० डी० महकमे से किसी औरत को भगाने के कारण उसको पुलिस से निकाल दिया गया था। उसके बाद भी उसका चाल चलन सही नहीं हुआ। उसकी नियत सही नहीं रही। वह प्रजातंत्र के राज्य में एक अच्छा नागरिक बनकर नहीं रह सका। लेकिन पुलिस के महकमे ने समय पर सख्ती की कि उसको पुलिस महकमे से निकाल दिया। यह बहुत कुछ कार्य हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसका चाल चलन ठीक नहीं हुआ। वह अब भी बहुत बुरे कार्य करता है। आज जरूरत है ऐसे आदमियों की। अभी आपने सुना कि कभी मानसिंह डाकू की बात आई, जीवनसिंह की बात आई

[श्री भवानी सहाय]

कई व्यक्तियों ने कहा कि पुतली भी नाचती है । वह भी बात आई । कई प्रकार की बातें कई व्यक्तियों ने कहीं, कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में डाकुओं के कार्यों पर प्रकाश डाला साथ यह कह देना वाजिब है कि यदि कोई बात सही कहते है तो तिलमिलाना नहीं चाहिए । उनसे बैठकर बात करनी चाहिये, उनसे बात समझ लेना चाहिए । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है गोरे होकर काले काम करना चाहिए, जो नालायक के नालायक है उनसे हाथ मिला लेना चाहिए, उनको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए । ऐसा नहीं हैं । मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूँ और आपके जरिये सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं, चैयरमेन साहब, कि बहुत हो चुका है । हमको इसमें ब्रेक लगाना है । इसको यदि नही रोक पाये तो यह रोग हो जायगा और असाध्य रोग हो जायगा जिसको कि हम और आप टीक नहीं कर सकेंगे । मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ हाउस के जरिये अपने उन नेताओं से जो कि सेन्ट्रल में बैठे हैं कि यदि इस विषय की रोक थाम इतनी जल्दी नहीं की गई तो मुमकिन हो सकता है कि हम सब लोगों के दिमाग में वह खराबी हो जाय कि हम केवल डाकुओं से बात करने के अतिरिक्त और किसी सज्जन से बात न करें। चैयरमेन साहब, होता क्या है कि उस डाक्टर का तबादला कर दिया जाता है उस जगह से, क्योंकि हर एक जनता इस बात से नाराज है ।

वह खराब व्यक्ति है, उस डॉक्टर के पास बैठा रहता है, उसके साथ चाय पीता है, उसके साथ उठता है, बैठता है । जो श्री बद्रीप्रसाद माननीय मंत्री ने बड़बड़ा कर कहा था उनको जवाब देना है । सुनें, उनका उस जगह दौरा हुआ तहसील राजगढ़ (अलवर) में उस जगह का रहने वाला हूं, मुझसे नहीं मिले । वह मेरा क्षेत्र है । वे आज इस सदन के मन्त्री हैं । उनको मुझसे पूछना चाहिये था कि मामला क्या है ? आज मंत्री बन गये कोई बात नहीं । मैं भी उस क्षेत्र में रहता हूं । गलती से, जाने अनजाने किसी प्रकार बन गये सही । परन्तु धांधली क्यों ? वह व्यक्ति रात को उनके घर पर रहता है, उनकी कोठी पर रहता है और वह उनका संरक्षण पाता है । बड़ी लज्जा की बात है कि इस प्रकार की बातें हैं जो मेरे सामने आती हैं, सदन में लानी पड़ती हैं । मैं लज्जित हूं । मेरे दिल में आग है, शोले चलते हैं ईमानदारी का तकाजा है । हमने आपको एक धरोहर दी हुई है, मन्त्री बनाया । आपकी कोठी के अन्दर जाकर वह रहता है, संरक्षण प्राप्त करता है, आप उसके कारनामों की ताईद नहीं करते हैं, सिफारिश करते हैं । वह नहीं करनी चाहिए थी । होता क्या है ? एक व्यक्ति शिकायत करता है, एक कर्मचारी है वह शिकायत करता है कि एक बदमाश आदमी है, डॉक्टर के घर में बैठा रहता है, औरतें अस्पताल में जाती हैं, उनसे उसने कहा कि हाथ धुला जाओ । औरतें अन्दर आती हैं हाथ धुलाने के लिये । बड़े शर्म की बात है कि जो उस व्यक्ति ने मुझे बतायी और बड़े शर्म की बात है कि मंत्री साहब को कही गई और बड़े शर्म की बात है कि मन्त्रीजी ने काम को बजाय सिद्ध करने के उनको यह लिख कर भेज दिया कि तुम्हारी शिकायत गलत है इसलिए तुम्हें पहले मोत्तिल करना चाहिये । यह लिखित में है, सही है । आपको मंत्री बना दिया, गलती से बना दिया, भूल से बना दिया, चालाकी से बना दिया । किसी प्रकार

[श्री भवानी सहाय]

आप बन गये। उसका मतलब यह नहीं कि मर्जी आवे वह आप कर गुजरें। वह मैं नहीं होने दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर" की आवाज)

(हंसी)

मैं भी अलवर का रहने वाला हूं, अलवर का पानी पीया है। दो आने का सदस्य था जब कोई अलवर में कांग्रेसी नहीं था। अलवर महाराजा की एक कहानी सुना देना चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—एडमिनिस्ट्रेशन पर ही बोलें।

श्री भवानी सहाय शर्मा—yes please very short.

(विराम)

अब नहीं सुनाऊंगा क्योंकि लोग नाराज होते हैं और चेयरमेन साहब को समय नहीं है। समय मिलता है उन लोगों को जो फेवर में होते हैं।

श्री सभापति—That is right.

श्री भवानी सहाय शर्मा—That's right. That is in my favour and not against.

सभापति महोदय, दो बातें मैंने बतायीं। निवेदन कर देना है कि हमारे यहां जो शरारती आदमी हों उनकी लिस्ट बना दी गई और वे इस राज्य को चलाने वाले मान लिये गये और उन लोगों को अधिकार मिल गया कि फलां आदमी फलां काम करेगा, फलांना जाकर कहता है कि फलां गंदा और निकम्मे से निकम्मे आदमी हैं वे हमारे नेता और जो नेता थे वहां के कहां गुम हो गये।

(हंसी)

एक लिस्ट में निकला कि श्री रामजीलालजी जाकर बैराठ का काम करेंगे और महादेवप्रसादजी बैराठ का काम करेंगे।

श्री सभापति—जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कहें।

श्री भवानी सहाय शर्मा—आप सुनिये, मेरे से लिखा हुआ हो या आप से लिखा हुआ हो। मेरी अर्ज इस मामले में यह थी कि जिस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं वे शोभा नहीं देतीं और चूंकि समय बहुत कम है और आपकी घंटी न बज जाय इसलिए आज इतना ही रहने दीजिये।

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री प्रभूदयाल—अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। कट मोशन का सर्कुलर नहीं मिला है इसलिए इस पर दो मिनिट बोलना चाहता हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री प्रभुदयाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस पोजिशन को क्लीयर कर दीजिये। कर्मचारियों के वेतन के बारे में........

श्री उपाध्यक्ष—कट मोशन मूव नहीं हुआ, यह बात है?

श्री प्रभुदयाल—सर्कुलर मिला नहीं।

श्री चांदमल मेहता—मेरा कटौती प्रस्ताव........

श्री प्रभुदयाल—आप क्लीयर कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—ये सब कट मोशन हो जावेंगे, उसके बाद।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है:

मांग संख्या ६, विषय २५—सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती कर दी जाय। (अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियां और सिलेक्शन में बरती गई अनियमितताओं पर विचार करने के लिए)

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में हमारे देश के कई प्रांतों में बड़ी जोरदार बाढ़ें आयीं उसी तरह से राजस्थान में भी एक दूसरे ढंग की बाढ़ आई। जहां हमारे देश के इलाकों में बाढ़ें आयीं उन बाढ़ों ने हमारे देश को या जिन प्रान्तों में बाढ़ें आयीं वहां सारी फसलों को बरबाद कर दिया किन्तु यह जिस तरह से तबादलों की बाढ़ें आयीं उसने सारी शासन व्यवस्था को बरबाद कर दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस चालू वर्ष में जितने तबादले हुए हैं उतने कभी

[श्री चांदमल मेहता]

पिछले वर्षों में नहीं हुए । जैसा कहा जाता है कि पचास वर्ष पहले जैसी बाढ़ें आई थीं वैसी अबके आयीं, उसी तरह से कहा जा सकता है कि जितने इस वर्ष तबादले हुए उतने कभी पिछले वर्षों में नहीं हुए । इन तबादलों के बारे में जो सूचनायें इकट्ठी कर पाया हूं उनके आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के तबादले लें तो उनकी संख्या ३४६ है । उनसे आगे बढ़ते हैं और तहसीलदारों के तबादलों को ले लें तो उनकी संख्या उनसे तिगुनी होती है और उनसे भी आगे बढ़ें तो और सारे कर्मचारियों को जोड़ा जाय तो उनकी संख्या कई हजार होगी । जब प्रश्नों के दौरान में पूछा जाता है कि तबादलों का कारण क्या है, तो बताया जाता है कि प्रशासनिक आधार । वह प्रशासनिक आधार है या और कोई आधार है इस बात को प्रमाणित करने के लिए मुझे कुछ मिसालें देनी पड़ेंगी और उन चन्द मिसालों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो तबादले हुए हैं उनमें से कुछ तबादले ऐसे हैं कि जैसे टेक्निकल पोस्ट है और उस टेक्निकल पोस्ट पर टेक्निकल मेन (आदमी) का होना आवश्यक है और टेक्निकल मेन की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर ही सरकार ने अपने खर्च से विदेश में भेजा और उसी कारण से वहां टेक्निकल व्यक्ति की नियुक्ति गई थी, तो इसमें प्रशासनिक आधार क्या है कि उनका तबादला कर दिया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को राजस्थान सरकार ने अपने खर्च से विदेश में टेक्निकल कार्य की जानकारी करने के लिए भेजा और यह ऐसा विभाग है कि जहां टेक्निकल आदमी होना चाहिए, किन्तु उनका वहां से तबादला कर दिया गया । मैंने एक प्रश्न के दौरान में पूछा था, तो कहा गया कि वे आई. ए. एस. में आ गये । उस जवाब के साथ कहा कि उस स्थान पर दूसरे आ गये । यह प्रशासनिक सुविधा या असुविधा ?

अब मैं आगे बढ़ता हूं । सैटलमैन्ट एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जिसके अन्दर यदि कोई आदमी अनुभवी है और वर्षों तक उस विभाग में काम करता है तो वह सैटलमेन्ट को अच्छे ढंग से और जल्दी निपटा सकता है और आम तौर से इस बात की कोशिश की जाती है कि सैटलमेन्ट ऑफिसरों के तबादले बार बार नहीं किये जाये । अलवर में सैटलमेन्ट ऑफिसर्स ३ एक वर्ष में आये और नतीजा यह हुआ कि जो सैटलमेन्ट का काम जल्दी हो जाना चाहिये था वह एक साल और पीछे हो गया ।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कि हमारे यहां गवर्नमेन्ट प्रेस है और उस में काम करने वाले जो गवर्नमेन्ट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे वे उसके अनुभवी थे, टेक्निकल मेन थे और उनके सम्बंध में न केवल राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने तारीफ की थी बल्कि भारत सरकार से जो आदमी आये थे उन्होंने भी उनके लिये अच्छे रिमार्कस लिखे थे । वित्त मंत्रीजी गर्दन हिला रहे हैं लेकिन यह बतलाया जा सकता है कि विधान सभा की स्थापना के कारण हमारी बढ़े हुए काम को कोप करने की हमारी प्रेस में कितनी क्षमता है, इसकी जांच करने के लिये जो अफसर आये थे उन्होंने उनके लिये बहुत अच्छे रिमार्कस दिये थे । लेकिन सरकार ने यह नहीं समझा कि यह स्थान ऐसा है जहां टेकनिकल नॉलेज रखनेवाला आदमी होना चाहिये और यह भी नहीं सोचा कि थोड़े खर्चे से

[श्री चांदमल मेहता]

काम किया जाय और उन्होंने डाइरेक्टर ऑफ गवर्नमेन्ट प्रेसेज एन्ड स्टेशनरी डिपार्टमेन्ट की पोस्ट क्रीएट करके खर्चा बढ़ाया और इस स्थान पर एक ऐसे आदमी को रखा जो यह काम नहीं जानता। मंत्री जी को इस संम्बंध में मैंने पूछा कि इस संम्बंध में जिस व्यक्ति को अनुभव था उसका क्या हुआ उतने हौंने कहा कि वह मौजूद है जब कि वास्तव में वह मौजूद नहीं था।

इन्डस्ट्रीज विभाग के डाइरेक्टर की बात लीजिये। श्री ए. सी. दास गुप्ता........

श्री बृजसुन्दर शर्मा-(वित्त मंत्री) ये सब तो जी. ए. डी. की डिमान्ड से ताल्लुक रखते हैं....

श्री चांदमल— मेहता मैं जो कुछ बता रहा हूं वह तबादलों से तअल्लुक रखता है। मैं टेक्निकल आदमियों की बात कह रहा हूं। वहां भी नॉन टेकनिकल आदमी को बैठाया गया, डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्री के स्थान पर। और जो डिप्टी डाइरेक्टर थे उनको जाना पड़ा छोड़ कर। तो चंद मिसालों से साफ हो जाता है कि सरकार किन आधारों पर तबादले करती है। क्या उसका प्रशासनिक आधार है या और कोई, जिसके लिये मैं चर्चा करूंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इन तबादलों में ऐसे आदमी मौजूद हैं जिनका ७ माह में २ बार, ४ माह में दो बार, २ माह में दो बार और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन का १ वर्ष में ३ बार तबादले हुये हैं। इन सारों के नाम चाहूँ तो लिस्ट बता सकता हूं लेकिन अभी अगर नाम बताऊं तो समय कम होने के कारण शायद दूसरी बातें कहने से बंचित हो जाऊंगा, इस दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। माननीय मंत्री चाहें तो नाम दिये जा सकते हैं। इन सारे तबादलों के पीछे जो कारण हैं उनके ऊपर पहुँचता हूं तो पुराने समय की वही बात याद आती है जो राजाओं के जमाने में हम कहा करते थे कि फलां आदमी ८, १६, ३२, ६४ में है और यदि कोई उनकी बात टालने की कोशिश करता उसकी खैर नहीं थी। राजाओं का जमाना नहीं है लेकिन यह बात अवश्य है कि इन तबादलों के पीछे जो कारण है वह यह है कि जो सरकार के निकट में ८, १६, ३२ ६४, में से है उनकी मर्जी के अनुसार कोई काम नहीं करता है तो उनका तबादला कर दिया जाता है और उस पर भी यदि कोई दूसरा आदमी पहुँच गया और कहा कि इसका तबादला नहीं करना चाहिये तो किया हुआ तबादला कैंसिल हो जाता है। चार्ज लेने से पहले तबादले कैंसिल करने की संख्या मेरे पास मौजूद है। वह हम सिर्फ आर० ए० एस० और आई० ए० एस० की ही देखें तो ३८ है और तहसीलदारों और दूसरे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इन तबादलों का नतीजा क्या हुआ? इन के कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। यदि हम किसी ८, १६, ३२ और ६४ से हैं और हमारा कहना नहीं मानता है तो उसका तबादला फौरन हो जायगा, और ऐसी जगह हो जायगा कि जहां पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं होगा या ऐसे समय में हो जायगा जो बच्चों की पढाई के सेशन के बीच का समय होगा जब कि बच्चों को वहां लेजाना मुश्किल होगा और फैमिली को वही पीछे ही छोड़ना होगा।

[श्री चांदमल मेहता]

सरविस क्लास की आज यह स्थिति है कि आज एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह मैंने इस दृष्टि से कहा था कि यदि कोई भ्रष्टाचार बढ़ाने की दृष्टि से तबादले करते हैं चाहें अफसर हों, या किसी के मित्र हों इस ख्याल से तबादला किया है तो मैं इसको भी उसी में शामिल करूंगा, एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार का होना मैंने इस दृष्टि से कहा था। इतना ही नहीं है बल्कि एक ओर भ्रष्टाचार बढ़ा है दूसरी ओर शासन में अनियमितता, गड़बड़ी और शिथिलता आई है। सरकार ने कुछ नई पोस्ट क्रीएट की हैं। मेरे पास जो सूचना है उसके मांफिक वे पोस्टस कोई ३१ हैं जो आर० ए० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसरों के लिये कायम की गई हैं और यह मैं मानता हूं कि ३१ की सूचना भी अधूरी है। बहुत से नाम बाकी हैं। ये नई पोस्टस क्रीएट करने का क्या कारण है? अधिकारियों के तबादले या तरक्कियां इधर से उधर होती हैं तो शासन व्यवस्था ढीली होती है, इसलिये ये पोस्टस कायम की गई हैं ऐसा मालूम होता है और कोई कारण मुझे नहीं जान पड़ता।

शिक्षा विभाग में ३ नये ऑफिसर्स नियुक्त किये गये हैं, एक एडीशनल डाइरेक्टर और २ डिप्टी डाइरेक्टर की यह बताने के लिये कि हमारी शासन व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हुई। शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी एक साल में तीसरे आये हैं और इसी विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी भी तीसरे आये हैं। यदि पूछा जाय कि जो कुछ गड़बड़ी के कारण पैदा होता है वह कब होता है तो उसका कारण यही नजर आता है कि इस तरह से तबादले और नई पोस्ट क्रीएट होती हैं तो राज्य सरकार के पैसों का अपव्यय होता है तनख्वाओं पर और टी० ए०, डी० ए० पर यह ऐसा मामला है जिस पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी को, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं है, खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात जो मैंने बताई है अपने कटमोशन में वह प्रमोशन्स और सिलेक्शन्स में बरती गई अनियमितता के बारे में है। सरविस क्लास ऐसी हो जिसमें सब ईमानदार लोग हों, ईमानदरी से चलने के लिये ऊपर से निर्देशन चलेगा यदि सब ईमानदार लोग होते तो शासन व्यवस्था ठीक तरह से चल सकती है। लेकिन ऊपर से तबादले, तरक्कियों और दूसरे काम ऐसे हों जिनमें न्याय नहीं हो तो शासन व्यवस्था बिगडती है। अब मैं इस पर आता हूँ कि इस साल में किस तरह से सिलेक्शन किये गये और प्रोमोशन दिये गये और क्या हालत हुई। आम तौर से सारी जगह यह कायदा है कि पहले सीनियोरिटी लिस्ट बनाते हैं, एक निष्पक्ष संगठन की ओर से बनते हैं और हमारे राजस्थान में भी पब्लिक सरविस कमीशन ने कई बडे अफसरों की लिस्टें सीनियोरिटी की बनाई। इन्हें बनाने में क्या गडबडियां हुई उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा इसके बारे में आगे चल कर कहूँगा, लेकिन आर०ए०एस० की सीनियोरिटी लिस्ट बनी। अभी आर०ए०एस में से आई०ए०एस० की पोस्टों के लिये सिलेक्शन का मौका आता है वहां किस तरह से होता है यह बताऊंगा। अभी सिलेक्शन हुआ उसमें ६ आदमी लिये गये उनमें से कौन किस नंबर पर उस लिस्ट में है यह मैं बतलाऊंगा। जो तीन व्यक्ति हाल ही में आई०ए०एस० में लिये गये हैं उनका नम्बर लिस्ट में है ३५, ३७ और ६४। अब यदि यह पूछें

[श्री चांदमल मेहता]

कि उनका आधार क्या है तो यही बताया जायगा कि आधार सिलेक्शन बोर्ड है । अब इस पर पहुँचे कि सिलेक्शन बोर्ड की क्या मशीनरी थी ? उसने इन्टरव्यू में किसी को नहीं बुलाया और न और न कोई परीक्षा ली गई । वगैर इन्टरव्यू और वगैर परीक्षा के फौरन तीन आदमियों के नाम निकाल दिये गये । जब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आखिर में आधार क्या था तब यह कहा जाता है कि उनका रिकार्ड भेजा गया था । रेकार्ड भेजने वाले कौन हैं ? सरकार को अधिकार है कि मर्जी आवे जिसका रेकार्ड भेज दें । पी०एस०सी० ने जो लिस्ट बनाई वह बेकार गई, उसकी कोई कीमत नहीं सरकार ने रेकार्ड भेजा उन तीन आदमियों का जो बहुत अच्छे थे । मैं और आगे चलता हूं । जो आई०ए०एस० में नहीं आए उनमें से लिस्ट में नं० ४ पर जो साहब हैं उनका नाम है श्री भवानीसिंह रानावत । उनको सरकार रेवेन्यू बोर्ड में भेजती है ।

अगर उनका रेकार्ड ठीक नहीं था तो उसकी गलती का जिम्मा किसका और अगर ठीक था तो आई. सी. एस. के लिये रेकार्ड को भेजने में गलती की ।

आगे चलते हैं हमारे पशुपतिनाथ कौल जिनको आज कल रेवेन्यू सेक्रेट्री लगाये गये अगर देखा जाय तो सीनियरीटी से बहुत सीनियर हैं, मगर चूंकि सरकार को किसी दूसरे आदमी को लेना था इसलिये दूसरे को लिया और कलक्टर बनाया । सिनीयोरिटी में कौल साहब कम नहीं है । अगर सरकार ने गलती की है तो या तो इस मामले में उनको कलेक्टर बनाने में की है या उनके रेकार्ड को ठीक तरह से नहीं देखने में की है या कौल साहब को रेवेन्यू सेक्रेट्री बनाने में की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड बना था उस बोर्ड के अध्यक्ष एक भारत सरकार के व्यक्ति थे । अध्यक्ष अपना मत तभी दे सकता है जब कि बराबर की पोजिशन में वोट हो या किसी प्रकार का झगड़ा हो । इसलिये जो कुछ भी फैसला करने वाले थे वे हमारे यहां के लोग ही थे जो उस बोर्ड के सदस्य थे और वे लोग तो इस मौके की ताक में ही थे कि अगर मौका आ जावे तो अपने अपने आदमियों को लगा दिया जावे और माननीय अध्यक्ष, ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते हैं । इसलिये उन्होंने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपने थोड़े से तालुकात वाले व्यक्ति को भी भेज दो । अगर एक मुख्य मंत्रीजी की सिफारिश का आदमी था तो बादर बांट में चीफ सेक्रेट्री साहब का आदमी भी होना चाहिये और फिर दूसरे सेक्रेट्रीज के भी आदमी होने चाहिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस प्रकार कहने का मतलब यह नहीं कि किसी सेक्रट्री पर आरोप लगाऊं या यह कहूं कि चीफ सेक्रेट्री साहब का भाई जो सीनियोरिटी में बहुत नीचे होते हुए भी ऊंचा जा सकता है और कौल साहब जैसे पुराने आदमी जो बहुत सीनियर हैं रह जाते हैं तो इससे हमको बहुत शोक होता है । इसलिये, इससे यह साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी प्रकार का ऊपर के अधिकारियों और मंत्रियों से इसमें आदेश या इशारा जरूर है ।

अब मैं आगे आपको आर. ए. एस. के बारे में कहना चाहता हूं । इस साल किस प्रकार आर. ए. एस. में आदमी लिये गये हैं उसके लिये मैं आपको निवेदन करूंगा

[श्री चांदमल मेहता]

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो थोड़ा ही वक्त हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आर. ए. एस. की लिस्ट के लिये तहसीलदारों में से लेने के लिये रेवेन्यू बोर्ड ने एक लिस्ट फाइनेलाइज्ड कर दी। उस लिस्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों को श्रीमान रेवेन्यू मिनीस्टर साहब लेना चाहते थे नहीं ले सकते थे। उस लिस्ट को ऊंचा नीचा भी नहीं कर सकते थे। और न कानूनी तौर पर किसी को उस लिस्ट के खिलाफ ले भी सकते थे। इसलिये उनको लेने के लिये कोई दूसरा कानूनी रास्ता अख्तयार किया गया और आप देखेंगे कि ५ आदमियों को लिया गया उनका कितना नीचा नम्बर है उस लिस्ट में जो लिस्ट बनी है। यह तो हो नहीं सकता था कि वे चाहे जिसको ले लेते जब लिस्ट बन गई। इसलिये आवेदन पत्र इन्वाइट किये और नया रास्ता निकाला।

अब आप इससे आगे चलें। दूसरे डिपार्टमेंट को लें। फाइनेन्स विभाग को ले लीजिये। एकान्टेन्टों की नियुक्ति के लिये सरकार ने क्वालीफिकेशन तय की और उनके लिये पी. एस. सी. द्वारा नोटिस निकला और लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब सरक्यूलर निकला उसमें यह कहा गया था कि जो पी. एस. सी. के सिलेक्शन में नहीं आवेंगे उनको नहीं लिये जावेंगे। मगर वास्तव में हुआ क्या ? जो लोग अफसरों के सिफारशी थे उनमें से कुछ तो इम्तिहान में बैठे ही नहीं और कुछ लोग फेल हो गये। आप जानते हैं कि आज तक कहीं ऐसा सुनने में या देखने में नहीं आया कि कि फेल होने वालों को नियुक्त कर दिया गया हो और पास होने वाले आदमी भटकते रहें। मगर यह हमारे यहां हुआ। क्योंकि हमारे उन अधिकारियों के पास फाइनेन्स का क्षेत्र है वे चाहे जैसा कर सकते हैं और उन्होंने किया।

श्री बृजसुन्दर—कितने आदमी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं और वे लिये गये और पास होनेवालों को नहीं लिया गया, आप उनके नाम तो बतावें ?

श्री चांदमल मेहता—यह भी बताऊंगा आप घबराइये नहीं। मेरे पास उनके नाम हैं। एग्जामिनेशन में जो फेल हुए हैं उनका पहले पोस्टिंग हुआ है। और उनको तनख्वाहें पहले से दिलाई गई हैं। अगर इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री फाईनेन्स सेक्रेट्री से मालूम करेंगे तो पता लग जायेगा। किया यह गया कि जहां पुराने एकाउन्टेन्ट थे उनको अपर डिवीजन क्लर्क लगा दिये। आगे इस प्रकार की कार्यवाही हुई कि जिन आदमियों को उन्हे लेने थे उन्हे लेने के लिये उन्हें एक ट्रेनिंग क्लास कायम करनी पडी और वह महज अपने अपने आदमियों को लेने के लिये ही कायम की गई थी। यह एक रास्ता उन्होंने अपने आदमियों को लेने का अख्तयार किया और इसका भार पड़ा तो फाइनेन्स पर। उसके एग्जामिनेशन हुए और फिर आदमियों को लिये गये। मैं यह पर यहां पूछना चाहता हूं कि क्या एकाउन्टेन्ट ट्रेनिंग का रिज़ल्ट पी. एस. सी. से ऊंचा है अगर यह उससे ऊंचा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पी. एस. सी. को कतई बन्द कर दिया जावे और इसकी कोई जरुरत नहीं रह

[श्री चांदमल मेहता]

जाती। फालतू इस बात पर क्यों खर्च किया जारहा है ! जब आप इसके रिजल्ट को ठीक नहीं समझते। इस प्रकार की कार्यवाहियों से आम तौर से हमारे दिमाग में इस प्रकार की बात पैदा होती है कि किस प्रकार से अपने आदमियों को लिया जाता है। सब यही चाहते हैं कि उनके आदमी बेकार नहीं रहें।

(घंटी)

अब चुंकि समय कम है मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर और यह न बता कर कि किस प्रकार फिक्शेसन में गड़बड़ किया गया किस प्रकार लोगों को तबादले किये गये, यही बताना चाहता हूं कि किस प्रकार एस० डी० एफ० ओ० को प्रोमोशन देने में पक्षपात किया गया और अपने अपने और सिफारिशवालों को प्रोमोशन दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकेलिए जिस व्यक्ति का पहला नम्बर होता है वह तो रह जाता है और वह व्यक्ति आजाता है जिसका नम्बर बहुत नीचे होता हैं यानि छब्बीसवां होता है। इसको किस प्रकार लिया जाता है। पता लगने पर झगड़ा खड़ा हो सकता है कि पहले नम्बर को नहीं लिया और २६ वें नम्बर को ले लिया जाता है और बान्दर बांट कर ली जाती है और बंदरबांट करके उसको लिया जाता है। मैंने इस संबन्ध में बहुत जानकारी कर रखी है लेकिन यदि मैं इसको सबको निवेदन करू तो शायद मैं रोक दिया जाऊंगा। मुझे समय समाप्ति सूचक घंटी से सूचना मिल गई है कि समय बहुत कम है इसलिये मैं सारी बातों पर न जाकर नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाइये। और आप विशेष रुख को न अपनावें और पक्षपात किसी के साथ न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगले चुनावों में कुर्सी आपके लिये कायम रह सकेगी। अगर इस प्रकार आप बांदर बांट के जरिये नाजायज कार्यवाही करके किसी को पक्षपात करके लेते हैं तो यह आपके लिये वाजिब नहीं, मगर जो लोग ऐसा करते हैं वे शायद यह समझते होंगे कि आयन्दा हम आवें या नहीं इसलिये जो कुछ करना है इस समय कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां विधान सभा के सदस्य इमानदारी और सचाई पसन्द हैं। इमानदारी और सचाई को आपको अपनानी चाहिये अगर आप नहीं अपनाते हैं तो यह आपकी मर्जी है। अगर आप आत्मविश्वास रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बृजन्दर शर्मा—(वित्त मंत्री) आपने बन विभाग का नाम लिया। कौन किसकी सिफारिश से आया है, आप बतावें ! I am particular about it.

श्री चांदमल मेहता—क्योंकि यह एक ऐसी चर्चा है जिसके लिये बहुत समय चाहिये।

श्री बृजइन्दर शर्मा—आप बतावें कि किस किस आदमी को किस किस की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया ?

श्री चांदमल मेहता—जब आप इसका जबाब देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आधार था। मैं वह स्थिति यहां पर अभी लाना नहीं चाहता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप रिश्तेदारों को लेने का चार्ज लगाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह कहूँगा कि माननीय मंत्री पहले एक बार इसकी सफाई कर दें बाद में जवाब सुनें।

जब राजाओं की सरकार थी उस समय १६ बत्ती और ६४ रास्ते वाली कहावत थी मगर राजाओं की सरकारें समाप्त हुईं लेकिन फिर भी वही रास्ता चल रहा है जिस प्रकार पहले राजाओं के समय में चलता था, वे अपने भाई भतीजे और रिश्तेदारों को नौकर रखते थे अपने शासन को चलाने के लिये। आज उनकी सरकारें समाप्त हो गई फिरभी वही हमारे यहां १६ बत्ती और ६४ रास्ते वाली बात कायम है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप विशाल दृष्टिकोण को अपनावें और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे कोई किसी के इशारे से या चीफ सेक्रेटरी के इशारे से काम नहीं करेंगे और इस बात की घोषणा करेंगे कि जो कुछ आज तक किया गया है उसकी हम जांच करेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलती को कर के उसको मंजूर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उस व्यक्ति में अपनी गलती को मंजूर करने की ताकत होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो गलतीयें आपने की हैं उनको खुले दिल से मंजूर करेंगे और आयन्दा इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे और लोगों को सिनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन देंगे और इसके साथ साथ यह भी घोषणा करिये कि आयन्दा ट्रान्सफर इतनी जल्दी २ नहीं करेंगे जैसे किसी की दो महीने में दो बार या चार महीनों में तीन बार कर दी जाती हैं, इसके लिये यह उत्तर दिया जाता है कि प्रशासनिक आधारों पर की जाती है, मैं समझता हूं कि यह कहना कोई माने नहीं रखता। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करके माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें जो मैंने बताया है। मैं कोई विरोधी पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस दल का आदमी हूँ और यह चाहता हूं कि सच्चाई और इमानदारी से सारी बातें कहूँ और अगर इस प्रकार के कार्य को करने में अगर मुझे किसी प्रकार की सजा भी भुगतनी पड़े तो मैं पाने के लिये तैयार हूं। इस दृष्टिकोण से मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है उसे आप दूसरी निगाह से नहीं लेंगे और सही निगाह से ले कर सुधार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव नई वेतन दरों पर बहस करने के लिये है।

माननीय उपाध्यक्ष, कल जब कि हम हमारे सदन के नेता सुखाड़ियाजी का बजट का साधारण वाद-विवाद या भाषण सुन रहे थे तब मैं समझ रहा था कि या तो हमारे सदन के नेता ने हमें वेतन दरों के सिलसिले में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में कहूंगा कि वे गलत हैं और अगर वे उसको सही मानते हैं तो नई वेतन दरों के लागू करने में गलती को सुधारा जायेगा ऐसा कहेंगे। हमें इस बात की बड़ी निराशा हुई कि न तो उन्होंने उसको गलत ही माना है और न उसको सुधारने के लिए कोई कदम ही उठाने की घोषणा की हैं। उन्होंने अपने भाषण देने की सुन्दर शैली और मन्द मुस्कराहट के बीच हमने जो आंकड़े दिये थे उनको उड़ा दिया और हमें कोई नयी बात नहीं बतलाई। अगर वे कोई ठोस तथ्य रखते तो हमें इस कटौती प्रस्ताव रखने की नौबत

[श्री चांदमल मेहता]

हो नहीं आती, लेकिन ठोस तथ्य न देकर इधर उधर घुमाकर इधर उधर की बातें कहकर इस मसले को ही टाल दिया। नई वेतन दरों के सिलसिले में मैंने और दूसरे साथियों ने, चाहे इधर बैठे हुए हों या उधर बैठे हुए हों, काफी आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। हमें यह भी नहीं बतलाया गया कि आपके आंकड़े सही या गलत हैं! अगर हमारे आंकड़े सही हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि सदन के नेता महोदय की बातें कहां तक सही हैं। वे कैसे मानते हैं कि नई वेतन दरों में हमने असमानतायें काम की हैं, जब कि मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूँ कि नई वेतन दरों से असमानतायें बढ़ी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बार जो कहा गया है वह यह है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की जो तनख्वाह है वह ८०० से १२०० और २०० स्पेशल कुल मिलाकर १४०० रुपये होते हैं हमने उसमें १०० रुपये इन्क्रीज कर दिये हैं। यह सौ रुपये की तो नोमीनल इन्क्रीज हुई है। माननीय उपाध्यक्ष, जो ऑर्डर निकले हैं उस ऑर्डर में यह दर्ज है कि बहुत से हैड आफ दी डिपार्टमेंट जिनका वेतन ५०० से ७०० था उनकी तनख्वाह बढ़ाकर १५०० कर दिये गये हैं। मैं इस संबंध में उदाहरण देकर साबित करूंगा। देवस्थान डिपार्टमेंट के कमिश्नर को हमारे सदन के नेता हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट समझते हैं या नहीं, वे हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं उनकी तनख्वाह का जो ऑर्डर निकला है उसमें ५०० से ७०० और १०० रुपया स्पेशल पे था अब उसका ८०० से १२०० तक वेतन और २५० रुपये स्पेशल पे रखा गया है इस तरह से अगर मेरी जोड़ सही है तो १५०० रुपये हैं। इस उदाहरण को देखते हुए भी यह कहना १४०० रुपये तक तो पहले ही था अब केवल १०० रुपये की नोमीनल इन्क्रीज हुई है यह कहां तक उचित है। इस प्रकार की आंकड़ों को इधर उधर कर बातें इस सदन में कहना और हम लोगों के सामने जब कि हमारे पास वे आंकड़े मौजूद हैं। ये बातें तो बाहर चौपड़ पर कही जातीं तो ज्यादा अच्छा होता। सदन में इस तरह आंकड़ों का तमाशा बनाकर गुमराह करना ठीक नहीं है इस प्रकार की बातें तो बाहर ही कहना अच्छा लगता है। हां कहने को तो यह भी कह दिया गया कि हमारे अफसर तो पहले से ही हजार हजार रुपया वेतन पाते हैं नई दरों से उनको कोई फायदा नहीं हुआ बहुत कम ऑफिसरों को फायदा पहुंचा है यह बिल्कुल ठीक नहीं। हो सकता है कुछ अफसर ऐसे हों जिनको पर्सनल सैलरी के रूप में ज्यादा तनख्वाह मिल रही हो, हो सकता है उनको कुछ फायदा न पहुंचा हो। नई वेतन दरें जो घोषित की गई हैं खास तौर से एक व्यक्ति विशेष को तो ध्यान देकर तो नहीं बनाई गई हैं, वे तो पोस्ट्स के साथ चलती व्यक्तियों के साथ नहीं, वे अफसर जिनको पहले से ज्यादा वेतन मिल रहा हो उनको तो कोई फायदा नहीं। मान लीजिये आर. जे. एस. का एक अफसर सिविल जज है और वह एक हजार रुपया वेतन पा रहा है तो उनके लिये आर. जे. एस. की तनख्वाह कितनी ही बढ़ा दी तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ है। हमें किसी एक व्यक्ति विशेष के केस में नहीं जाना है आखिर हमें तो यह देखना है कि किस पोस्ट का कितना परसेन्ट वेतन बढ़ा है और उसके मुकाबले नीचे के ग्रेड वालों की कितनी परसेन्ट तनख्वाह बढ़ी उससे असमानतायें कम हुई हैं या बढ़ी है यह देखना है। इसके साथ साथ यह भी देखना है कि पे स्केल्स जो हमारे सामने आई है वह समाजवादी रास्ते की ओर बढ़ने वाला कदम

[श्री चांदमल मेहता]

है या नहीं। मैं जहां तक समझता हूँ यह दूसरा ही रास्ता है, न तो यह समाजवादी रचना की ओर कदम है और न ही उस कदम का नमूना है जैसा वित्त मंत्री ने बताया। यह समाजवादी और साम्राज्य-वादी दोनों के बीच का रास्ता है। यह जानते हुए कि समाजवादी ढांचा एक दिन में आने वाला नहीं है, तो फिर शुरू में जो कदम हम उठा रहे हैं वह गलत क्यों उठाया जाय अभी हमें समाज-वादी ढांचे पर पहुँचने के लिए करीब २५-३० वर्ष लगेंगे। शुरूआत में ही हम गलत कदम उठा रहे हैं तो इससे तो यह होगा सैकड़ों वर्षों तक हम समाजवादी ढांचे की ओर नहीं बढ़ पायेंगे। शुरू में ही हमें ऐसे कदम उठाने चाहिये जो समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ने वाला कदम हो, आज हम जो बढ़ रहे हैं वह ऐसा है जैसे मार्ग तो पूर्व की तरफ है और हम बढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ। जब आप को बढ़ना तो पूर्व की ओर है और बढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ तो, यह निश्चित मानिये कि समाज वादी ढांचा इससे आने वाला नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्लानिंग कमीशन की यह रिपोर्ट है कि तनख्वाओं की असमानता घटाकर हमें ३० गुना तक ले आनी चाहिये। अगर ३० गुना से कम है तो क्या ३० गुना कर दिया जावेगा यह निवेदन करता हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे यहां के जो पुराने पे स्केल्स थे उसमें १५ से दस गुना तक फर्क था अब नये पे स्केल्स के मुताबिक उसको १५ से २० गुना तक कर दिया है। मैंने पिछली दफा यह कहा था पिछले पे स्केल्स में १०, १५ और १४ गुना फर्क था अब इनसे २५ गुना फर्क हो गया है। देवस्थान कमिश्नर को जो वेतन इस नई पे स्केल्स के मुताबिक मिलने वाला है उसमें ७०० से १२५० तक का ग्रेड किया गया है और उसके नीचे केजो कर्मचारी है दरोगा मुन्सरिम इनको आपने ४० से ५० तक में रखा है पहले इनकी तनख्वाहों में चौदह गुना फर्क था अब इस नई पे स्केल्स के मुताबिक २५ गुना फर्क हो गया है। इसी को आप यदि कहते हैं कि हम असमानता को दूर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम उससे दूर जा रहे हैं। केवल यह कहना कि हमने असमानतायें कम की है कोई मायने नहीं रखता। और यह कहना कि पहले से जो हजार हजार रुपया पारहे थे उनको हमने केवल १०० रुपया बढ़ाया है इससे असमानता कम हुई है यह काफी नहीं है। मैं आपके सामने कोन्क्रीट उदाहरण दे रहा हूं और यह बतला रहा हूं कि आपने जो तनख्वाहें बढ़ाई है उससे असमानताएं बढ़ी हैं। अगर मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ उसमें गलती है तो बताइये मैं सुधारने के लिये तैयार हूँ।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं इस तरफ या उस तरफ बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उन सब में जो नई पे स्केल्स जारी हुई है उससे असन्तोष है यह सही बात है। अगर आप यह मानते नहीं हैं तो व्हिप लाकर देख लीजिये आपको पता चल जायगा, या आप अलग अलग सदस्यों से अलग रूप में मिलिये उनको बुलाकर पूछिये आपको पता चल जायगा कि सारे सदस्यों में असन्तोष है या नहीं। हमें यह कहा जाता है कि तुम कुछ सुझाव नहीं देते हो, कोई सही बात नहीं कहते हो। मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं जो बिल्कुल सही हो आप उसको नहीं मान रहे हैं तो आप हमारी सही बातों को भी नहीं मानते हैं तो हमारा उत्साह कैसे बढ़े? अगर आप मेरी बात को गलत साबित कर दें तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं कम से कम यह जरूर

[श्री चांदमल मेहता]

चाहता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बैठाई जाय उनमें आप चाहे अपने केबीनेट सदस्य ही रखें या आपके पीछे या आस पास बैठने वालों को ही सदस्य रखें और उस कमेटी को यह आदेश दिया जाय कि वह सात दिन में अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नई पे स्केल्स जो आई हैं वह असन्तोष जनक हैं और अन्याय पूर्ण हैं यही उसका निर्णय होगा।

क्या कारण है कि एक तरफ तो जो आंकड़े रखते हैं उनको डिनाई नहीं करते और दूसरी तरफ कहते हैं कि असमानतायें घटी हैं ? अगर ऐसा है तो आंकड़ों को गलत साबित करिये या जो हम कहते हैं उसको मानिये। यह कहना कि असमानतायें दूर की हैं और इसके लिए ऊपर का नीचे का एक गलत उदाहरण दे देना, इस बात के लिए काफी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहा गया कि हम चपरासियों को खुश करने के लिये यह सारी बातें कह रहे हैं। अगर हमें खुश ही करना होता तो मैं समझता हूं कि बडों बडों को खुश करते ताकि उनसे हमारा काम तो निकलता, मिनिस्टरों को खुश करते ताकि हमारे काम बनाते और लोग इनको खुश करना ज्यादा पसन्द करते। पर यह नहीं करके चपराशियों के लिए कहा गया क्योंकि यह कहना वाजिब था। आखिर इन पे स्केल्स में यह गड़बड़ी क्यों की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े बड़े अफसर तो अंगुलियों पर गिने जाने योगय हैं। इन पर इनकी पे बढ़ाने से बजट पर अधिक बोझा बढने वाला नहीं है। पर गरीब चपरासियों, फोर्थ क्लास वालों और क्लर्कों की संख्या अधिक है अगर उनके दो दो तीन तीन रुपया भी बढ़ाया गया तो पचास साठ लाख का प्रभाव पड़ेगा बजट पर। तो वास्तव में तो यह दृष्टिकोण है इसके पीछे। समाजवादी ढांचे की बात बिलकुल गलत है। और प्राइवेट तौर पर अगर ये बात करते हैं तो ये भी कहते यही हैं।

मेरा कहना यह है कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक अरब रुपया खर्च करने जा रहे हैं और यह खर्च करके समाजवादी ढांचे को लाने की तरफ प्रगति करना चाह रहे हैं तो पचास साठ लाख रुपया और खर्च करिये। यह भी निश्चित तौर से समाजवाद की तरफ बढ़ने का कदम है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ। हमारे वित्तमन्त्री जी ने नई परम्परा पेश की है एक माननीय सदस्य से अपनी गलती के लिए माफी मांगकर, मैं उनसे माफी तो नहीं मंगवाना चाहता लेकिन यह जो कैबिनेट ने या सरकार ने गलती की है उसको सुधार कर निम्न कर्मचारियों के वेतन में सुधार करेंगे, ऐसी आशा जरूर कर सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री अवनीकुमार।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा कटौती का प्रस्ताव निम्न प्रकार है। मांग संख्या ६ विषय २५ सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय। रेशनेलाइजेशन वेतन स्तरों के विषय पर बहस करने के लिये।

Page No 61

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

राजप्रमुख के अभिभाषण पर जब वाद–विवाद हुआ और बजट पर भी जब हुआ उस सिलसिले में मुख्यमन्त्री जी ने जो भाषण दिया उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ और उसी असंतोष को जाहिर करने के लिये यह कटौती प्रस्ताव मैंने रक्खा है ।

यह असन्तोष दो कारणों से है ।

पहला कारण यह है कि नये वेतन स्तरों का सम्पूर्ण विवरण सदन के सामने नहीं रक्खा गया ।

जो जानकारी मैंने प्राप्त की वह अखबारों के आधार पर ही प्राप्त की है । अच्छा यह होता कि इसकी सम्पूर्ण जानकारी सदन के सदस्यों के सामने रख दी जाती । यह क्यों नहीं रक्खी गई, उसका कारण समझ में नहीं आया ।

दूसरा कारण असन्तोष का यह है कि ये नये वेतन स्तर किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं । बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ अधिकारियों को सहूलियतें और फायदा पहुंचाने के लिये ये वेतन स्तर लागू किये गये हैं ।

इन बातों को साबित करने के लिये ही थोड़े आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ । हालां कि मैं और सदन के अन्य सदस्य भी जानते हैं कि इन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनका जवाब भी नहीं दिया जाता । अगर दिया जाता भी है तो गोलमाल दिया जाता है जिसका कि अर्थ इन्टेलीजेन्ट आदमी को भी समझने में मुश्किल होती है और फिर ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि जिसमें तमाम चीजों को ढकने की कोशिश की जाती है ।

अब आप देखिये कि यह जो वेतन स्तर लागू किया गया है उसमें कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई है, क्योंकि उनके वेतन स्तरों को देखने से पता लगेगा कि उनकी जो मैग्जिमम ग्रेड हैं उनमें कुछ तरमीम की गई है, स्टार्टिंग (Starting) पर कहने लायक नहीं कुछ किया गया है, मिसाल के तौर पर एक निम्नलिखित आंकड़े पेश कर रहा हूँ:

The previous Pay and grade		Present grade
Jamadar	35	55
Peon	30	40
Head constable	50	55
Constable	45	50
U. D. C.	75-180	80-200
L, D. C.	50-120	60-130

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

	previous	present
Trained-Primary School-teachers	40-65	50-75
Untrained,,	35-40	40-50
Trained Graduate School teachers	100-200	110-225
Trained Matric School taecher	50-120	60-130

मैं यह बता दूं कि जो कुछ भी विवरण है यह मैंने अखबारों के आधार पर प्राप्त किया है। मैं इसलिये दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह विवरण सही है।

तो इनको देखने से पता लगेगा कि कम वेतन पाने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई और उनका कोई प्रारम्भिक फायदा नहीं होने वाला है। उनको फायदा होगा मैक्सिमम ग्रेड पर पहुंच जावेंगे तब।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—पहुंच गये हैं।

श्री अवनी कुमार मुकर्जी—जब कि हमारा समाजवादी दृष्टिकोण है तब उस तरफ ज्यादा तरक्की होनी चाहिये थी।

अब मैं आर. ए. एस. के स्केल्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले था २५० से ५०० का और ५०० से ७०० का। दो स्केल्स थे। अब उनको मिलाकर २५० से ७५० का नया स्केल मुकर्रर किया है। एक है सिलेक्शन ग्रेड ५००—९०० का। पर इसमें अफसर्स ही आ सकेंगे जो कि पहले से ५००-७०० के ग्रेड में थे और इनके आलावा कुछ अफसर ऐसे हैं जैसे कि कमिश्नर एक्साइज एन्ड टैक्सेशन, कमिश्नर जागीर, डाइरेक्टर ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर देवस्थान, लेबर कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर्स। ये जो हैं इनकी ८०० से १२०० की मौजूदा ग्रेड थी वह अब ८०० से १२५० तक की गई है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आर. ए. एस. की पोस्ट्स जो भी हैं उन पर एक ही ग्रेड लागू कर देते तो बहुत अच्छा होता। क्यों इस तरह से सेलेक्शन ग्रेड अलग रक्खी गई? कुछ ऑफिसर्स को अपग्रेड क्यों किया गया? इसका कोई आधार नहीं है। आर. ए. एस का एक ही ग्रेड कर देते तो ठीक रहता। इसमें सबको सन्तोष हो जाता। यह क्यों नहीं किया गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी आर. ए. एस. के लोगों में असन्तोष है और आर. ए. एस. की एसोशियेशन ने यह असन्तोष प्रकट करने के लिए अपना प्रोटेस्ट भी सरकार के पास भेज दिया है।

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

इसके अलावा हमारे सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरीज और असिस्टेन्ट सेक्रटरीज हैं उनको स्पेशल पे (Special pay) के अन्दर ५० रू० और २५ रू० की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं उनको आज तक कोई स्पेशल पे नहीं मिलती थी और अब संशोधित वेतन स्तरों का जो एलान किया गया है तो उनके अन्दर उनको १०० रू की स्पेशल तनख्वाह दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि एडिशनल कलेक्टर, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर आफ डेवलपमेंट, रजिस्ट्रार बोर्ड आफ रेवेन्य, ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स, प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर्स और डिप्टी कस्टोडियन आफ इवेक्वी प्रापर्टी जो हैं इनको कोई स्पेशल पे नहीं दी गई है। इसका क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप किसी को स्पेशल पे देते हैं तो उसी केडर के जो और लोग हैं उन तमाम को दीजिये। लेकिन कुछ लोगों को दे दी गई हैं और कुछ को नहीं दी गई है इससे यह मालूम होता है कि इसके पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है।

दूसरी बात इससे सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं कहना मुनासिब समझता हूं। राजस्थान बनने के बाद कई टेम्परेरी क्लार्क्स आपने भर्ती किये। १९४९ में राजस्थान बना और अब १९५६ है, वे क्लार्क आज तक टेम्पोरेरी हैं। उनके बारे में सरकार ने सोचने की कोशिश नहीं की, और उनका भविष्य आज तक अनिश्चित है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसे वेतन स्तर को लागू करने का निर्णय किया है तो उन अभागों के बारे में भी निर्णय कर लिया जाता तो बहुत अच्छा होता : आप उनके बारे में अनिश्चितता कब तक रखना चाहते हैं ६ साल बीत गये हैं और सातवां साल गुजरने वाला है। उनके लिए कुछ निर्णय कर डालें। उनकी तरफ निगाह कर डालें। जो कुछ आप करते है वह बड़े अफसरों के लिये करते हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं उनके बारे में भी गौर करें।

इसके अलावा सरकार के सामने इस संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। नये वेतन स्तर जिस प्रणाली पर अवलम्बित किये हैं वह प्रणाली ठीक नहीं है, उसके बारे में कई सदस्य अपने २ विचार प्रकट कर चुके हैं। मेरा खयाल है कि अगर निम्नोत्तर प्रणाली का अवलम्बन किया जाता तो मैं समझता हूं, कि नतीजा अच्छा होता। सबसे पहले सरकार अपने कर्मचारियों को सुनिर्दिष्ट श्रेणियो के अन्दर विभक्त करती और फिर हरेक श्रेणी के लिए एक वेतन स्तर कायम करते और फिर हरेक अधिकारी और कर्मचारी को उनकी योग्यता, उनकी सीनियोरिटी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स, ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हरेक श्रेणियों के अन्दर उनका फिक्सेशन कर दिया जाता, तो जो व्यापक असंतोष चारो तरफ फैला हुआ है वह नहीं होता। मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बातें कहनी हैं वह संक्षेप में कह दूं ताकि उसका सदन पर अच्छा असर पडे। मैं आशा करता हूं कि जो विचार मैंने सदन के सामने रखे हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी। इतना कहकर मैं अपना कटोती का प्रस्ताव सदन के सामने पेश करता हूँ।

Page No 64

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोलानाथ

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार—

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे १० कटौती के प्रस्ताव हैं (हियर हियर) इसलिए मेरा निवेदन यह है कि........

श्री हिम्मतसिंह (अटरू) एक ही सब्जेक्ट पर १० हैं।

श्री मानसिंह महार—सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरैन्ट है।

श्री जसवंतसिंह—किन्तु हैड एक है।

श्री मानसिंह महार—सबजेक्ट १० का अलग अलग है। तो १० के मामले को ध्यान में रख कर मेरे समय को आप फरमा दें तो में घड़ी की तरफ ध्यान दूंगा, क्यों कि मेरे १० हैं। आप फरमा दें तो नम्बर बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष— १० या १५ मिनिट।

श्री मानसिंह महार— एक एक मिनिट तो पढ़कर सुनाऊंगा उसमें ही लग जायग न्याय करिये थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष— १५ मिनिट में कर लीजिये आप।

श्री मानसिंह महार— फिर आगे अर्ज कर लूगा। खैर, १५ मिनिट तो हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो विषय और जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके बारे में मुझे कुछ बहुत ही अहम विषय की तरफ, आपके जरिये इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, यह ध्यान, मैं समझता हूं, या तो मैं आपका अकर्षित कर सकता हूं या इस सदन की दीवारों का कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो कुछ मुझे कहना है वह कहे जाऊंगा क्योंकि चंद मंत्रियों से यह ताल्लुक रखती हैं वह सारे एबसेन्ट हैं मैं यह नहीं समझा हूं कि आज ऐसा क्या जरूरी काम आगया है कि वे सब एबसेन्ट हैं। वित्त मंत्री जी जो बिराजमान है एन्टी करपशन बोर्ड का मेरा प्रश्न है उसमें वे कुछ नहीं कह सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— है सब कुछ कह दूंगा।

श्री मानसिंह महार— आप कह नहीं सकते। आप तो वैसे भी नहीं कर सकते क्यों कि अपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन चल रही है (हंसी)....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जहा तक हूं वहां तक तो कहूंगा।

श्री मानसिंह महार — माननीय उपाध्यक्ष, मेरा खास कटौती प्रस्ताव जो है वह यह है कि राजस्थान में सरविसेज के अन्दर जो नेपोटिज्म,फेवरटिज्म और जो कुछ भी टिज्म या इज्म लगाया जावे वह लगा दें ? तो क्या नहीं है, इस संबंध में मेरे मित्रों ने जोरदि या है। जोर ही नहीं दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि तथ्यों से मेरे मित्रों ने प्रमाणित किया है कि सरकार किस ओर जा रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है , उपाध्यक्ष महोदय, कि जनतन्त्र की सरकार कहलाने वाली हमारी कांग्रेस सरकार कहलाने वाली सरकार, आज किस ओर अग्रसर हो रही है। जिन राजाओं के समय में हमारे इस तरफ बैठने वाले दोस्त, मुझे मालूम है कि जयपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल में जिन मुद्दों को बुरा बताया करते थे वही लोग उन राजाओं को अच्छा बताते हैं और नीची टाट करके यह कहते हैं कि हम तो उनसे आगे बढ़ गये हैं। इससे बढ़कर कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कांग्रेस बैन्चो पर बैठने वाला सदस्य हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज जितना राजस्थान में पक्षपात का बोलबाला है वह राजस्थान के इतिहास में नहीं, सारी रियासतों के इतिहास में नहीं था। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं इस बात को हमारे मंत्रियों के ऊपर इम्प्रैस करना चाहता हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनतंत्र की सरकार कहलाने वाली, कांग्रेस की सरकार कहलाने वालों के लिए यह लांछन की बात है कि इस प्रकार के पक्षपात की बात इस सदन में प्रस्तुत करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह करना पड़ता है। मेरा एक कटौती प्रस्ताव है जिसको मैं पढ़ कर सुना दूं। वह यह है कि अनड्यू इम्पार्टेंस एडीशनल चीफ सैक्रेटरी को दी जा रही है। मैं आपको खास बात बताऊं और वह किस प्रकार है। वह मैं बात सदन को बता देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई एडीशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय से दुश्मनी नहीं है, वह मैं सदन को बता देना चाहता हूं। उनसे मेरा बहुत प्रेम है। वे जयपुर के कमिश्नर रहे थे मैं उनसे बहुत बातें करता था और वे बहुत मीठे लहजे में बात करते थे। यह मैं मानता हूं। फिर भी सत्य को छिपाना इस सदन के लिए जरा धोखेबाजी होगी। इसलिए कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं और मेरी यह मानी हुई बात है कि हमारे एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को बिल्कुल ओवर शैडो कर रखा है। यह दावे की बात है। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कन्फर्म्ड चेयरमेन बना दिये गये हैं। यह तमाशा क्या हो रहा है, जरा सोचिये ? राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमेन वह आदमी है उन्होंने आज तक बोर्ड आफ रेवेन्यू में एक दिन भी काम नहीं किया है। जिसने कि उस बोर्ड की कुर्सी को एक सैकन्ड के लिए सुशोभित नहीं किया है। यही नहीं, यह मंत्री महोदय के सामने आज यों प्रस्तुत करना पड़ा है कि इसमें भी अहमियत है। अभी एक टेक्स्ट बुक्स को सुपरवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है और उसके भी चेयरमेन उन्हीं एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को बनाया जा रहा है। वह महज इसलिए कि उसमें भी हमारे उसी पुराने बड़े हुक्म की पुकार उसमें भी फैल जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी इलाके से तशरीफ ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके अन्दर वह बू नजदीक भी नहीं।

[श्री मानसिंह म्हार]

(विरोधी पक्ष द्वारा हंसी एवं "हियर हियर")

तो यह बात है कि उनको उसका भी चेयरमेन बनाया जा रहा है। दूसरी बात है कि राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेन्ट काम है वह डेवलपमेन्ट का है। राजस्थान के डेवलपमेन्ट कमिश्नर भी वे ही महानुभाव हैं। मैं उनकी शक्ति की जरूर तारीफ करता हूँ कि उनकी काफी आदमियों का काम करने की शक्ति है। और अगर सीनियर ऑफिसर्स की इन्क्वायरी करने का मौका आता है तो वे ही डेप्यूट किये जाते हैं। डेप्यूट ही नहीं करते हैं, इस सदन के सदस्य भी कहते हैं कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी से इन्क्वायरी कराओ। ऐसे हाकिम के माफिक क्या इन्क्वायरी करने वाला अफसर राजस्थान में या दुनिया में है ही नहीं ? कोटा में गोली कांड हुआ, उसकी जांच के लिए भी अफसर नियुक्त करना था, किसको करना, तो कर दो एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को।

(घंटी एवं हंसी)

पांच मिनिट ही हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष:—On the subject !

श्री **मानसिंह म्हार**:—बिल्कुल कटौती का प्रस्ताव स्पेसिफिक रखा हुआ है। चूंकि मुख्य मन्त्रीजी ने इसको अपने जवाब में गोलमाल किया है। इसलिए वह स्पेसिफिक रखा है। और बातें छोड़ दूंगा लेकिन यह स्पेसिफिक बात है और जिससे सरकार को खटका होता है इसलिये कहूँगा।

कोटा के अन्दर फायरिंग हुआ, नजीर दूंगा कि जो राजस्थान के डेवलपमेन्ट कमीशनर हैं, राजस्थान के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और जो कन्फर्म्ड चेयरमेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं और न जाने और क्या २ ओहदे दिये जा चुके हैं, उनको लगाया गया। उन्होंने रिपोर्ट क्या दी। ऑन स्पोट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने बेचारे कमिश्नर को भी लपेट लिया। किस लिए लपेट लिया ? पहले वे, इन्टीग्रेशन हुआ था उस वक्त सेक्रेटरी थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको कमीशनर से हटा कर शुगर फेक्टरी में डाल दिया। और कहा जाता है कि अहम आनन्द है शुगर फेक्टरी में। सरकार से कहता हूँ कि अगर आप न्याय करते हैं शुगर फेक्टरी में एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को लगा दीजिये, राजस्थान का काम चलेगा और दूसरी पोस्ट न दीजिये जब कि शुगर फेक्टरी की पोस्ट इतनी इम्पोर्टेन्ट है। सबसे पहली बात जो कहना है वह यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज सरकार को इतनी एक आदमी की सर्विसेज में डिक्टेटरशिप कायम करना चाहती है वह नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कमेटी में देख लीजिये कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ही मौजूद। चेयरमेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहीं नाम नहीं आया चाहे वे एकटिंग हो, चीफ सेक्रेटरी का कहीं नाम नहीं। इनका आपको नाम हर जगह मिलेगा। इस बात का विरोध करना है। अपने अनुयायियों को मुख्य

[श्री मानसिंह महार]

मन्त्री सदन में ऊंचा उठावें अपने दोस्तों की गारन्टी दे, किन्तु ये ऐसा काम रहे हैं कि जो राजस्थान के लिए शोभा की बात नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा वह नई वेतन दरों के बारे में है। मैं सिद्धान्तः यह बात मान कर चलता हूं और मैं यह कहूँगा कि मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में रखा है, कि सरकार अपने यहां के कर्मचारियों की तनख्वाह आस पास के प्रांतों के स्तर पर लाने में असफल रही है। मुख्य मंत्रीजी ने इस चीज को ऐसा लपेट झपेट कर रखा है, वे भाषण देने में दक्ष हैं। शायद और कुछ लोगों को कन्वींन्स किया होगा कि हमारे यहां के वेतन स्तर दूसरे प्रांतों से कम नहीं है। मैं आपको एक पुलिस के कान्स्टिबल की मिसाल दूंगा। आप कहे जरूर कि कुछ रिलीफ मिला है। कुछ दुनिया की तरफ ध्यान दीजिये। अजमेर आप में मर्ज होने जा रहा है। अजमेर के सिपाहियों की तनख्वाह देखिये, अजमेर के हैडकान्स्टिबल्स को देखिये, सब-इन्स्पेक्टर्स की तनख्वाह देखिये, अजमेर चपरासियों की तनख्वाह देखिये, अजमेर के मास्टरों की तनुख्वाहे देखिये। आप उनसे अपने यहां की नेतनदारों का मुकाबला कीजिये और हमारे मुख्य मंत्री ने अजमेर में जाकर यह कहा कि वहां के जो वेतन पा रहें कर्मचारी उनके वेतन में राजस्थान में कमी नहीं की जायगी। राजस्थान में दो तरीके कायम हो जावेंगे। राजस्थान के चपरासी जो नये वेतन दर आपने रखी है वे पावेंगे जब कि अजमेर वाले दूसरी पावेंगे, यही सिपाहियों को रखेंगे। पहला कदम उठाना था वह यह था कि अजमेर में जो तनख्वाहें थीं वे नीचे कर्मचारियों को देनी थी। ये ही न्याय था, वे कर्मचारी ये ही न्याय मांगते हैं और राजस्थान की जनता मांगती है। यह आपको करके रहना पड़ेगा। इस प्रकार की असमानता रखोगे तो आपका काम नहीं चल सकता। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में असंतोष आवेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको करना पड़ेगा बाद में करेंगे उसको पहले ही कर दें तो आपकी वाह वाही है यह कहेंगे कि हमारे मंत्रीगण योग्य हैं लेकिन पहले नहीं किया और फिर करेंगे तो उसमें शोभा नहीं रहेगी। अजमेर से न्यून नहीं रखिये इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इस बजट को अगर पढ़ा जायगा तो मालूम होगा कि आपने इन कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए कहीं भी ध्यान नहीं दिया है, वरना और कामों में पैसे का खूब खुल्ला खुल्ला करके चलाया है जिधर भी चाहा। इसलिए पहली बात यह कहूंगा कि कर्मचारियों के वेतन में चाहे जैसे कुछ न कुछ करें।

दूसरे वेतन के बारे में जो चीज है वह यह है कि आर. ए. एस. आफिसर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार आफिसर्स का जिनके कि हम गांव के डाईरेक्ट सम्पर्क में रहते हैं गांव वाले आर. ए. सस. ऑफिसर्स को लैंड रेवेन्यू और दूसरे टेक्सेजदेते हैं, वे गांव वाले आर. ए. एस. वालों से न्याय की आशा करके देते हैं। आपके कालेज के प्रिन्सिपल्स, प्रोफेसर्स, इन्जीनियर्स और बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाने वाले डाक्टर वे हमारी रगरग में रोज नहीं पहुँचते परन्तु जो आर. ए. एस. के ऑफिसर्स हैं, एस. डी. ओ. एक्सटा मजिस्ट्रेटस हैं, वे हमारी छाती पर चौबीसो घंटे तलवार की तरह खड़े रहते हैं, हमारे रक्षक हैं, न्याय देने वाले हैं। गांवों की बहबूदी करने वाले हैं इनकी

Page No 68

[श्री मानसिंह महार]

तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए था। यह मैं गांव वालों की ओर से कहता हूँ। डाक्टरों की बढ़ा दी, इन्जीनियर्स की बढ़ा दी। इन्जीनियर्स के तो चारों तरफ से द्वार खुले हुए हैं, पैसे की कमी क्या है? फोरेस्ट में भी बढ़ी है, इधर भी बढ़ा दी लेकिन आर. ए. एस. वालों ने क्या किया? और मैं कहता हूँ कि जितने आज भी आर. ए. एस वाले हैं, जितने हुक्म मुजब हैं, दूसरे ज्यादा ज्यादा पैसा दे सकते हैं यह मैं मानता हूँ बेचारे उस वर्क में खाने जाय तो दे कौन।

श्री दिलीपसिंह:—उनसे मांगता कौन है?

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मांगता मांगता कौन है, यह बात नहीं कहूँगा। मैं तो हर एक आदमी को ईमानदार मान कर चलता हूँ। कोई बेईमान नहीं हैं। (हंसी) मैं तो मिसाल के तौर पर कई बातें कह देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस आफिसर्स के साथ अगर आप कुछ करते हैं कभी वैसे तो उसका डाईरेक्ट असर हम गांव वालों पर पड़ता है। यह असर कैसे पड़ता है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि वे असंतुष्ट होते हैं तो वे काम टालना चाहते हैं। या कम ग्रेट होने से आर. ए. एस के आदमी आते तो अंत में हम लोगों को नुकसान पहुँचेगा। शहर वालों को कुछ नहीं होगा। इंजीनियर काबिल रहता है तो भवन या अट्टालिकाएं शहर में बनाते हैं। कोई भी इन्जीनियर १००० या १५०० रुपियों की लागत की चीज का नक्शा बनाने के लिए गांवों में नहीं जाते।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—सड़कें कौन बनाते हैं।

श्री मानसिंह महार—मेरी कांसटिटयूएन्सी आमेर बी पर तो राजस्थान सरकार की कृपा है। वहां पर कोई सड़क नहीं बनी यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। वहां एक गज भी सड़क नहीं बन सकती, माइल की बात तो दूसरी है। इतना मैं कहना चाहता हूं आर. ए. एस तबके के लोगों को आप असंतुष्ट मत कीजिये। आप यह सोचिये कि आर. ए. ऐसा तबका है जो गांववालों से सीधा सम्बन्ध रखता है। आर. एस. वालों को पीछे खदेड़ कर अपनी गांववालों की तोहीन की जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखिये मेरा दूसरा कटोती का प्रस्ताव हो गया।

अब मुझे भ्रष्टाचार के बारे में कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स देने हैं। कल इस के बारे में गृह मंत्रीजी ने फरमाया था इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा समय बोलने के लिये और देंगे।

[श्री मानसिंह महार]

कालेज के प्रिन्सिपल्स का ५०० से ७०० तक का वेतन था। पहले जहां ७००रु पर खत्म होता था वहां अब ७०० से १२०० तक कर दिया है। आपका राज्य है चाहे जैसा करें लेकिन कुछ न्याय की सीमा को देख कर करें। ७०० से १२०० का ग्रेड तो उनका कर दिया, लेकिन हमारे यहां के प्रिन्सिपल्स जो हैं उनकी काबलियत का नमूना तो देखें ? शिक्षा विभाग की काबलियत का नमूना कल पालीवाल जी ने बताया था और लोग भी बतायेंगे। मैं ज्यादा छींटा कसी करना नहीं चाहता। कालेजों का नमूना तो देखिये। मैं होल्कर कालेज, इन्दोर में पढ़ा हूं, वहा का छात्र हूँ। मैं महाराजा कालेज, जयपुर में भी पढ़ा हुआ छात्र हूं। मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेन्डर्ड होल्कर कालेज का है वह स्टेंडर्ड जयपुर कालेज में नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां के प्रिन्सिपलस में स्पोर्टसमेन स्प्रिट नहीं है और उसकी कदर करने वाले नहीं है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हम को आगे बढ़ना है तो यह कहना पड़ेगा कि प्रिन्सिपलस का स्पोर्टसमेन होना आवश्यक है। यह बात हमको अंग्रेजोंने सिखाई है। उन्होंने हमें दो बातें खास सिखाई थीं एक तो समय कि पाबन्दी और दूसरी स्पोर्टसमेनशिप को प्रोत्साहन देना हम भी चाहते हैं कि इस तरह की चीज हमारे यहां भी हों।

एक कटौती का प्रस्ताव मेरा है वह यह है कि नये डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाये जायें। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नये नये डिप्टी मिनिस्टर बनाकर गलती करत है।..........

एक माननीय सदस्य—आपको भी बनना है या नहीं ?

श्री मानसिंह महार (जारी)— बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं ? कहा जा रहा है कि आप किसी को डिप्टी मिनिस्टर बनाते हैं और फिर कहते हैं हटिये यह कोई तरीका है, क्या यह न्याय है ? आयन्दा डिपुटियों की कुर्सियों पर बैठने से लोग नट जायेंगे। आप डिपुटी मिनिस्टर्स के लिये नया प्रोविजन मत रखिये। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की बात न करें।

मुझे एक बात और कहनी है। भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, यह बात मेरे ही कहो हुई थी जो मेरे लफ्जों को माननीय होम मिनिस्टर साहब ने मेरी जबान से चुरा लिये हैं। मैं ही वह आदमी था जिसने कहा था इस एसेम्बली सेक्रेटेरियट में भ्रष्टाचार नहीं है, आपको याद होगा। एक दो महकमे और भी ऐसे हो सकते हैं, एक दो ऐसे ऑफिसर भी हो सकते हैं राजस्थान में। मैं कभी सूटिंग रिमार्क नहीं कसता। राजस्थान के भी अफसर बेईमान हैं यह बात वही कह सकता है। जो खुद बेईमान हो। सर्विसेज पर ऐसा रिमार्क लगाना टीक नहीं है। हमारी सर्विसेज में बहुत योग्य आदमी हैं, और ईमानदार भी है। जो चोर हैं सर्विसेज में वे भ्रष्टाचार करते हैं, फैलाते हैं उनको रोकने का इन्तजाम करें। होम मिनिस्टर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि भ्रष्टाचार कम है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि

[श्री मानसिंह महार]

यह बात गलत है। मैं बड़े अदब से सदन को और मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यदि वे मानते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है तो वे भ्रम में हैं। उन लोगों से उन्हें सतर्क रहना चाहिये, जो यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आप की डेढ़ वर्ष की मिनिस्ट्री के समय में ही भ्रष्टाचार फैला है लेकिन यह पिछले ५ वर्षों से चल रहा है। लेकिन इसकी रोक थाम के लिये आप क्या कर रहे हैं। पिछली बार भी यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड बनाया गया है तब ऐसी आशा बंधी थी कि इसकी रोक थाम हो सकेगी। लेकिन कल जो आंकड़े मंत्री जी ने बताये और उनसे पूछा गया कि कितने आदमियों को बर्खास्त किया गया तो उन्होंने बताया की एक को भी नहीं किया गया। उनका आइगिग यह होगा कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। इसके मुत्तलिक मुझे यह कहना है कि भ्रष्टाचार है और बहुत है, पहले भ्रष्टाचार की दौड़ में, जयपुर के राजस्व मंत्री जी हमारे पास ही बैठते थे। हम यह बताने की दौड़ लगाते थे कि किस डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार ज्यादा है। कोई कहता था कि पी. डब्ल्यू. डी. में ज्यादा है तो कोई पुलिस के बारे में कहता था और कोई लैंड रेवेन्यू के बारे में कहता था। इस माने में हम काफी दौड़ लगाते थे और केटेगरी मानकर चलते थे। मैं खुशी के साथ कहूंगा कि आज भ्रष्टाचार पुलिस में इतना नहीं है, आज रेवेन्यू विभाग में उतना भ्रष्टाचार नहीं है। आज भ्रष्टाचार पी. डब्ल्यू. डी. में है लेकिन मात्रा वही की वही है बढ़ी नहीं है। आज जो नये भ्रष्टाचारी लोग आये हैं जिनके ऊपर से नीचे तक चांदी है, मैं सरकार को और सदन को आगाह करना चाहता हूं कि ये नये भ्रष्टाचारी विभाग हैं एक तो ट्रान्सपोर्ट, इस विभाग के मंत्री जी अभी यहां है नहीं। दूसरा है फोरेस्ट जिससे लोगों की जेब में लाखों की रकम जाती है, जंगल कट रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं और दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि फोरेस्ट की तरक्की हो रही है। अभी एक दोस्त जो उछल उछल कर जवाब दे रहे थे लेकिन आप के पास चोरी का कोई जवाब नहीं है। यदि जवाब देंगे तो लीपा पोती करके देंगे। तो मैं कहूंगा कि आप लीपा पोती कर रहे हैं। एक नमूना जयपुर का मैं ने बताया था उसका आपके पास जवाब नहीं है, मैं आशा करता था कि कल आप इसका जवाब देंगे लेकिन आप पकड़ में आते हैं पर जवाब नहीं देते, टालम टोल करेंगे। मैं पीछे बैठा हुआ था।........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने सोचा, आप चले गये।

श्री मानसिंह महार—क्योंकि यह सोच रहे थे कि पकड़ में तो आगये, अब यह दुष्ट चला जाय तो अच्छा हो, लेकिन मैं इतना जल्दी भागने वाला नहीं हूं। मैं इन्दौर तक की ठोकर खाया हुआ हूं। मैं इसका जवाब भी चाहूंगा।

(समय समाप्ति की सूचना घंटी के द्वारा)

मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। १० कट मोशन्स पर भी एक एक कट मोशन के समान ही समय देना अन्याय है।

[श्री मानसिंह महार]

मेरे दूसरे कटौती के प्रस्ताव के बारे में एक मेरे मित्र ने प्रकाश डाला। प्रमोशन्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने भी कई दफा कहा है लेकिन जब सरकार प्रमोशन के लिये जिस प्रकार से बोर्ड बना देती है और उसमें ४-५ आदमी बैठते हैं तो हमको शंका नहीं होनी चाहिये। मैं इस सिद्धान्त को मानने लगा हूँ पहले नहीं मानता था, कुछ मित्रों ने कहा इसलिये मानता हूं। तहसीलदार के बारे में कहा गया, जिस विशेष व्यक्ति के लिये सदन में कहा गया है उसके लिये कह सकता हूँ कि वह काबिल व्यक्ति है। आप चाहे यहां छींटा कसी करदें लेकिन मैं केवल काबिल आदमी के लिये बात कहूंगा। वह शख्स आमेर में तहसीलदार रहा है और वह काबिल आदमी है।...........

एक माननीय सदस्य—आपका काम कर दिया होगा।

श्री मानसिंह महार—मेरी तो एक पैसे की भी वसूली नहीं हुई है आप रेकार्ड देख लिजिये, मेरे ठिकाने को रिज्यूम हुए डेढ वर्ष हो गया पर एक पैसा भी अब तक नहीं मिला। एक पैसा मुझे नहीं मिला। इन बातों से तो बिल्कुल बरी हूं।

(घंटी)

आप बीच बीच में ऐसी बातें न करें जिससे मेरा समय यों ही जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक कटोती का प्रस्ताव है उसको तो मैं जाने देता हूं। लेकिन एक बात पर मैं जरूर निवेदन करूंगा और मेरे पर आक्षेप किया गया और डाइरेक्टली किया, जब कि मैं राजप्रमुख के अभिभाषण पर बोल रहा था, उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आप ओफिसरों के बारे में कह कर एक प्रकार की ऐसी टेन्डेन्सी बना देंगे तो बहुत खतरनाक है। मैं उनकी इस राय को हृदय से स्वागत करता हूं कि अगर ओफिसरों में उस प्रकार की टेन्डेन्सी हो जावेगी तो बहुत खतरनाक होगा। मगर मैंने जो बात कही वह उस प्रकार की टेन्डेन्सी बनने के बात कही थी। मैं इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। अब की बार तो मैं यहीं तक रह जाऊंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा और माननीय चीफ मिनिस्टिर से कहूंगा कि जो गलत बात की गई है उसको दुरुस्त कर दें। सब लोग कहते हैं मैं ही क्या कहता हूँ। पहले त्यागीजी ने एक डिगरी दी थी और वह एम. से शुरू होती थी और इस समय जो डिग्री है वह भी एम० से ही शुरू होती है एम. से मेरा नाम भी शुरू होता है। मैं यह कहूँगा कि एम की टेन्डेन्सी है, समझदार को इशारा ही काफी है और वे लोग समझ जाते हैं कि बात क्या है। एम. से मेरा मतलब मोहमेडन्स से नहीं है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ या कहूँ तो आप कहेंगे कि यह बड़ा कोम्युनलिस्ट है, मैं कोम्युनलिस्ट नहीं हूं। मेरे इस एम. में मुसलमान नहीं आते हैं। कोई भी आते हों। एम. है और इस संबंध में मेरा कट मोशन बिल्कुल साफ है इसलिए इसकी तरफ में सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि वे केवल यह कह कर हंसी में ही इसको न टाल दें कि मेरा नाम भी एम. से ही शुरू होता है, लेकिन अपने एक्सन्स से बतलाइये। राजस्थान बनने के बाद जोधपुर और जयपुर के चीफ मिनिस्टर रहे

[श्री मानसिंह महार]

मगर वे इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से ऊंचे रहे, हालांकि उनके पास रेवेन्यू और होम जैसे इम्पोरटेन्ट पोर्टफोलियोज रहे। आज आप होम मिनिस्टर को ले लीजिये। होम मिनिस्टर जयपुर के और जोधपुर के सेक्रेट्री हैं। आज आप जयपुर जोधपुर बदा रहे, हैं आप रेवेन्यू में ले लीजिये। रेवेन्यू मिनिस्टर जयपुर का और रेवेन्यू सेक्रेट्री जयपुर का है। मगर मैं यह कहूंगा कि प्रोमोशन के बारे में वे तो बेचारे पर कटे पंछियों की तरह हैं उनके हाथ में क्या है ? उनका जिक्र मैं आगे करूंगा लेकिन मैं यह कहूँगा कि वे इस रेस्पोन्सीबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। वे यह कहेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि ऐसा न करने में कईयों के गले काट दिये।

जब मैं एक महरबानी का क्लीअर एग्जेम्पल आपको दूंगा क्योंकि एक मेरे दोस्त श्री कन्हैयालाल जी जिनका नम्बर आर० ए० एस० में ७७ या ७८ नम्बर पर जाता है कई दूसरे अपने से ऊपर के आदमियों को छेदते हुये आगे बढ़ गये। आप जयपुर के हैं और एडिश्नल चीफ सेक्रेट्री के कृपा पात्र हैं, वे आमेर के पहले एस० डी० ओ० रहे हैं। उनका डिस्पोजल ओफ केसेज का रेकर्ड है ५ केसेज महीने में। वे वहां पर जब एस० डी० ओ० थे उस समय ५ केसेज महीने में तय करते थे। उनकी खास क्वालीफिकेशन यह है कि वे एडिश्नल चीफ सेक्रेट्री को सलाम करना जानते थे। इसलिये उनको आज एडिश्नल डाइरेक्टर डेवेलपमेंट बना दिया गया है। उनका नाम है ७७ नम्बर पर श्री कन्हैयालाल है और यह क्लीअर इन्सटेन्स है और यह पक्षपात जयपुर में हुआ है। यह संकुचित भावना है। मेरे मैं तो यह क्षेत्रीय भावना नहीं है लोग जातिवाद पर चलते हैं लेकिन मैं तो इन भावनाओं से परे हूं। मैं गुट बन्दी से दूर हूं। मैं किसी गुट बुट में नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो वह ईमानदारी से आगे बढ़े और राजस्थान के लोगों को और कर्मचारियों को न्याय दे। अगर सरकार राजस्थान की सर्विसेज को न्याय देगी तो सर्विसेज हमको न्याय देंगे और हमको न्याय मिलेगा तो हम खुश होंगे, और हम समृद्धिशाली बनेगें। लेकिन सब यही चाहते हैं कि हम अपने गुट वालों का भला करें। आपके पास जरिया है, आपके पास शासन का जरिया है आप करना चाहें कर सकते हैं और आप लोगों की यह टेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है और इससे लोगों को डर लगने लगा है। मैं यह कहूंगा कि यह टेन्डेन्सी है वह गलत है, लोग कहते हैं कि हम किसानों के नुमायन्दे हैं और वे उनके हित के लिये जयपुर में आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके पैसों से किसानों की नुमायन्दगी करने वालों के जयपुर में बंगले बन जाते हैं। जो लोग अपने आपको किसानों का सबसे बड़ा नुमायन्दा मानते हैं उनकी भी कोठियें दुर्गापुरा के आस पास झुक रही हैं। वे यह समझते हैं कि बंगले तो झुकालें। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर एपोइन्टमेंट के बारे में सुननेवाला कोई नहीं है। चीफ मिनिस्टर जिनके पास जी० ए० डी० है वे भी यहां नहीं हैं। किसको सुनाऊं दीवारों को सुना रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं और उसी को समझ कर मैं यहां पर कह रहा हूँ कि उनके कानों द्वारा मेरी यह बात उन तक पहुँचेगी। मैंने जो कुछ कहा है उसके लिये मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में कहा यह जाता

Page No 73

[श्री मानसिंह महार]

है कि स्तर बहुत नीचा है और इस प्रकार की बात कह कर कि आदमी ने इस ध्येय से यह कहा है टाल दिया जाता है। पहले लोग कहा करते थे कि बोलने का स्तर बहुत नीचा है। आज तो मुझे मालूम होता है कि हमारा स्तर समान है। जब मैं उधर से बोलने वालों के स्तर को देखता हूँ तो मैं अपने स्थर को ऊंचा मान कर चलता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, जिस स्थर को चीफ मिनिस्टर ने कम पसंद किया उससे बेटर स्तर है इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। मुझे किसी बात को कहने में डर नहीं है। मैं सच बात कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ उससे लोगों के कलेजे में पिन्च होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके कलेजे में पिंच हो कर भी वे,....

(घंटी)

जनता का भला हो। हमारे मिनिस्टर लोग तो सुनाने को हैं ही लेकिन और लोग भी जो यहां आकर सुनने के लिये बैठते हैं उनको भी झटका लगता है। झटका लगे तो भले ही लगे। अगर मेरे झटके से बेइमानी करते हुए बन्द हो जावें और इमानदार हो जावें तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है।

('हियर हियर' विरोधी दल की ओर से)

अगर मन्त्री भी भूल कर गलत रास्ते पर चले गये हैं वे सही रास्ते पर आ जावें और वाकई में ईमानदार ऑफिसरों को तरक्की देना चाहते हैं तो लोगों को न्याय मिलेगा। मेरे एक मित्र ने बताया कि जिन बेचारे ने आज तक रिश्वत नहीं ली, आप उसको जानते हैं नाम बताने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से काम किया लेकिन उसके कोई सिफारिश नहीं थी इसलिये उसका कोई भला नहीं हो सका। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस समय मिर्जा इस्माइल और के० चारी यहां पर, जयपुर में, आये थे उन्होंने भी काम किया। जब मिर्जा कुर्सी पर बैठते थे और अगर कोई उनके मातहत की बुराई करता तो उनका मुंह लाल हो जाता था। लेकिन बाद में वे हमें बुला कर पूछते थे कि असलियत क्या है ? यह आई. सी. एस. ऑफिसरों की खूबी थी। आज के मंत्रियों को लोग गाली देते हैं यह उनकी हालत है।

मिनिस्टर लोग जिस कदर से काम देखते हैं उसके लिये मैं इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मद पर कहूंगा कि अपने अपो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर को ऊंचा उठायें। आप पक्षपात को रोकिये, शायद मैंने जो बातें कहीं आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। और मैंने जो मिसालें आर. ए. एस. के व्यक्तियों की दीं और मैं अब भी कहता हूं और आप अगर चाहें तो आपके चेम्बर में भी कहूँगा और आपको यह सूचना देऊंगा जिसमें एकाध केस के सिवाय सब में अन्याय हुआ है। ७५ प्रतिशत ऐसे केसेज हैं जिसमें अन्याय हो रहा है किसे और कहां से पोइन्ट आउट करूं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आप क्षेत्रीयता से बचिये ताकि लोगों को यह मौका न मिल सके कि आप पर छींटाकशी करें। आप छींटाकशी प्रुफ बनिये, अपनी ईमानदारी से आप भगवान राम की तरह न्याय

[श्री मानसिंह महार]

करें। आप उस गद्दी पर बैठे हुए हैं जिससे जनता न्याय चाहती है। जो गद्दी पक्षपात क्षेत्रीय भावना से आपको ऊंचा चाहती है अगर आप ऐसा करेंगे तो राजस्थान का भला हो सकता है। जब आप लोग नीचे की बातों से ऊंचा उटकर हमको सही तरह से न्याय देगें।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री अब आये हैं, मैंने जो कुछ अब तक कहा वह दीवारों तक ही पहुंचा है। अब मैं उन सब बातों को मुख्य मन्त्री के कानों में भी पहुंचा दूं। अब मैं एक बार अपना भाषण फिर से समाप्त करदूं। मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव इस लिए रखा है कि जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन में सुधार हो, इसी नियत से रखा है कि राजस्थान समृद्धि शाली बने, राजस्थान में ईमानदारी का डंका बजे, राजस्थान में क्षेत्रीयता की मृत्यु हो और उसका जनाजा निकाला जाय। यह दो तीन बातें कहरकर मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा अगर वे किसी दिन आफिस में समय देंगे तो मैं उनके सामने वे मिसालें रखूंगा। मैं वैसे तो आर. ए. एस. लिस्ट फिर लेकर आया था। एक एक को स्टडी करके आया हूँ, किस किस तरह से आपने लोगों को जम्प दिया है।

एक माननीय सदस्य—केवल जम्प ही नहीं, हाई जम्प भी दिये गये हैं।

श्री मानसिंह महार—केवल हाई जम्प ही नहीं पाल जम्प तक दिये गये है। (घंटी:)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दस कट मोशन दिये हैं मेरे पहले बोलने वाले वक्ताओं को एक एक कटमोशन पर १०, १० मिनिट दिये हैं तो मेरे तो दस कटमोशन हैं, मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं कोई भी बात कर रहा हूँ वह गुट्ट परस्ती से नहीं कर रहा हूँ आप उसको उस तरह से न लें। आप खुद जानते हैं कि मैं गुट बाजी का दुश्मन हूँ, कुर्सियों का दुश्मन हूँ। जिस समय पालीवाल जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे मैंने उनको कटु बातें कहीं, जब व्यासजी आये उनसे भी मैंने कुछ कटु बातें कहीं, अब हमारे मुख्य मंत्री आये हैं इनको भी मैं कभी कभी पींच कर लेता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आपकी आदत है।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) तो इस लिए मैं आशा यह करूंगा कि दो कुर्सियां तो बदल चुकी हैं, आप भी अगर दलदल में फसेंगे तो नुकासन उठायेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप राजस्थान को न्याय दीजिये। आज जो अन्याय का बोलबाला हो रहा है हम गांव वालों की तरफ ध्यान दीजिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पार्टीबाजी में मत जाइये आज जो अन्याय हो रहा है सही मायने में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर कीजिये यह मैं खास तौर से मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं।

[श्री मानसिंह महार]

मैं अपने भाषण को समाप्त करूं उससे पहले मैं यह भी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने जो सही बातें कही हैं, वाजिब बातें कहीं हैं उनको मानिये अगर कोई नावाजिब बातें कही हैं तो एक मत सुनिये और वाजिब बातों को तरफ ध्यान दीजिये। इसमें उड़ाने की बातें नहीं है। आज आपका एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल जो नीचे गिर रहा है उसको ऊंचा उठाइये मेरी बातों की ओर ध्यान दीजिये। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया हमारे एडीशनल चीफ सेक्रेटरी पहले से ही ओवरबर्डन्ड हैं अब उनको टेक्स्ट बुक कमेटी चेयरमेन बनाकर ज्यादा बोझ उन पर न लादा जाय, वे बेचारे कहीं बोझ से दब नहीं जाये। मैं उनके शुभचिंतक के नाते आपको एक सुझाव देता हूँ वह यह कि गंगानगर शूगर फैक्टरी में मनेजर का पद खाली है बड़ा महत्व का भी पद है, वहां इम्पोर्टेन्ट वर्क भी है इसलिये इनको वहां भेज दिया जाय तो उनका भला हो जायगा, नहीं तो इतने बोझ पर लादे जा रहे हैं जिससे वे घबरा न जायें। यह मेरा सुझाव शुभचिंतक और उनका मित्र होने के नाते दिया है आशा है मुख्यमंत्री भी इसे इसी रूप में लेंगे।

श्री घीसीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ६ पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मेरा यह निवेदन करना है कि अपने देश में करप्शन जो बढ़ रहा है, वह अपने देश के लिये और राजस्थान के लिये कलंक की चीज है। इस करप्शन को खत्म करने की ज्यों ज्यों कोशिश की गई मगर आज भी वह ज्यादा से ज्यादा है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे अलवर में एक ओझा नाम के मजिस्ट्रेट हैं, जिनके विषय में बार एसोसियेशन ने जिसमें २०-२२ वकील हैं, उन्होंने उसके सम्बंध में मुख्य मंत्री को लिखा कि यह बहुत करप्ट मजिस्ट्रेट हैं इसके खिलाफ इन्क्वारी होनी चाहिये इसके खिलाफ काफी शिकायतें होने के बावजूद भी आज वे मजिस्ट्रेट वहां मौजूद हैं। माननीय स्वायत शासन मंत्री महोदय खुद इस बात को जानते हैं कि वह करप्ट है उसके बावजूद भी वह वहीं रखा गया है। आज जो मंत्री यह कहते आये हैं कि मैं करप्शन का दुश्मन हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी नजर में होते हुए वे आज कुछ नहीं करते मैं खुद समझ नहीं पाया कि क्या वे कुछ करने लायक है या नहीं। या उनका कुछ स्वार्थ है। हमारे मंत्री लोग कुछ केसेज में उसको वहां रखना निहायत जरूरी समझते हैं इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिये, वकीलों का रिप्रेजेन्टेशन है कि उसको वहां से जल्दी से जल्दी हटाया जाय।

इसी प्रकार राजगढ़ में श्री सदाशिवन नाम के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट थे अच्छे आदमी थे वहां की जनता भी खुश थी, उनको वहां से इसलिये हटा दिया गया है कि वे हमारे मंत्रियों की मरजी के मुआफिक कोई काम नहीं करते इसलिये जल्दी से उन्हें वहां से हटना पड़ा।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करदूं कि जिस कोन्स्टीटयूएन्सी से मैं आया हूं उसका नाम तिजारा है, उस जगह पहले सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटी थी वह वहां से हटा दी। वहां पर एक भी कोर्ट नहीं है सब को इधर भेज दिया है जहां पहले मजिस्ट्रेटी कोर्ट था इस गवर्नमेंट के

[श्री घीसीसिंह]

आते ही वहां से हटाकर बहरोट ट्रांसफर कर दिया गया है। इस संबंध में बातचीत करने से पता लगा कि आपने व्यासजी को वोट दिया है इसलिये ये कोर्ट यहां से हटा दिये गये हैं। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ग्रूप पोलिटिक्स के आधार पर नहीं चलना चाहिये। मजिस्ट्रेट कोर्ट को बहरोट भेज दिया गया क्योंकि वह हमारे मंत्री जी का सब डिवीजन है दूसरे मंत्री की वह तहसील है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि २०० केसेज जो थे वे अलवर और बहरोट ट्रांसफर कर दिये गये हैं लोगों को परेशान करने के लिये, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं मजिस्ट्रेट को वापिस भेजना चाहिए कोई पक्षपात या गुट बाजी इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटोती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने यह बात कही कि आपने व्यासजी को वोट दिया था इसलिए आपके यहां से कोर्ट हटा किया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन अधिकारी था जिसने इस प्रकार की बातें कहीं, उनका नाम बताया जाना चाहिये। यह एक तरह से सदन का अपमान है उस व्यक्ति का नाम बताया जाना चाहिये इस पर हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा कटौती का प्रस्ताव संख्या ६ विषय २५ सामान्य प्रशासन में एक रुपया की कटौती कर दी जाय। कार्य में अव्यवस्था सम्बन्धित विषय पर विचार करने के लिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले राजप्रमुख के ऑफिस के खर्चे को लीजिये। एक तरफ तो ऐसी बात चल रही है कि राजप्रमुख का पद रहेगा या नहीं और दूसरी तरफ राजप्रमुख के ऑफिस के लिए खर्चा उसी तरह रक्खा गया है इससे लगता है कि यह ऑफिस और भी लम्बे समय तक के लिए रक्खा जा रहा है।

(विषयान्तर सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—सब्जेक्ट मैटर पर आइये।

श्री मोतीलाल चौधरी—जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने कट मोशन पर ही तो बोल रहा हूं साहब। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में राजप्रमुख का ऑफिस भी है।

हम देखते हैं कि अधिकारियों के प्रोमोशन किस बेसिस पर होते हैं, और कौन सीनियर है या कौन जूनियर है इसका पता नहीं चलता।

यह भी एक तरह का ट्रेडिशन हो गया है कि बाड़मेर और जैसलमेर सरीखे राजस्थान के बोर्डर एरिया पर उसी अधिकारी को भेजा जाता है जिसको अयोग्य समझा जाता है या जिसको

[श्री मोतीलाल चौधरी]

किसी तरह से इधर से हटाकर हैरान करने की मन्शा होती है, जबकि वहां की बोर्डर एरिया की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए वहां अधिक से अधिक योग्य आदमियों को और अधिकारियों को वहां भेजा जाना चाहिये। किसी की शिकायत होती है उस अफसर को भी वहां भेजा जाता है, पनिशमेंट देने की नीयत से। तो एडमिनिस्ट्रेशन की यह खामी भी दूर की जानी चाहिये।

कमिश्नर पद को भी हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि इनके कोई खास फंक्शन नहीं सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस का वे काम करते हैं। तो यह व्यर्थ का खर्चा समाप्त करना चाहिये। डवलप्मेंट का वर्क भी उनके जिम्मे है पर एक दिन भी उसे वे नहीं देखते, यह मेरा अनुभव है।

फेमीन वर्क भी इनके जिम्मे है। नागौर बाड़मेर में प्राय: अकाल की स्थिति बनी रहती है, बीकानेर में सर्वदा अकाल रहता है। पर इसकी रिपोर्ट कलेक्टर वगैरह समय पर नहीं भेजते। इसके लिए कमिश्नर का फर्ज होता है ध्यान रक्खे पर वह भी एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचते। नागौर जिला इस साल अकालग्रस्त है। पर सेक्रेटरियेट में कोई इत्तला इन कमिश्नरों ने अभी तक नहीं भेजी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह फेमीनरिलिफ यहां कहां आ गई उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं कमिश्नर की ड्यूटीज पर बोल रहा हूं। क्या वे करते हैं और क्या करना चाहिये। इसके बारे में और उदाहरण दूं।

(घंटी)

सेटलमेंट के रेकार्ड भी चेंज किये जाते हैं पर कमिश्नर इसे भी नहीं देखते। जागीर रिजम्पशन के बाद भी जागीरदारों ने सेटलमेंट के रेकार्ड चेन्ज किये हैं। खुदकाश्त जमीन के रेकार्ड में चेन्जेज किये हैं।

(श्री अध्यक्ष महोदय, पदासीन)

उन्होंने अपनी जमीनें, खुदकाश्त की जमीनें बढ़वा लीं, किसानों के रेकार्ड खराब किये हैं।

एक माननीय सदस्य—सामान्य प्रशासन से इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—He will connect it with that.

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं कमिश्नर के कुछ ध्यान न देने की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—If the Hon' ble Member raises points which cannot be covered by the member in charge of the demand to be moved.....

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरे कहने का अर्थ यह है कि कमिश्नर अगर ठीक तरह से काम नहीं करते तो इनको रखने का कोई जरूरत नहीं। कमिश्नरी तोड़ दी जावें। इसलिये मेरी मांग है कि इस पोस्ट को तोड़ देना चाहिये।

(घंटी)

दूसरी बात जो मैंने देखी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो बजट में दो एक बातें ऐसी पाई मैंने, मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आप बजट पर बोल रहे हैं ?

Your motion is also vague. It is lenient that we have allowed it. The cut is vague.

श्री मोतीलाल चौधरी—डिमान्ड साफ है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—order ! order!!

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष—Order Please ! Shri Mohan Lal Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों से इस बात के लिए क्षमा याचना करना चाहूंगा कि जिस वक्त ये डिमान्ड चल रही थीं मैं स्वयं उपस्थित नहीं रह सका और उनको नहीं सुन सका। कल एक हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाने के कारण दो चालक मारे गये थे। उनकी डेड बोडीज यहां लाई गई थीं। वहां जाना मेरा जरूरी था इस कारण देरी से यहां पहुँचा हूं। वहां जाना मेरा कर्तव्य हो गया था।

मैंने चूंकि पूरी बातें स्वयं ने नहीं सुनी हैं इसलिये जवाब में कुछ खामियां रह सकती हैं। इसलिये मैं क्षमा याचना करते हुए जो कुछ कहा गया उनके पोइन्टस की जानकारी अपने साथियों से प्राप्त की है और उसी के आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, आज जो बातें कही गई हैं वे पे स्केल्स से सम्बन्ध रखने वाली, ट्रान्सफर्स से सम्बन्ध रखने वाली हैं तथा कुछ और बातों का भी जिक्र किया गया। पे स्केल्स के सम्बन्ध में मैंने कल बहुत कुछ स्पष्ट इस सदन के समक्ष किया था और जो बात मैंने रूल्स में जो वेजेज के अन्दर पेज के अन्दर, डिफरेन्स है वह कही थी। मैं समझता हूं कि किन किन के आधार पर कहा उसका

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आधार नहीं है लेकिन मैं इस सदन के अन्दर उन चीजों में और उस विवाद के अन्दर पड़ना नहीं चाहूंगा। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी देश की विचारधारा या तरीके के विरोध के कारण वह उदाहरण पेश नहीं किया बल्कि जो वस्तुस्थिति है, वहां जो गये हुये हैं, जो उसके प्रति अच्छी राय रखते हैं; उन्हीं के यह कहने की बात कही थी। मैं माननीय सदस्य से इस बारे में अलग से चर्चा कर सकता हूं। घटा बढ़ा कर कहने वाली बात यहां नहीं कही। उन्होंने जो रेफरेन्स दिया है वह २० साल पुरानी किताब है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेटेस्ट एडीशन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लेकिन उस विवाद के अन्दर पडने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मैंने आपको जो बातें कल यहां पर निवेदन की थी वह स्पष्ट थी। पहले लोएस्ट और हाइएस्ट में डिफरेंस था वह कम करने का प्रयत्न किया गया। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पहले देवस्थान कमिश्नर की ५०० से ७०० की ग्रेड थी वह अब ८०० से १२०० हो गई, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह १००० से १५०० की ग्रेडस में है, उन पर स्पेशल एलाउंन्स कोई अटेच्ड नहीं है। इस समय जो अधिकारी इसमें हैं उनको १०० रुपया वेतन मिलता है। उसमें कोई अन्तर इस प्रकार का नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोएस्ट और हाइएस्ट में डिफरेंस हुआ हो। और जो डिफरेंस की हम कल्पना करके चलते हैं कि डिफरेंस हो गया; तो डिफरेंस अगर हुआ तो लोएस्ट को कहीं न कहीं कितना लाभ हुआ वह निश्चित बन सका है। हर डिपार्टमेंट में चपरासी आमतौर से होते हैं, उसकी जो वृद्धि होती है वह सामने आ ही जाती है। मैंने कल जो निवेदन किया था यहां पर उसमें मैं इस बात को नहीं कहता कि आज जो वर्तमान है सरविसेज में उनके अन्दर तो लाभ की दृष्टि से ही हमने एडवांन्स पेमेन्ट किया है, उस ख्याल से ऐसे अन्तर में और फर्क पड़ गया, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि ३२ गुने के बजाय २१ गुना जरूर हुआ है, एडवान्स इन्क्रीमेन्ट जो नीचे के लेवल को किया गया है, एजूकेशन फेसिलिटीज जो नीचे लेवल को दी गई उन चीज़ों का एडीशन करें और उसके बाद डिफरेंस निकालें तो उस डिफरेंस में और अन्तर पड़ने वाला है तो इस लिए मैं निवेदन करता था कि इस बात को लेकर आम तौर से कहा जाता है कि बहुत असन्तोष है जो कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनमें, यह स्वाभाविक बात है कि हरेक व्यक्ति जिसको कि कम तनख्वाह मिलती है अधिक मिले इसकी इच्छा रखे, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो देखने की बात आती है, जिसके मैंने कल आंकडे निवेदन किये थे, कि हम कितना कर सके हैं यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। जो बहस पहले चल रही थी उस बहस से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमने बहुत खर्च कर दिया ऊपर वाले पर और नीचे वालों को कम वेतन के अन्दर वृद्धि की है। लेकिन कल के आंकड़ों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वालों की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई, इस बात पर जोर न रह कर वह आज इस बात पर है कि नीचे वालों की वृद्धि अधिक होनी चाहिये, नीचे वालों की वृद्धि अधिक हो इसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं स्वयं इस बात को अगर कहूं यहां खडे होकर, कि जो कुछ हमने नीचे वालों को दे दिया है वह इतना है कि जो कुछ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कहा जाता है वह गलत है, तो वह उचित नहीं होगा। नीचे वालों को अधिक मिले वह हम सब यहां पर बैठे हैं, वह चाहें यह स्वाभाविक है, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं यह सोचने का प्रश्न है। जो हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति है राजस्थान की उसको देखते हुए दरअसल हम कितना आगे जा सकते हैं वह मैंने कल निवेदन किया था कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और हमारे पास गुंजायश हो तो मैं समझता हूँ कि यह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आज की हालत जैसी है उस हालत में जितना कर सकते थे उतना किया है। और फिर, अध्यक्ष महोदय, यह महगाई और वर्तमान जीवन की उनकी आर्थिक दिक्कतें, मैं समझता हूँ, कई वर्षों से हैं। आखिर सदन इस बात को तो मानेगा। मैं समझता हूँ कि हमने कुछ बातों का प्रयत्न किया। जहां कि हम पिछले ५ साल से लगे हुए थे, आज पांच साल से रुके होने के बजाय कुछ तो देने की बात की। कम से कम उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। यह कहता हूँ कि पूरे आगे नहीं बढ़े हैं, और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। उसमें हमने हमेशा यह कहा है कि हमारी स्थिति ज्यों ज्यों अनुकूल होती जाय उसके अनुसार प्रयत्न करने के लिये सदैव तैयार रहे हैं। इन चीजों के ऊपर मैं आशा करता हूँ कि हमने काफी चर्चा की है। वे हमारे पक्ष में हैं। जिन्होंने इस सदन में बैठकर और जिनके हाथों में राजस्थान का राज्य चलाने की जिम्मेदारी है वे इस प्रश्न को राजनीति का प्रश्न नहीं बनायें और वास्तविकता के आधार पर देखें कि हमारी बहस और हमारी विचारधारा का क्या असर पड़ सकता है इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनको उस दृष्टि से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बाहर कोई भी बैठ कर कुछ कहे लेकिन यहां बैठ कर जब हम विचार करें तो हमारे सामने यह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिये आज जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि ५, ५ रू० बढ़ा देते तो ८० हजार वे लोग हैं जिनमें घोर असन्तोष है वह नहीं होता लेकिन अगर उन ८० हजार को जिनमें असन्तोष है अगर ५ ५ रू ही बढ़ाया जाय तो महीने के चार लाख बढ़ते हैं और साल के ४८ लाख बढ़ते हैं पर हमारी जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उस स्थिति के अन्दर हम क्या उस हद तक पहुँचने की हालत में हैं अगर नहीं हैं तो हमें प्रयत्न धीरे धीरे इस ओर जाने का करना होगा। इन सारे प्रश्नों का हमने काफी विचार नहीं किया हो ऐसा नहीं है। विचार करते समय कुछ न दिया जाय या कम कर दिया जाय या और कुछ हो ऐसी बात नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि जहां बढ़ाने की बात कही है तो कई व्यक्तियों को उसका लाभ ८ वर्षों के बाद मिलेगा, लेकिन नीचे के जो चपरासी वगैरह हैं उनमें से अधिकांश अपने मेक्जीमम पर है। जो पांच साल से चपरासी रह गया वह मेक्जीमम पर पहुंच गया। हमारे यहां ७०, ८० परसेन्ट चपरासी ऐसे मिलेंगे जो कि मेक्जीमम पर बैठे हुए हैं। उनको इमीजिएट जैसा कि कल निवेदन किया दो रुपये के करीब करीब गेन होता है। दूसरे जो ऊपर के लेवल्स के हैं उनको इमीजिएट गेन नहीं होता है। इस खर्चे के इन्सीडेन्स के बारे में मैंने कल आपके सामने सारी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था और मैं समझता हूं कि उसके बाद भी मेरी यह इच्छा है कि नीचे के व्यक्तियों का वेतन अधिक बढ़े। मैं समझता हूँ कि हमें यह तय करना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति को हम सुधारें, और उस सुधारने में हमारे माननीय सदस्य एक जो इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा उग्र हैं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्यों को वे इसी उत्साह से देखें। यह आशा करके मुझे चलना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सही कार्य होंगे तो।

श्री सुखाड़िया—सही कार्य आपकी दृष्टि में कहीं नजर नहीं आते हैं। तो इसके आगे चर्चा चली कुछ प्रमोशन्स के बारे में, और आश्चर्य मुझे होता है कि आई०ए०एस० में जो प्रमोट किये गये हैं वे सीनियोरिटी के आधार पर नहीं किये गये हैं। बड़ा अन्याय हो गया। पक्षपात हो गया। फलां व्यक्ति क्यों आगया? उस व्यक्ति का भाई क्यों आगया? ये सारी चीजें यहां पर अभी इस सम्बन्ध में आती रहीं। मैं समझता हूँ कि इसको कई बार भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। और एक बात बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि जो तरीका हिन्दुस्तान भर में अपनाया जाता है, जो तरीका हमने नहीं गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया है, और जो निर्णय हम नहीं करते बल्कि यू०पी० एस०सी० मतलब भारत का जो यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, उनके रिप्रेजेन्टेटिव की चेयरमेनशिप में जो कमेटी सेट अप होती है वह उन्हें पास करती है। कोई यहां के व्यक्तियों का फैसला किया हुआ नहीं है। और उनके साथ में यहां के सीनियर आफिसर्स बैठ कर फैसला करते हैं। वे रेकार्ड वगैरह सारी चीजें सामने रख कर फैसला करते हैं। तो फिर अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह कुछ सोचने की बात हो सकती है कि हम सदन में जो कुछ कह दें वह सही है और भारत सरकार के पब्लिक सरविस कमीशन के जो मेम्बर हैं, अच्छे सीनियर से सीनियर आफिसर्स उसमें बैठे हुए हैं वे सब पक्षपात करते हैं, और यहां खड़े होकर हमारे माननीय सदस्य पक्षपात की नहीं बल्कि वाजिब बात कहते हैं।

यहां बार बार इस बात को दोहराना, इस बात को कहना और अगर हम यह तरीका लेकर चले तो मैं समझता हूं कि इसका कहीं अन्त नहीं कर सकते। आखिर कोई न कोई फैसला करना होगा। कौन फैसला करता है? इसलिए पब्लिक सरविस कमीशन्स होते हैं और दूसरे होते है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट के अन्दर पब्लिक सरविस कमीशन की एक राय को भी नहीं ठुकराया गया।

श्री चांदमल मेहता—भाषण आपने पूरा नहीं सुना, अकाउन्टेन्ट का कहा था।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member hasa right to speak but he has no right to interrupt.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो दृष्टिकोण रखा है वह बहुत स्पष्ट है, पक्षपात का सवाल नहीं। तरीके के सवाल हैं। जो तरीका हिन्दुस्तान भर में, दूसरे राज्यों में, काम में लाया जाता हो यदि यहां हम दूसरी तरह का तरीका काम में लायें तो मैं उचित नहीं समझता।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में कहा गया कि राजस्थान में डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट क्यों रखी गई है राजप्रमुख के लिए। मैं निवेदन करूं कि पंजाब में गवर्नर के लिए डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट है, सौराष्ट्र में ४० हजार राजप्रमुख के लिए डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट रखी है, बम्बई में गवर्नर के लिए डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट है २५ हजार रुपया, और यू०पी० में १२ हजार गवर्नर की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट है। तो अनहोनी बात यहां नहीं रखी गई हैं। जो दूसरी जगह व्यवस्था रखी जाती है उसी व्यवस्था को यहां भी रखा जाना उचित होता है और उसी दृष्टि से श्रीमन् राजप्रमुख के लिए डिस्क्रीश ग्रान्ट के लिए इसमें व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, किन्हीं माननीय मित्र ने चौधरी कुम्भा रामजी के ट्रैक्टर के सम्बन्ध में यह कहा कि कई बातें ऐसी हैं कि जो उनके पास कागज है बता देंगे तो गड़बड़ी हो जायगी इसलिए साथ लेकर चल रहे हैं, ड्राइवर वहां गया उसने इसलिये नोट कराया कि उसको टी०ए० मिलता है। इन्टरप्रिटेशन आप दें वही स्वीकार किया जाना चाहिए यह तो बड़ी मुश्किल की बात हुई। मैं निवेदन करूं और पहले भी निवेदन किया था कि वह लोग बुक में दर्ज हैं। जब दर्ज हैं तो उसका बिल बनाता है छपी हुई रसीद मिलेगी अगर पेमेन्ट हुआ होगा, एक व्यक्ति का अकाउन्ट होगा तो उसके पास उसका बिल जायगा। कहा गया कि एस्टीमेट्स नहीं बने। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि दूसरा प्रोसिजर एडोप्ट हुआ होगा। यह हो सकता है कि एप्लीकेशन न भेजी हो कि बुल डोजर काम के लिए भेज दें, लेकिन जिस मैन चीजें के जरीये बिल बनता है, लोग बुक के अन्दर एन्ट्री मौजूद होती है जितने आज तक काम किये हैं और उस एन्ट्री के बाद यह कारण पैदा नहीं होता कि फ्रोड किया हो। बिल का पेमेन्ट होना हो, एरीयर्स हो सकते हैं। बिल न पहुंचे। लोग बुक ऐसा क्राइटेरिया है अध्यक्ष महोदय, और अर्ज करूं कि जो ड्राइवर ने डिपार्टमेन्ट के पास बिल बना कर कि इतने अर्से काम किया है वह भेजा वह मैंने अपनी आंखों से देखा वह भी लोग बुक के अलावा मौजूद है। इन चीजों से मेरे दिमाग में असर पड़ता है कि जो बातें आपने कहीं वे कान्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जिन कागजों के बारे में आपने निवेदन किया उनसे बात कर लें तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता बजाय इसके कि उन चीजों में यहां पड़ें।

यह कहा गया कि एडवान्स ड्रा की। मैंने इसकी जानकारी की। एडवान्स के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। कहां से की? चौधरीजी से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि कहां से ड्रा की पता नहीं। ओफिससे पता लगाया। मैं डिसकशन में नहीं पड़ना चाहता लेकिन जो ड्रा किया कहा गया उसकी जानकारी करने की कोशिश की। ट्रैवलिंग एडवान्स के लिए हममें से कोई ड्रा नहीं करते, मैं इतने अर्से से काम कर रहा हूं। मैंने कभी एडवान्स ड्रा नहीं किया क्योंकि यह सिस्टम नहीं है कि कोई मिनिस्टर एडवान्स ड्रा करे। कहां से ड्रा हुआ? बिल पेडिंग, बाकी बचे हुए थे, हो सकता है कि मोटर गेराज के बिल पेडिंग हो, हो सकता है कि टोटल आउट स्टेडिंग उनके नाम हो, बिल दिया हो और तो कोई नहीं है, इनकी जानकारी के बिना मैं क्या जवाब दे सकता हूं। फिर भी मैं निवेदन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करना चाहूंगा कि एडवान्स ड्रा करने के बाद बिल नहीं दिया तो भ्रष्टाचार की बात कहां आकर जुड़ जाती है। एक आदमी ने अगर नहीं दिया, रुपया उनके नाम निकलता है, टेलीफोन का बिल एडजस्ट नहीं किया, टेलीफोन के बिल्स के मामले पर मैं अर्ज करूं कि दो दो तीन तीन महीने मेरे निकले उस पर यह कहें कि भ्रष्टाचार हो गया, चूंकि नहीं किया इसलिए भ्रष्टाचार हो गया, वक्त निकल जाता है, नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या ऐसी बात है जिसमें इस चीज को डिवाइव करना चाहते हैं, यह जरा विचारणीय बात होगी।

मैं इन चीजों को कहने के बाद एक चीज पर मेरा ख्याल है कि एक ही महानुभाव ने ज्यादा जोर दिया था और वह जोर इस बात पर दिया कि मेवाड़ी अफसर बड़े हावी हो रहे हैं। और एडीशनल चीफ सेक्रेटरी सबसे ज्यादा हावी हो रहे हैं। मैंने आपसे कल भी सदन में निवेदन किया था कि हमारे लिए अच्छा यह हो कि अफसरों की जब चर्चा करें तो आप मुझ पर जो चार्ज लगाना चाहें लगावें लेकिन अफसर के लिए एक मेवाड़ी है फलां जगह का है यह क्राइटेरिया करके कोई लाभ नहीं उठाते। जो विरोध है उस विरोध को समझने वाले समझते हैं। उससे कोई लाभ नहीं पहुँचता। कहें तो तथ्य जरूर होना चाहिये। आपने यह कहा कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को नेश्नेलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की कमेटी का चेयरमेन बनाया।

श्री **मानसिंह मह्रार**:—फेक्ट्स को बिना सुने गलत बात कहना....

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—आपने दुबारा कहा था जब मैं यहां था।

श्री **मानसिंह मह्रार**:—होने जा रहे हैं यह कहा था। मुख्य मंत्री महोदय, हाउस में रहें नहीं, जब हम बोलें और फिर चार्ज लगावें। हमारी तोहीन हुई कि उन्होंने पहले तो नहीं सुना और डबल तोहिन यह है कि हम पर चार्ज लगावें।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, क्योंकि यह इतनी चीज महत्वपूर्ण थी। जब मैं आया तो वापिस दोहराया। यह मैंने अपने कानों से सुना था।

श्री मानसिंह मह्रार—रेकर्ड देख लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रेकर्ड।

श्री मानसिंह;—मैं बोला हूं देख लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आप से निवेदन कर रहा था कि मान लीजिए कि मेरे समझने में फर्क रहा हो लेकिन जिस चीज का सदन में जिक्र नहीं उस सवाल को उठा कर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सदन में रख देना ऐसी स्थिति में, श्यामलाल जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्टिंग चेयरमेन हैं, काम तो वे कर रहे हैं, उपयुक्त नहीं होता। कही हुई बातों पर कहें तो और भी उपयुक्त नहीं होता है। दूसरी बात कही कि ओवर शेडो कर दिया। इन सारी बातों को कहने के बाद आप दूसरों के बीच में कोई चीज पैदा कर सकें तो अच्छा है। आप इन चीजों में आवें कि एक भाई के लिए कर दिया दूसरे तीसरे के लिए कुछ कहें तो इन चीजों को सदन में नहीं अपनाना चाहिए।

मैं आप से यह निवेदन करके चलना चाहता हूं कि मैंने इस प्रश्न पर कि कोई ओफिसर कहां का है, कभी नहीं सोचा। इस दृष्टिकोण से कि अमुक जगह पर अमुक स्थान का व्यक्ति लगाया जाय और जो काम करने वाले हैं, जिन का काम ठीक है उनको उपयुक्त स्थान पर लगाने का प्रयत्न न किया जाय, कभी नहीं सोचा। आप कई बार कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक अमुक स्थान पर क्यों नहीं लगाया गया? मैं इसके मेरिट और डिमेरिट पर नहीं जाना चाहता। किसी के बारे में कहें कि यह बहुत योग्य है और किसी के बारे में कहा जाय कि यह योग्य नहीं है, इन बातों की सदन में चर्चा करना इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि एक एस. डी. ओ. के बारे में वकीलों ने लिख कर दिया कि इसकी ट्रान्सफर की जाय क्योंकि यह बड़ा करप्ट है और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। इस पर हमने कलेक्टर को लिखा कि इस एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है इसलिए उससे पूछा जाय कि क्या चार्ज उसके खिलाफ है और इसकी इन्क्वायरी करके रिपोर्ट भेजी जाय। उक्त कलेक्टर ने वहां के वकीलों को कहा कि आप स्पेसिफिक चार्ज बतावें क्यों कि इन्क्वायरी के लिए गवर्नमेंन्ट के इन्स्ट्रक्शन आये हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक चार्ज लेकर उसके पास नहीं आया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ट्रान्सफर्स बहुत से हुए और दूसरी ओर कहते हैं कि हमने ट्रान्सफर के लिए कहा करप्ट आफिसर है उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई और जब इन्क्वारी के लिए पूछा जाता है कि बताइये क्या शिकायत उसके खिलाफ है तो शिकायत नहीं बताई जाती, उपयुक्त तो यह था कि वकील साहबान पहले शिकायत बताते और बताने के बाद यदि इन्क्वायरी नहीं होती तो सदन में इस बात को खड़ी करना अच्छा था लेकिन जब कोई शिकायत पूछने पर भी नहीं बताई जाती तो मैं समझता हूँ हम पर इसका दोष नहीं रहता।

ट्रान्सफर्स के संबंध में सदन में काफी कहा गया और यह कहा गया कि ट्रान्सफर्स इस वजह से किए जाते हैं कि पर्टिकुलर रीजन्स हैं, पक्षपात है, इसके पीछे करप्शन है और न मालूम क्या बातें कही गई। मैं सदन में कई दफा कह चुका हूँ कि इस साल कई परिवर्तन हुए इस वजह से यदि एक ट्रान्सफर करते हैं तो कुछ तीन होती है। उसके साथ दो तीन ट्रान्सफर्स जुड़ जाती हैं। एक साहब ने ३८० ट्रान्सफर्स का उदाहरण दिया। यदि १००.१५० ट्रान्सफर्स करते हैं तो इतने लोगों पर असर पड़ जाता है, ट्रान्सफर्स क्यों होती हैं? इसके कई कारण हैं। कई नये काम खुलते हैं तो पोस्टें भी बढ़ानी पड़ती हैं। जागीर डिपार्टमेन्ट में डिप्टी कमिश्नर्स की पोस्टें हुई, हमारे विस्तार खंड बढ़े तो कई पोस्टें उस वजह से बढ़ गई, खुदकाश्त ओफिसर्स की कुछ जगहें बढ़ी, लैंड एक्वीजेसन्स के लिये कई जगह असिस्टेन्ट कलेक्टर मुकर्रर करने पड़े कई जगह एक्स्ट्रा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मेजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियें हुई। इस तरह से बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ट्रान्सफर्स किये जाते हैं। जो बात आप कहते हैं वह विचारणीय हो सकती थी यदि पोस्ट्स नही बढ़ती, प्रमोशन्स की वजह नहीं होती और बगैर कारण के इधर से उधर कर दिये जाते। कई कारण हैं जैसे मैंने निवेदन किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर भी कई जगह ट्रान्सफर्स जरूरी हो जाते हैं। इसके पीछे यह कहना की ग्रुप की भावना है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने कभी यह बात नहीं कही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं कहूँगा कि कुछ सदस्यों को इस बात से नाराजगी है चर्चा करते हैं, मैं नहीं कहता लेकिन वे स्वयं ट्रान्सफर्स के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे पर प्रशेर डालते हैं। कोई नहीं कहता हो ऐसी बात नहीं है........

एक माननीय सदस्य—क्या सभी कहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (जारी)—सभी बोलनेवालों के लिये नहीं कह रहा हूं। सदन के सभी सदस्य नहीं कहते हैं लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं। उनमें से कई व्यक्ति इस चीज के लिये ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। दोनों चीजें मेल कैसे खा सकती हैं। हम एक तो इस चीज के लिये जोर डालते हैं और दूसरी तरफ सिद्धान्त के नाम पर यहां विरोध करते हैं, आफिसर्स के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। कोई आफिसर उनकी बात मान जाय तो वह बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ की जा सकती है और अगर बात नहीं मानते हैं तो सदन तो है ही उनके लिए मुश्किल यह है कि वे कुछ नहीं-कह सकते सरविस रूल्स के मुताबिक और चुप चाप सुनते रहते हैं। किसी को डिफेन्स का मौका दें तभी तो वह कह सकते हैं। यदि कोई इससे बच सका हो और फिर कहे तो बात दूसरी है। किसी ओफिसर की तारीफ करना शुरू करें यह एडमिनिस्टेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो चर्चा हम यहां करते हैं उसमें ज्यदा वक्त खराब करते हैं। यहां करने की कितनी ही चर्चाएं हैं और कितनी ही नहीं है। यह विचारों की बात ज्यादा है।

तिजारा से बहरोट के बारे में जिक्र किया गया लेकिन क्योंकि यह सवाल अभी उठा इसलिए अभी इसका जवाब देने की पोजिशन में मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है बहुत परिवर्तन हो चुका है।

एक माननीय सदस्य—आपके आने से पहले की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(जारी) मुझे बहुत जानकारी है इसके बारे में, एक सदस्य ने डाक्टरों की चर्चा, जी. ए. डी. की चर्चा इस मार्ग के बीच में करदी। इसका भी मैं जवाब दूं क्या ? मेडीकल की ग्रान्ट के मौके पर इसका जवाब देना ज्यादा उपयुक्त होगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक प्रश्न उठा था कि अजमेर के पे स्केल्स हमारे यहां के पे स्केल्स से ज्यादा हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अजमेर के वेतन कम नहीं होंगे। राजस्थान में जो हुआ है वह हम लोगों से छिपा नहीं है। जिनकी ज्यादा पे थी उनको ओप्शन दिया था कि वे युनिट पे पर चल सकते हैं। पे ज्यादा होने पर सीनियोरिटी और यहां की चीजों पर असर होगा इसका कोई कारण नही है। यहां भी कई कर्मचारियों की युनिट पे थी वह आज तक चल रही है। इसी एनोलोजी पर मैंने कहा है कि जो व्यक्ति कहते हैं उनकी जानकारी में ये सारी बातें है।

अब अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि बहुत सी चीजें यहां बहस के दौरान में आई हैं, उनकी जानकारी विस्तार से नहीं होने से आपके समक्ष मैं ज्यादा निवेदन नहीं कर सकता उसके लिये मैंने पहले ही क्षमा चाही है। जो डिमान्ड रखी है उस पर जो जो कट मोशन्स आये हैं और उनमें जो बातें रह गई हैं हम स्वयं उन चीजों के बारे में जागरूक हैं और प्रयत्न करना चाहते हैं। जैसे पे स्केल्स, करप्शन के बारे में कहा गया, कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने विस्तार से निवेदन किया था कि इसकी रोक थाम के लिये क्या प्रयत्न किया गया और आगे क्या किया जायगा। हमारे यहां करप्शन नहीं है यह बात कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी यह कह दिया जाय कि पहले कितना था और आज कितना है यह बेरोमीटर हमारे पास नहीं है। बहस तलब बात हो सकती है। आप कहते हैं गलत है, हम कहते हैं वह सही है। लेकिन आधार क्या? पहले लोग ज्यादा समझते नहीं थे इसलिये बहुत चर्चा नहीं होती थी। अब जागृति हो रही है करप्शन है, चल रहा है, उसकी रोक थाम के लिये भी थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है। इसको बहुत कुछ समझ सकते हैं। दृष्टिकोण समझ सकते हैं कि इस कारण से इसकी चर्चा यहां सदन में बहुत ज्यादा स्थान ग्रहण करती है, लेकिन अच्छा यह होता कि इसके रोक थाम के तरीके भी बतलाते बजाय इसके कि चर्चा करते। जो भारत का विधान है, जो परिस्थिति हैं, जो शासन कारी एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, उसमें इन सारी चीजों को लक्ष्य में रख कर यदि कोई कान्करीट बात रखी जाती जिन पर विचार किया जा सके तो हमें भी इस पर विचार करने में प्रेरणा मिलती, सोचने का रास्ता मिलता। यह करना ज्यादा उपयुक्त होता। इस प्रकार जैसा पहले निवेदन किया था अमुक जगह इतना कर दें, दूसरी जगह इतना कर दें, बिना स्टेटिक्स के, बिना डेफिनेट किये किसी बात को यहां नहीं लाना चाहिये। मैं और अधिक नहीं कह कर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने तरीके से अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहते हैं।

एक बात का और जिक्र करदूं क्योंकि आपने अहम बात कह दी थी, निर्थक कह दी किस पर असर होता है ऐसी बात कहने से यह नहीं सोचा। जमुआ रामगढ़ के मित्र ने कहा हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोटा कांड की इन्क्वायरी में इसलिये नियुक्त किया कि किसी सीनियर ओफिसर पर हमें ऐक्शन लेना था, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अभी आपने बातें कही और उनके ट्रान्सफर की बात कही, उनके ट्रान्सफर का कारण कोई यह नहीं था कि उन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पर कोई चार्जेज थे या चार्ज था और उसकी वजह से उनको ट्रन्सफर किया गया। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह मुगालते को बात नहीं होनीं चाहिये। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि आपने उसकी चर्चा की और मैं उसका जिक्र नहीं करूं तो ठीक नहीं। मैं इसलिये आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका ट्रन्सफर चार्जेज की वजह से नहीं या किसी दूसरे कारणों से नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन रिजन्स से हुआ। मैं इस बात को मान कर नहीं चलता कि कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर निकाल देते या किसी को किस प्रकार का चार्ज लगा कर डिसमिस कर दिया जावे।

अंत में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूँ, माननीय सदस्य जिन्होंने अपने कट मोशन रखे हैं उनको वे वापस ले लेंगे और डिमान्ड को स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो अभी स्पष्टीकरण किया इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम जागरूक हैं और करप्शन को जितना मिटा सकें जरूर मिटाने की कोशिश करेंगे, इसके साथ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर, एम० एल० ए०, अधिकारी और नौकर ये चारों ही राजस्थान को ऊंचा या नीचा गिरा सकते हैं और इन चारों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लिडर ऑफ दी हाउस की एवन है। सतर्कता से, जागरूक होते हुए भी थोड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको करें तो मुझे विश्वास होता है कि वास्तव में राजस्थान का हित कर सकेंगे। जैसा आपने कहा कि पार्टी की बहुत सी बातें पार्टी में कहीं जानी चाहियें और राजस्थान के हित में चर्चाओं को रखते और आपस में डिसकस करके बहुत सी बातें करनी चाहिये। मेरे एक माननीय सदस्य ने करप्शन को मिटाने के लिये सुझाव दिया कि यह एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसको डिसकवर किया जावे तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा कर लेंगे। इसमें जब कभी प्राइमा फेसी केस मालूम हो जावे तो उस व्यक्ति को सख्त वार्निंग दे दी जावे या दूसरा कोई ऐसा एक्शन लिया जावे जिससे दूसरे लोगों पर उसका असर पड़े। अभी जब हमने ६. ३. ५६ का हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ा तो मालूम हुआ कि सरकार ने ४०० गजेटेड ऑफिसरों को इसी कारण से डिसमिस कर दिया है, लेकिन जब यहां पर प्रश्न आता है तो यही कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। अभी तक एक का भी नाम नहीं आया जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई हो। अगर वह गलत शिकायत है तो उस व्यक्ति के खिलाफ १८२ या २११ चलाया जाना चाहिए और सही है तो उस व्यक्ति के खिलाफ लिए गये एक्शन को जल्दी से जल्दी एडवरटाइज किया जावे ताकि दूसरे पब्लिक और दूसरे ऑफिसरों को यह पता लगे कि आज के दिन न्याय होता है। इसके अलावा प्रीमोशन देने के लिए सिनियोरिटी ही नही मानी जावे बल्कि एफिसियेन्सी और ईमानदारी और इन्टीग्रेटी को भी देख कर चला जावे। हम आशा करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छा काम कर सकेगी। अंत में मैं जो आश्वासन दिया गया है उसको देखते हुये मेरे कटौती के प्रस्ताव न० ६४, ६७ और ६६

[श्री श्रीदास गोयल]

वापिस चाहिता हूं और आपसे निवेदन है कि मुझे इनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ।

(स्वीकृत)

कटमोशंस वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीदास गोयल—मैं अपने कटौती के तीनों प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी बोलने वाले बहुत हैं । समय हो गया है ।

श्री चांदमल मेहता—विट्टा तो करने ही है । लेकिन माकूल जबाब के साथ ।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री अध्यक्ष—WE adjourn to Monday at 11 A. M. sharp.

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही १ बजे मध्यांतर को, १६ मार्च, १९५६ के ११ बजे मध्यांह पूर्व तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१६ मार्च, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर देखिये)

List of candidates selected by the Rajasthan Public Service Commission as Probationers for appointment as Accountant in the following order.

1. Shri Akhey Raj Soni.
2. Shri Girraj Prasad Khandelwal.
3. Shri Avinash Chandra Sharma.
4. Shri Bhanwar Lal Tak.
5. Shri Bhagwan Singh.
6. Shri Gopal Lal Sharma.
7. Shri Pratap Singh Mehrotra.
8. Shri Ranjeet Singh.
9. Shri Bhanwar Lal Agarwal.
10. Shri Deena Nath Mandan.
11. Shri Ghanshyam Parasad.
12. Shri Jagdish Narain Gupta.
13. Shri Kishan Chandra Gupta.
14. Shri Keshar Puri Goswami.
15. Shri Mandhan Shankar Joshi.
16. Shri Matadin Soni.
17. Shri Man Mohan Shrimali.
18. Shri Ram Roop Sharma.
19. Shri Ranjeet Chandra Bhansali.
20. Shri Radhey Shyam Sharma.
21. Shri Suraj Raj Mathur.
22. Shri Hans Raj Shankhla.
23. Shri Damodar Lal Agarwal.

List of the successful candidates at the Accountants' Examination, held by the Public Service Commissiou in December, 1954.

Sl. No.	Name	Merit No.
1.	Shri Babu Lal.	12
2.	„ Bhorey Lal.	110
3.	„ Hari Prasad.	91
4.	„ Khem Chand Sharma.	1
5.	„ Mohan Lal Kochar.	55
6.	„ Murli Lal.	112
7.	„ Nahar Singh.	115
8.	„ Prahlad Kishan.	24
9.	„ Prem Raj.	89
10.	„ Ram Babu Jain.	17
11.	„ Ram Krishna Sharma.	122
12.	„ Rishabh Lal Jain.	63
13.	„ Roop Shanker Kayotia.	22
14,	„ Sampat Raj Ganawat.	2
15.	„ Shree Lal Nagori.	98
16.	„ Surya Narain.	4
17.	„ Tej Raj Dhanetia.	29
18.	„ Damodar Lal Sharma.	7
19.	„ Jas Karan.	21
20.	„ Bhawani Lal.	6
21.	„ Madan Lal Joshi.	40
22.	„ Girraj Sharma.	27
23.	„ Heera Shanker Goyal.	3
24.	„ Laxmi Narain Bhardwaj.	16
25.	„ Ghera Lal.	31
26,	„ Ramji Lal.	25
27.	„ Kapoor Chand.	32
28.	„ Badri Narain.	73

S. N,		Name	Merit No.
29	Shri	Jai Kumar Jain.	74
30.	„	Madho Lal Soni.	48
31.	„	Ramji Lal Gupta.	56
32.	„	Nanag Ram.	106
33.	„	Kapildeo Vashistha.	78
34.	„	Laxmi Kant Sharma.	82
35.	„	Madan Gopal Bhatnagar.	100
36.	„	Suraj Raj.	79
37.	„	Muni Lal Jasrai.	114
38.	„	Shyam Sunder Sharma.	23
39.	„	Gulab Chand Mandhana.	9
40.	„	Abdul Jabbar.	30
41.	„	Gulzari Lal.	68
42.	„	Girraj Sharma.	87
43.	„	Zabar Mal.	120
44.	„	Prem Narain Singhal.	13
45.	„	Abdul Majeed.	67
46.	„	Krishna Gopal Gupta.	99
47.	„	Mukat Behari Lal.	20
48.	„	Kishan Lal.	19
49.	„	Mohan Lal Agarwal.	10
50.	„	Tripura Das Mathur.	119
51.	„	Badri Lal.	41
52.	„	Ram Lal Gupta.	72
53.	„	Banidhar Agarwal.	60
54.	„	Shanti Lal Khasgawala.	69
55.	„	Bijay Singh Babel.	84
56.	„	Mohan Chand Mathur.	47
57.	„	Jai Karan.	35

S. N.	Name	Merit No.
58.	Shri Kailash Narain.	111
59.	„ Ganesh Narain Sharma.	8
60.	„ Puran Lal.	103
61.	„ Sawant Mal.	26
62.	„ Ram Jeewan Bhootra.	108
63.	„ Ram Chandra Vyas.	76
64.	„ Ramesh Chandra Goyal.	66
65.	„ Tara Chand Patni.	113
66.	„ Bhanwar Lal Ameta.	117
67.	„ Ram Krishna Sharma.	59
68.	„ Rang Lal Bhanawat.	93
69.	„ Daya Sagar.	65
70.	„ Aishi Ram Gulab Rai, Daultani.	5
71.	„ Jugal Kishore.	75
72.	„ Prem Narain Gupta.	107
73.	„ Makhan Lal Yadav.	15
74.	„ Durga Prasad Mathur.	80
75.	„ Padam Chand Singhvi.	18
76.	„ Shanker Nath Singh.	36
77.	„ Mukan Chand Mathur.	61
78.	„ Ram Kumar Sharma.	11
79.	„ Radha Krishna Jain.	85
80.	„ Suraj Narain Pareek.	127
81.	„ Mohan Mal Lodha.	46
82.	„ Noratan Mal Ajmera.	92
83.	„ Champa Lal Trivedi.	77
84.	„ Manik Lal Kanugo.	43
85.	„ Suresh Chandra Mathur.	35
86.	„ Mohd. Alam Sher Khan.	39
87.	„ Sohan Lal Davera.	83

S. N.	Name	Merit No.
88.	Shri Gopal Das Khandelwal.	70
89.	„ Hanumandas Agarwal.	45
90.	„ Makhan Lal.	102
91.	„ Batan Chand Godha.	50
92.	„ Bhawaneshwar Goswami.	42
93.	„ Ram Swaroop Sharma.	28
94.	„ Shiv Dutt Joshi.	116
95.	„ Bhagwan Sahai.	123
96.	„ Kanhaiya Lal Modi.	33
97.	„ Rameswar Goswami.	52
98.	„ Babulal Mehta.	81
99.	„ Pushkar Dutta Sharma.	95
100.	„ Nathu Lal Sharma.	125
101.	„ Mangilal Goswami.	34
102.	„ Shyam Sundar Sharma.	90
103.	„ Sobhag Mal Tambi.	53
104.	„ Ramchandra S. Rai.	96
105.	„ Lekh Raj.	94
106.	„ Raddey Shyam Littal.	44
107.	„ Kistoormal Sharma.	58
108.	„ Laxmi Narain Vyas.	101
109.	„ Basanti Lal Bapna.	37
110.	„ Hukam Chand Jain.	105
111.	„ Madan Mohan Kapoor.	51
112.	„ Bhanwar Lal Gupta.	54
113.	„ Mohan Lal Joshi.	88
114.	„ Prabhu Narain.	121
115.	„ Pratap Singh.	62
116.	„ Raghunath Agarwal.	57

S. N,	Nam	Merit No.
117.	Shri Ram Lal.	86
118.	„ Ghanshyam Lal Dube.	104
119.	„ Nalani Ramjan.	71
120.	„ Ram Swaroop Sharma.	129
121.	„ Gajraj Singh Verma.	118
122.	„ Rajendra Lal Sethi.	109
123.	„ Harbans Singh.	124
124.	„ Mali Ram Kanoongo,	126
125.	„ Basudeo Punjabi.	128
126.	„ Radha Krishna Beeyani.	27

List of Non-selected Officers confirmed in Accounts' Cadre.

Sl. No.	Name	Post held on 9. 5. 54.	Grade.
1.	Shri T. N. Bhargava.	Treasury Officer, Dungarpur.	180/400.
2.	„ Fateh Lal Gupta.	Additional Treasury Officer, Jaipur.	100-5-130-10-200.
3.	„ Kesri Singh Darda.	Accounts Officer, Jagir Department.	170-400
4.	„ Mohan Lal Sharma.	Accounts Officer, Civil Supplies Deptt.	150-10-250 with special pay Rs. 50/- p.m.
5.	„ K. L. Narsinghpura.	Treasury Officer. Banswara.	120-10-300
6.	„ Sri Nath.	Treasury Officer, Nagaur.	300-15-450
7.	„ Sunheri Lal.	Additional Accounts Officer, Custodian of Evacuee property, Rajasthan, Alwar.	180-400
8.	„ Man Mal Vyas,	Accounts Officer, (Supply Department), Bikaner.	100-5-130-10-200